



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245073
CG-DL-E-11042023-245073

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2023/चैत्र 16, 1945

No. 86]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2023/CHAITRA 16, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023

(मामला सं. एडी(एसएसआर) -10/2022)

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न” के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

फा.सं. 7/21/2022-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) तथा उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे “एडी नियमावली” भी कहा गया) को ध्यान में रखते हुए:

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) को मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे यहां “आवेदक” भी कहा गया है) से एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे “संबद्ध देश”

भी कहा गया है) से हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न (जिसे आगे 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'संबद्ध वस्तु' भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

2. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा फा.सं. 6/12/2017 दिनांक 15 जून 2017 के माध्यम से शुरू की गई थी ताकि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की प्रकृति और मात्रा तथा घरेलू उद्योग पर उसके क्षतिकारी प्रभाव की जांच की जा सके। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 6/12/2017-डीजीएडी दिनांक 24 मई, 2018 के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी जिसे सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 35/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 9 जुलाई, 2018 द्वारा लागू किया गया था। उक्त शुल्क 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाए गए थे और 8 जुलाई, 2023 को समाप्त हो जाएंगे।
3. तत्पश्चात, मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने चीन जन.गण. के उत्पादकों द्वारा मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के प्रवंचन का आरोप लगाते हुए एक प्रवंचनारोधी आवेदन दायर किया। प्राधिकारी ने फा.सं. 7/9/2022-डीजीटीआर के माध्यम से चीन जन.गण. से हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचनारोधी जांच की शुरुआत की। प्राधिकरण ने एफ.सं. 7/9/2022-डीजीटीआर दिनांक 31 मार्च 2023 द्वारा एडीडी की धोखाधड़ी-विरोधी जांच के अंतिम निष्कर्ष जारी कर दिया है।
4. इस अधिनियम की धारा 9क(5) के संबंध में, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे पूर्व में रद्द नहीं किया गया हो तो इस प्रकार के लगाए जाने की तिथि से पांच वर्षों के समाप्त होने लागू नहीं रहेगा। प्राधिकारी से यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
5. इसके अलावा, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नानुसार प्रावधान है:
 “.....किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत् पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।”
6. उक्त के अनुसार प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
7. आवेदक ने पहले लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करने और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए एक निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करने का अनुरोध किया है। यह अनुरोध इस कारण पर आधारित है कि उपायों की समाप्ति से पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
8. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर एडी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 7/21/2022-डीजीटीआर के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की ताकि चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जांच की जा सके कि क्या उक्त पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
9. वर्तमान समीक्षा के दायरे में अंतिम जांच परिणाम सं. 6/12/2017 दिनांक 24 मई, 2018 और अधिसूचना सं. 35/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 9 जुलाई, 2018 के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

10. वर्तमान जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क. प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने से पहले आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात संबंधी पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हुए भारत में राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2022 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से उसकी सरकार, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक-एक प्रति भेजी और उनसे विहित समय-सीमा के भीतर अपने विचारों से लिखित में अवगत कराने का अनुरोध किया।
- घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को तथा संबद्ध देश की सरकार को भारत में उसके दूतावास के माध्यम से आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतरण की प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी परिचालित की गई थी।
- ड. प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली के साथ निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करने वाली सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी थी:
 - i. हुझोऊ यूनिफाल इंडस्ट्रीज फाइबर कंपनी लिमिटेड
 - ii. हाइओसुंग एडवांस मैटेरियल्स कारपोरेशन
 - iii. हाइओसुंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कंपनी लिमिटेड
 - iv. जियांगसु हेंगली केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड
 - v. ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लिमिटेड
 - vi. ओरिएंटल टेक्सटाइल (होलिंग) लिमिटेड
 - vii. क्विनडाओ वेइफेंग फाइबर कंपनी लिमिटेड
 - viii. झेजियांग गुआक्सिंडाओ इंडस्ट्रियल फाइबर कंपनी लिमिटेड
 - ix. झेजियांग गुआक्सिंडाओ पोलिएस्टर डोप डाइड यार्न कंपनी लिमिटेड
 - x. झेजियांग हेलाइड न्यू मैटेरियल कंपनी लिमिटेड
 - xi. झेजियांग यूनिफाइल इंडस्ट्रियल फाइबर कंपनी लिमिटेड
- च. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वह अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों की सूची के साथ दूतावास को भी भेजी गई थी।
- छ. संबद्ध जांच की जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

- i. हुझोऊ यूनिफाल इंडस्ट्रीज फाइबर कंपनी लिमिटेड
 - ii. हाइओसुंग एडवांस्ड मैटिरियल्स कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य
 - iii. हाइओसुंग केमिकल फाइबर (जियांक्सिंग) कंपनी लिमिटेड
 - iv. जियांगसु हेंगली केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड
 - v. जियांगसु ताइजी इंडस्ट्री न्यू मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड
 - vi. ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लिमिटेड
 - vii. झेजियांग गुआक्सिंडाओ पोलिएस्टर डोप डाइड यार्न कंपनी लिमिटेड
 - viii. झेजियांग यूनिफाइल इंडस्ट्रियल फाइबर कंपनी लिमिटेड
- ज. प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी थी:
- i. अरविंद लिमिटेड
 - ii. अरविंद ओजी नॉनवोवन्स प्राइवेट लिमिटेड
 - iii. ऑटोलिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - iv. बिमबन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
 - v. सेनटेन्नियल फैब्रिक्स लिमिटेड
 - vi. चावो ओवरसीज
 - vii. क्लाइवेंस इन्क.
 - viii. कोटेड सेल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
 - ix. कम्पोजिट स्ट्रैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - x. दीपक टेक्सटाइल्स
 - xi. एंट्रेमोंडे पोलिकोटर्स लिमिटेड
 - xii. फेनर कन्वेयर बेल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
 - xiii. फेरेटेरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - xiv. फिलटेक इंटरप्राइ प्राइवेट लिमिटेड
 - xv. फिलिंक एग्जाम प्राइवेट लिमिटेड
 - xvi. जी.आर कारपोरेशन
 - xvii. गनेरीवाला एंड संस
 - xviii. गारवेयर टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड
 - xix. जियोसिस इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
 - xx. ग्लोबल इम्पैक्स इन्क;
 - xxi. ग्रैबटेक फैब्रिक्स एलएलपी

- xxii. हिमालयन पोलिकोर्ड्स
- xxiii. इंडिका कन्वेयर्स लिमिटेड
- xxiv. इंटरनेशनल कन्वेयर्स लिमिटेड
- xxv. जागृति पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
- xxvi. कानपुर प्लास्टिपैक लिमिटेड
- xxvii. करन पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
- xxviii. खोसला प्रोफिल प्राइवेट लिमिटेड
- xxix. कोहिनूर रोप्स प्राइवेट लिमिटेड
- xxx. लिफ्ट एंड लैस प्राइवेट लिमिटेड
- xxxi. एम.जी. पोली कोट्स प्राइवेट लिमिटेड
- xxxii. मधुराम फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- xxxiii. मदुरा कोट्स प्राइवेट लिमिटेड
- xxxiv. मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स लिमिटेड
- xxxv. मंगलचंद ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
- xxxvi. मारुति लिफ्ट एंड सेफ टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड
- xxxvii. मेहर फैशनस प्राइवेट लिमिटेड
- xxxviii. मेहर इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xxxix. एमआरएस एक्सपोर्ट्स
- xl. मल्टीटेक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
- xli. नेशनल एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन
- xlii. न्यूएज फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- xliii. नोबल टेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xliv. एनआरसी कारपोरेशन
- xliv. एनआरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xlvi. प्लास्टीन इंडिया लिमिटेड
- xlvii. पीएन इंटरनेशनल
- xlvi. पीएनपी पोलिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
- xlix. पोलीहोस इंडिया (रबड़) प्राइवेट लिमिटेड
- I. प्रगति इंटरप्राइजेज
- li. सनातन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
- lii. संकल्प सेफ्टी साल्युशंस एलएलपी

- liii. संखला इंडस्ट्रीज
- liv. संरीया टेक्नीकल टेक्सटाइल्स लिमिटेड
- lv. शक्ति कोडर्स प्राइवेट लिमिटेड
- lvi. शान फैब (इंडिया)
- lvii. स्काई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- lviii. एसआरएफ लिमिटेड
- lix. सतराता जियोसिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
- lx. सनपुर टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
- lxi. सिंबोलिक फैबटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
- lxii. टैकफैब (इंडिया) इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- lxiii. टैक्रो फैब्रिक्स
- lxiv. टेक्सपटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- lxv. थ्रैड्स (इंडिया) लिमिटेड
- lxvi. टोडी मिल्स
- lxvii. टुफ्रोप्स प्राइवेट लिमिटेड
- lxviii. वर्धमान यार्नन्स एंड थ्रैड्स लिमिटेड
- lxix. विलैक्स इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- lxx. वीआर इंटरप्राइजेज
- झ. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु की ज्ञात एसोसिएशन अर्थात् इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल एसोसिएशन को नियमावली नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना के परिचालन और उसे मंगाने के लिए प्रश्नावली भी भेजी थी।
- ञ. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करके निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया है:
 - i. ऑटोलिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - ii. टेकफैब (इंडिया) इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - iii. वर्धमान यार्न एंड थ्रीड लिमिटेड
- ट. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के गोपनीय अंश को उन्हें सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करने का निर्देश देकर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया।
- ठ. क्षति अवधि और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदा-वार ब्यौरे प्रदान करने हेतु वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने सौदों आवश्यक जांच के बाद आयातों की मात्रा की गणना करने और अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- ड. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया है और इस अंतिम जांच परिणाम के लिए उस पर भरोसा किया गया है। आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से सूचना मांगी गई थी।

- ढ. क्षति रहित कीमत (एनआईपी) को घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उत्पादन लागत और भारत में संबद्ध वस्तु को बेचने के लिए तर्कसंगत लाभ के आधार पर तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और एडी नियमावली के अनुबंध III के अनुसार निर्धारित किया गया है। इस क्षति रहित कीमत पर यह पता लगाने के लिए विचार किया गया है कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- ण. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल कर दें।
- त. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1st अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022 है। क्षति विश्लेषण अवधि में 1st अप्रैल 2018 - 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल 2019 - 31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल, 2020 - 31 मार्च, 2021 और जांच की अवधि शामिल है।
- थ. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित किए थे। सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों से विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था। सभी हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, प्राधिकारी दिनांक 23 नवंबर, 2022 के पत्र द्वारा अंतिम पीसीएन पद्धति अधिसूचित की थी।
- द. एडी नियमावली नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने डिजिटल वीडियो कान्फ्रेंसिंग के ज़रिए 24 जनवरी, 2023 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से उनके विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध और खंडन अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। पक्षकारों ने अपने अगोपनीय अनुरोधों को सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों से साझा किया था और उन्हें उनके खंडन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।
- ध. इस जांच के अनिवार्य तथ्य जिनसे इस अंतिम जांच का आधार निर्मित हुआ है, वाला एक प्रकटन विवरण 31 मार्च, 2023 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण संबंधी टिप्पणियों पर अंतिम जांच परिणाम से संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।
- न. प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान इस अंतिम जांच परिणाम के आधार के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की सत्यता से संभव सीमा तक स्वयं को संतुष्ट किया है और घरेलू उद्योग तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आकड़ा दस्तावेजों का संगत, व्यवहार्य और आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया है।
- प. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।
- फ. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/अवलोकन दर्ज किए हैं।
- ब. इस अंतिम जांच परिणाम में '***' चिन्ह किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अन्तर्गत गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- भ. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर=75.37 रु. है।

ग. विचाराधीन उत्पाद का दायरा और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

11. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. प्रवंचित उत्पाद को वर्तमान जांच के दायरे का भाग नहीं माना जा सकता है क्योंकि प्रवंचनारोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम जारी नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा की जांच शुरुआत अधिसूचना में बताया है कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच के समान ही रहेगा।
- ख. प्रवंचनारोधी जांच के अनुपालन में लागू कोई उपाय केवल मूल उपाय के साथ लागू रह सकता है, जो वर्तमान मामले में 8 जुलाई, 2023 तक है। चूंकि प्रवंचनारोधी जांच एडी नियमावली के नियम 25 के अन्तर्गत शुरु की गई थी और इसलिए केवल मूल जांच से संबंधित है, इसलिए इस निर्णायक समीक्षा जांच में की गई कोई सिफारिश स्वतः रूप से प्रवंचित उत्पाद पर अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क पर भी लागू हो जाएगी। प्रवंचित उत्पादों पर उक्त तारीख के बाद उपायों को जारी रखने के लिए एडी के नियम के नियम 28 के अन्तर्गत एक समीक्षा शुरु करनी होगी। एडी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित धारा 9क(5) के अन्तर्गत समीक्षा केवल मूल जांच से संबंधित है।
- ग. प्राधिकारी प्रवंचित उत्पाद पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के कम मूल्यांकन पर विचार नहीं कर सकते हैं, जैसा कि वर्तमान समीक्षा में प्रवंचनारोधी उपायों को लागू करने के लिए अपेक्षित है, क्योंकि ऐसी शक्ति केवल एडी नियमावली के नियम 25 और 26 के अन्तर्गत दी गई है।
- घ. प्रवंचित उत्पाद को किसी निर्णायक समीक्षा जांच के पीयूसी के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता है। बंगलादेश और नेपाल से जूट उत्पादों के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा में भी, प्राधिकारी ने पाटन या क्षति मार्जिन के निर्धारण में प्रवंचित उत्पाद को शामिल नहीं किया था।
- ड. यदि पाटनरोधी शुल्क को निर्णायक समीक्षा के अनुपालन में प्राधिकारी द्वारा जारी रखा जाता है तो यदि प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना हुई है तो ऐसा पाटनरोधी शुल्क पीयूआई पर भी लागू होगा।
- च. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में टॉलरेंस सीमाओं को शामिल करने से पीयूसी के दायरे में वृद्धि हो जाएगी। यह एक दीर्घावधि सिद्धांत है कि निर्णायक समीक्षा जांच में पीयूसी का दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर, इसे कम किया जा सकता है। इस बात का लैटर क्लार्थ और प्लास्टिक मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ¹ मामले में समर्थन किया गया है।
- छ. मूल जांच में आवेदक ने स्वयं 1000 डेनियर से कम के यार्न को बाहर रखा है।
- ज. जब घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को मूल जांच में कतिपय आयातित वस्तु के समान वस्तु नहीं माना गया है तो प्रवंचनारोधी या निर्णायक समीक्षा जांच में तत्पश्चात उसे 'समान वस्तु' नहीं माना जा सकता है।
- झ. 940 डेनियर के यार्न के प्रयोग में वृद्धि हुई है क्योंकि यह ट्वाइन बनाने में 1000 डेनियर के यार्न से बेहतर है। इसके अलावा, डेनियर में 6 प्रतिशत की वृद्धि का अर्थ वस्तुओं की लंबाई में 6 प्रतिशत कमी है।
- ञ. 940 डेनियर एक नया उत्पाद है और वह 990 या 985 डेनियर के यार्न से अलग प्रवंचना उत्पाद नहीं है।

¹ 2012 (282) ईएलटी 438.

- ट. पीयूसी या पीयूआई की खरीद कीमत के बीच अंतर है और ये दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं हो सकती हैं। यार्न के डेनियर में वृद्धि होने से यार्न मोटा हो जाता है। परिणामस्वरूप, अनुप्रयोग के समय बड़े छेद वाली सूई की आवश्यकता होगी।
- ठ. ओईएम विनिर्देशन-चालित प्रयोगों के लिए फाइबर डेनियर यार्न का उपयोग होता है, जबकि विचाराधीन उत्पाद केवल सिलाई के लिए प्रयोग होता है।
- ड. डेनियर में वृद्धि के साथ ब्रेकिंग लोड में वृद्धि होती है। यदि किसी उत्पाद की ब्रेकिंग लोड की जरूरतें 750 डेनियर के बजाए 700 डेनियर के प्रयोग से पूरी होती है तो उपभोक्ता कच्ची सामग्री की खपत में 6 प्रतिशत की बचत कर सकता है। यही बात 940 बनाम 1000 डेनियर या 1000 बनाम 1100 डेनियर पर भी लागू होती है।
- ढ. विचाराधीन उत्पाद पीयूआई के रूप में घोषित किया या खरीदा नहीं गया है। डेनियर का उल्लेख बीजक, अलग-अलग पैलेट और अंतिम पैकेज पर किया गया है। घोषित डेनियर से उत्पाद में कोई अंतर होने पर इसे किसी प्रयोगशाला से सत्यापित किया जा सकता है और इसके लिए किसी दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है।

ग.2. घरेलू उद्योग के अनुरोध

12. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. इस उत्पाद को वैश्विक रूप से मानक डेनियर में उत्पादित किया और बेचा जाता है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रमुख उत्पादकों के ब्रोसर से स्पष्ट है।

हायोसुंग एडवांस मैटिरियल्स	हेंगली ग्रुप	गुक्सियानडाओ	हेलाइड अमेरिका	रिलायंस इंडिया लिमिटेड
			126	
	210			
250	250		250	250
300	300			
			380	
	420		420	
500	500	500	500	500
630			630	
750				750
	840	840	840	840
1000	1000	1000	1000	1000
1300	1300	1300	1300	
1500	1500	1500	1500	
	2000	2000	2000	
		2500		
			2600	2600

	3000	3000	3000	3000
	4000	4000	4000	4000
	5000	5000	5000	
				5200
	6000	6000	6000	6000
	8000			

- ख. आवेदक ने समग्र रूप से हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न के आयातों पर मूल रूप से शुल्क लगाने का अनुरोध किया था। तथापि, 1000 डेनियर से कम के यार्न को बाहर रखने के लिए एक शुद्धि-पत्र के माध्यम से उत्पाद के दायरे में बदलाव किया गया था और जांच के अनुसार 6000 डेनियर से अधिक यार्न और 1000 डेनियर से अधिक के एडेसिव एक्टिवेटेड यार्न को बाहर रखा गया था।
- ग. पाटनरोधी शुल्क लगने के बाद संबद्ध देश के निर्यातकों ने लागू शुल्क से बचने के लिए उत्पाद के विवरण, नाम या घटक में बदलाव करना शुरू कर दिया। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के भुगतान से बचने के लिए देश में “असामान्य” डेनियर का आयात किया जा रहा है और इससे आवेदक को प्रवंचनारोधी जांच हेतु आवेदन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
- घ. पूर्ववर्ती जांच के आयात आंकड़े दर्शाते हैं कि आवेदक ने 840 डेनियर और उससे कम तथा 8000 डेनियर और उससे अधिक के यार्न को बाहर रखा था। 840 और 1000 डेनियर या 6000 से 7000 डेनियर के बीच किसी यार्न का आयात नहीं हुआ था।
- ड. 1000 डेनियर से कम के यार्न को बाहर रखने के स्तर पर यह तर्कसंगत ढंग से माना गया था कि इससे 800 डेनियर या उससे कम के यार्न के आयात की अनुमति मिल जाएगी।
- च. विचाराधीन उत्पाद के आयातों में गिरावट आई है जबकि प्रवंचित उत्पाद के आयात में वृद्धि हुई है।
- छ. प्रवंचित उत्पाद के आयात केवल चीन से हुए हैं। यहां तक कि मूल जांच में शून्य शुल्क वाले उत्पादकों ने भी ऐसे असामान्य डेनियर का निर्यात नहीं किया है।
- ज. यदि 1000 डेनियर से कम के यार्न के बजाए मूल रूप से 840 या उससे कम के डेनियर वाले यार्न को बाहर रखा जाता तो प्रवंचना से बचा जा सकता था। भारत में तथा अन्य क्षेत्राधिकार में पूर्ववर्ती प्रक्रिया दर्शाती है कि प्रवंचित उत्पाद को किसी निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायर में शामिल किया जा सकता है।
- झ. इस संबंध में चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोलिटेट्राफ्लोरोएथिलीन (पीटीएफई) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा के जांच परिणाम पर भरोसा किया गया है जिसमें प्राधिकारी ने प्रवंचित उत्पाद पर भी पाटनरोधी शुल्क के विस्तार की सिफारिश की थी। यही नीति प्राधिकारी द्वारा बंगलादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित जूट उत्पादों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की हाल में समाप्त निर्णायक समीक्षा में अपनाई गई थी।
- ञ. विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, जबकि प्रवंचित उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई है।
- ट. प्रवंचित उत्पाद ने केवल चीन जन.गण. से प्रवेश किया है। यहां तक कि मूल जांच में ‘शून्य’ शुल्क वाले उत्पादकों ने भी ऐसे असामान्य डेनियर का निर्यात किया है।

- ठ. यह दलील कि यदि पाटनरोधी शुल्क को 840 डेनियर के यार्नों तक बढ़ाया जाता है तो 840 डेनियर से कम के यार्न की प्रवंचना शुरु हो जाएगी, स्वीकार नहीं की जा सकती है। 840 डेनियर का यार्न एक वास्तविक उत्पाद है, और उसे 1000 डेनियर के यार्न के प्रतिस्थापन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यदि 840 डेनियर और उससे कम के यार्न भविष्य में पाटित होते हैं तो उनका समाधान केवल एक नई जांच से ही हो सकता है।
- ड. नियमावली में प्रवंचित उत्पाद के लिए विचाराधीन उत्पाद के समान उत्पाद होना अपेक्षित नहीं है या घरेलू उद्योग द्वारा प्रवंचित उत्पाद के समान वस्तु का उत्पादन अपेक्षित नहीं है।
- ढ. प्रवंचित उत्पाद को मूल जांच के समय आयातित नहीं किया जा रहा था और इसलिए, समान वस्तु के मुद्दे की जांच नहीं की गई थी।
- ण. चूंकि विचाराधीन उत्पाद को समान कच्ची सामग्री और विनिर्माण प्रक्रिया के प्रयोग से उत्पादित किया जाता है, और इसका प्रयोग पीयूसी के समान रूप में होता है, और घरेलू उद्योग पीयूसी के समान वस्तु का उत्पादन कर रहा है, इसलिए घरेलू उद्योग ने पीयूआई के भी समान वस्तु का उत्पादन किया है।
- त. यदि कम डेनियर के प्रयोग से लाभ मिल रहा था तो हितबद्ध पक्षकारों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें शुल्क लगने के बाद ही ऐसे लाभों का पता क्यों चला। यदि कम डेनियर से लागत में बचत होती है तो उपभोक्ता 840 डेनियर का प्रयोग कर सकते हैं।
- थ. हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे किसी नए डाउनस्ट्रीम उत्पाद को नहीं दर्शाया है जिसे शुल्क लागू होने के बाद लाया गया हो जिसमें 940 डेनियर की आवश्यकता हो। इसके अलावा, ऐसे डेनियर को घरेलू उत्पादकों, अन्य देशों और शून्य शुल्क के अधीन चीन जन.गण. के निर्यातकों से खरीदा नहीं जा रहा है। हितबद्ध पक्षकारों की यह दलील कि 940 डेनियर प्रवंचित उत्पाद नहीं हैं बल्कि 985 और 990 डेनियर ऐसे उत्पाद हैं, का कोई आधार नहीं है।
- द. किसी लोअर डेनियर के उत्पादन के लिए केवल मशीन की गति कम करनी होती है, जिससे लागत अधिक हो जाती है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद और प्रवंचित वस्तु के बीच कोई कीमत अंतर नहीं है।
- ध. इस दावे के संबंध में कि प्रवंचित उत्पाद ओईएम द्वारा प्रयुक्त होता है, यह बताया गया था कि ओईएम अनेक वर्षों से भारत में रहा है परंतु शुल्क लागू होने से पहले ऐसे डेनियरों का आयात नहीं किया जा रहा था।
- न. कम डेनियर के यार्न 1000 डेनियर के यार्न से 5-7 प्रतिशत अधिक कीमत के होते हैं। कम डेनियर के प्रयोग से उपभोक्ताओं को कोई बचत नहीं होगी।
- प. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत आवेदक ने किसी गलत घोषणा का नहीं बल्कि शुल्क की प्रवंचना का दावा किया है।
- फ. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में प्रवंचित उत्पाद भी शामिल होने चाहिए।
- ब. पूर्ववर्ती मामलों में भी प्राधिकारी ने अनुशंसित उपाय को जारी रखने के दायरे में प्रवंचित उत्पाद को शामिल किया है। अन्य पक्षकारों द्वारा मानी गई जूट के मामले में जारी सीमा शुल्क अधिसूचना अचानक हुआ विलोपन प्रतीत होता है और इस मामले में घरेलू उत्पादक इस संबंध में उचित उपचार की मांग कर सकते हैं।

- भ. अन्य क्षेत्राधिकारों में भी पूर्ववर्ती प्रक्रिया दर्शाती है कि प्रवंचित उत्पाद को किसी निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया जाता है।
- म. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत नियम 26 में यह प्रावधान है कि लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचनारोधी जांच शुरू की जा सकती है, जिसमें मूल लागू शुल्क तथा निर्णायक समीक्षा के अनुसार किसी शुल्क को जारी रखना शामिल हो सकता है। इसके अलावा, नियम 23 में यह प्रावधान है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाएगा, यदि प्राधिकारी यह निष्कर्ष नहीं निकालते कि पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है जबकि नियम 28 में किसी अवधि विशेष के बाद उपाय की समाप्ति अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार, एक बार लागू प्रवंचनारोधी उपाय यदि नियम 28 के अन्तर्गत किसी समीक्षा के अनुसार हटाया नहीं जाए तो विचाराधीन उत्पाद पर लागू शुल्क की अवधि तक लागू रहेगा।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

13. मूल जांच में प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम के अनुसार तथा वर्तमान समीक्षा जांच की शुरुआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार था:

“वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न” है जिसे बाजार शब्दावली में पोलिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न (पीआईवाई) अथवा इंडस्ट्रियल यार्न (आईडीवाई) के रूप में भी जाना जाता है। 1000 से कम डेनियर, 6000 से अधिक डेनियर, ट्विस्टड यार्न, कलर्ड यार्न, 1000 से अधिक डेनियर के एडहेसिव एक्टिवेटेड यार्न और एचएमएलएस विशेषताओं वाले यार्न उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। पीयूसी का दायरा मूल जांच के दायरे के समान रहेगा।”

14. आवेदक द्वारा एक अनुरोध के अनुसार (क) 1000 डेनियर से कम परंतु 840 डेनियर से अधिक एडहेसिव एक्टिवेटेड और अन्य दोनों हाई टेनेसिटी यार्न; (ख) 6000 डेनियर से अधिक परंतु 7000 डेनियर से कम के हाई टेनेसिटी यार्न; और (ग) 1000 डेनियर से अधिक परंतु 1300 डेनियर से कम एडहेसिव एक्टिवेटेड यार्न के आयातों के संबंध में 27 जुलाई 2022 को प्राधिकारी द्वारा प्रवंचनारोधी जांच शुरू की गई थी। शुल्क की कथित प्रवंचना और विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनेक अनुरोध किए गए हैं।
15. प्राधिकारी ने दिनांक 30 सितंबर, 2022 की जांच शुरुआत अधिसूचना में पीसीएन पद्धति के संबंध में 15 दिनों के भीतर हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां मंगाई थीं। चूंकि किसी हितबद्ध पक्षकार से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई, इसलिए प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनाथ निम्नलिखित पीसीएन पद्धति पर विचार किया है:

मापदंड	पीसीएन डिजिट	स्पष्टीकरण
डेनियर	XXXX (4 डिजिट)	0000 = अज्ञात 1000 = 1000 डेनियर 2200 = डेनियर, और उससे आगे
प्रकार	XX (2 डिजिट)	एचटी- हाई टेनेसिटी एचएम – हाई मॉड्यूल लो स्क्रिंकेज एचएमएलएस)) एलएस – लो स्क्रिंकेज

		ओटी – अन्य
कोटिंग	XX (2 डिजिट)	एए – एडहेसिव एक्टिवेटेड एनए – नॉन एडहेसिव एक्टिवेटेड

16. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस पर बात पर प्रश्न नहीं उठाया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु नहीं है। अतः, रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। इसके मद्देनजर, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद समान वस्तु हैं।
17. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे को निर्णायक समीक्षा जांच में बदला नहीं जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रवंचित उत्पाद वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं बन सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा के अनुसार उत्पाद का दायरा बढ़ाया नहीं जा रहा है। शुल्क की किसी प्रवंचना पर प्रवंचनारोधी जांच में कार्यवाही की जाएगी। प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि लागू शुल्क की प्रवंचना हो रही है और वह विचाराधीन उत्पाद पर शुल्क बढ़ाने की सिफारिश को उचित मानते हैं। वर्तमान समीक्षा के अनुपालन में अनुशंसित शुल्क को जारी रखना ऐसे जांचाधीन उत्पाद पर भी लागू होगा, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा यदि धारा 9क(5) के अन्तर्गत शुल्क बढ़ाने का निर्णय लेने पर प्रवंचित उत्पाद पर एडीडी की अवधि बढ़ाई जाती है।
18. प्राधिकारी जहां तक नेपाल और बंगलादेश से जूट उत्पादों के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच में पीयूसी के संबंध में प्राधिकारी के निष्कर्ष का संबंध है, यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तु पर शुल्क लगाने की सिफारिश प्रवंचना उत्पाद पर भी समान रूप से लागू होती है।
19. यह भी दलील दी गई है कि नियम 25 के अन्तर्गत मूल शुल्क के लागू होने की केवल प्रवंचना पर ध्यान दिया जा सकता है और यदि वर्तमान निर्णायक समीक्षा के पश्चात प्रवंचना उत्पाद के लिए शुल्क को जारी रखना है तो नियम 28 के अन्तर्गत एक अन्य समीक्षा करने की जरूरत है। तथापि, प्राधिकारी इस तर्क को व्यवहार्य नहीं मानते हैं। नियमावली के नियम 26 में यह उल्लेख है कि प्राधिकारी “अधिनियम की धारा 9क के अन्तर्गत लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की किसी कथित प्रवंचना की मौजूदगी और प्रभाव के निर्धारण के लिए जांच शुरू कर सकते हैं”। चूंकि मूल शुल्क लगाना और निर्णायक समीक्षा में उसे जारी रखना धारा 9क के अन्तर्गत शामिल है, इसलिए इन दोनों की प्रवंचना पर नियम 26 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। इसके अलावा, नियम 28 का स्पष्ट आशय पहले से लागू प्रवंचनारोधी उपायों की समीक्षा करना है और उसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि क्या लागू शुल्क मूल जांच अथवा निर्णायक समीक्षा के अनुपालन में है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने पूर्व में यदि प्राधिकारी ने धारा 9क (5) के अन्तर्गत एडीडी को बढ़ाने की सिफारिश करना उचित समझा है तो ऐसे प्रवंचना उत्पादों पर शुल्क लगाया है।

20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि मूल शुल्क से उत्पन्न प्रवंचना की कार्यवाही को ऐसे शुल्क लागू होने की अवधि से आगे जारी नहीं रखा जा सकता है और निर्णायक समीक्षा के बाद ऐसे शुल्कों को जारी रखने के लिए नियम 28 के अनुसार समीक्षा करना अपेक्षित होगा। यह अनुरोध व्यवहार्य नहीं है। यह नोट किया जाता है कि शुल्कों की प्रवंचना से संबंधित कोई भी प्रावधान ऐसे शुल्कों की समाप्ति के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं करता है। प्रवंचना जांच के परिणामस्वरूप, अनुशंसित शुल्क मूल जांच के ज़रिए लागू शुल्कों के साथ सह-अवसानी होते हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि निर्णायक समीक्षा जांच में मूल शुल्क को बढ़ाया जाता है और इसलिए ऐसी मूल जांच के परिणामस्वरूप अपनाया गया कोई प्रवंचना उपाय निर्णायक समीक्षा जांच पर भी समान रूप से लागू होगा।

21. उपरोक्त के मद्देनजर, वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार प्रस्तावित है:

“हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न” जिसे बाजार शब्दावली में पोलिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न (पीआईवाई) अथवा इंडस्ट्रियल यार्न (आईडीवाई) के रूप में भी जाना जाता है। 1000 से कम डेनियर, 6000 से अधिक डेनियर, ट्विस्टड यार्न, कलर्ड यार्न, 1000 से अधिक डेनियर के एडहेसिव एक्टिवेटेड यार्न और एचएमएलएस विशेषताओं वाले यार्न उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

22. यह भी नोट किया गया है मूल जांच में अंतिम जांच परिणाम जारी होने के बाद प्राधिकारी ने प्रवंचनारोधी जांच की है। अधिसूचना सं. 7/9/2022-डीजीटीआर दिनांक 31 मार्च, 2023 के अपने अंतिम जांच परिणाम के ज़रिए प्राधिकारी का निष्कर्ष था कि पीयूसी पर लागू शुल्क की जांचाधीन उत्पाद (पीयूआई) अर्थात्, 1000 डेनियर से कम परंतु 840 डेनियर से अधिक के एडहेसिव एक्टिवेटेड और अन्य दोनों (क) हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न (पीयूआई I) के ज़रिए प्रवंचित किया जा रहा है। तथापि, 840 डेनियर या उससे कम के यार्न जब 2.4 प्रतिशत की अनुमति प्राप्त सहनशीलता के भीतर आयातित किए जाते हैं तो उन्हें उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। 6000 डेनियर से अधिक परंतु 7000 डेनियर से कम के (ख) हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न (पीयूआई II) हैं। तथापि, 2.4 प्रतिशत की अनुमति प्राप्त टोलरेंस के भीतर आयातित 7000 डेनियर के यार्न को उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है। 1000 डेनियर से अधिक परंतु 1300 डेनियर से कम के (ग) एडहेसिव एक्टिवेटेड हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न (पीयूआई III) 2.4 प्रतिशत के अनुमति प्राप्त सहनशीलता के भीतर 1300 डेनियर के यार्न चीन जन.गण. से उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर हैं और परिणामस्वरूप अधिसूचना सं. 7/9/2022 दिनांक 31 मार्च, 2023 के अंतिम जांच परिणाम के ज़रिए चीन जन.गण. से आयातित पीयूआई पर भी शुल्क की सिफारिश की गई थी।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

23. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. एसआरएफ की गैर-भागीदारी के कारण की जांच करनी चाहिए क्योंकि वह एक सबसे बड़ा उत्पादक है, उसने मूल जांच में भाग लिया था और पोलिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न खंड में उसने सर्वाधिक बिक्री मात्रा दर्ज की थी।

ख. घरेलू उद्योग की ओर से निष्पादन में सबसे कम सुधार वाले और सर्वाधिक क्षतिरहित कीमत वाले चुनिंदा उत्पादकों की सूचना देने के लिए घरेलू उद्योग का रुझान रहा है।

- ग. आवेदक ने मलेशिया में एक संबंधित कंपनी रेक्रॉन मलेशिया एसडीएन. बीएचडी के साथ अपने संबंध का प्रकटन नहीं किया है।
- घ. चूंकि नियम 5 निर्णायक समीक्षा पर लागू नहीं होता है, इसलिए तीन अन्य कंपनियों के समर्थन पत्र निष्प्रभावी हैं और वर्तमान निर्णायक समीक्षा पर उनका कोई प्रभाव नहीं है।
- ड. तीन समर्थकों द्वारा समर्थन पत्र में व्यापार सूचना 13/2018 या 5/2021 के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना नहीं दी गई है। उन्हें मूल आर्थिक मापदंडों की जानकारी देने का निदेश दिया जाना चाहिए और उस पर अंतिम जांच परिणाम में जांच की जानी चाहिए।
- च. यद्यपि आवेदक ने यह दावा नहीं किया है कि वह नियम 5(3) या नियम 2(ख) की अपेक्षाएं पूरी नहीं करता है, यह अब स्पष्ट है कि प्राधिकारी ने कैसे इसका निष्कर्ष निकाला होगा।
- छ. शुल्क लगने के बाद बाजार में नए प्रवेशकों, एसआरएफ लिमिटेड की गैर-भागीदारी, आवेदक के एक संयंत्र के बंद होने और यह तथ्य कि एसआरएफ और आवेदक, दोनों के पास मूल जांच में 90 प्रतिशत हिस्सा था, घरेलू उद्योग की स्थिति की जांच की जानी चाहिए।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

24. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. यह याचिका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर की गई है और बेलनॉन पोलिएस्टर लिमिटेड, सनातन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड और फेयरडील जम्बो पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका समर्थन किया गया है।
- ख. यद्यपि एसआरएफ लिमिटेड संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है, परंतु वह विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद का आयात कर रहा है, और इसलिए, उसे घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।
- ग. आरआईएल के पास एसआरएफ का उत्पादन शामिल हो अथवा नहीं, कुल भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है।
- घ. जांच शुरुआत अधिसूचना में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियम 5(3) के अनुसार स्थिति की अपेक्षाओं को पूरा करता है और नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।
- ड. निर्णायक समीक्षा में घरेलू उद्योग के दायरे में परिवर्तन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और किसी उत्पादक को पूर्व जांच में केवल भाग लेने के कारण निर्णायक समीक्षा में भाग लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है। एसआरएफ लिमिटेड ने भारत में निरंतर पाटन और शुल्क की प्रवंचना में भाग लिया है और योगदान दिया है, इसलिए उसे वर्तमान जांच में पात्र भारतीय उत्पादन का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।
- च. अपीलीय निकाय द्वारा नोट किए गए अनुसार, ऐसी संभावना है कि कमजोर निष्पादन वाले उत्पादक जांच में भाग लेते हैं। तथापि, यदि ऐसे उत्पादकों का प्रमुख हिस्सा बनता है तो परिणाम में कोई त्रुटि नहीं है।
- छ. आवेदक को तीसरे देश में संबंधित पक्षकारों का प्रकटन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग की पात्रता केवल पाटित वस्तुओं के निर्यातकों के साथ संबंध के आधार पर निर्धारित की जाती है।

- ज. व्यापार सूचना 11/2018 के अनुसार, जो पक्षकार विहित प्रपत्र के अनुसार सूचना नहीं देते हैं उन्हें भी जांच में भाग लेने की अनुमति है। प्राधिकारी ने विहित प्रपत्र में सूचना दायर नहीं करने पर भी अनेक जांच में समर्थन पर विचार किया है।
- झ. किसी घरेलू उत्पादक द्वारा समर्थन से संबंधित नियम 5 निर्णायक समीक्षा पर लागू नहीं होता है।
- ञ. यदि समर्थन पत्रों पर विचार न भी किया जाए तो भी आवेदक नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।
- ट. मूल जांच में आवेदक के पास, हाजिरा में केवल एक संयंत्र था जबकि वर्तमान क्षति अवधि के दौरान उसने पातालगंगा में एक उच्च क्षमता संयंत्र स्थापित किया है। इस प्रकार, आवेदक की कुल क्षमता और उत्पादन मूल जांच की तुलना में वर्तमान जांच अवधि में काफी अधिक है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

25. वर्तमान आवेदन रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा भारत में संबद्ध वस्तु के 5 अन्य उत्पादक हैं। वेलनॉन पोलिएस्टर लिमिटेड, सनातन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड और फेयरडील जम्बो पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने आवेदन का समर्थन किया है। आवेदक ने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और उसके किसी आयातक या निर्यात से संबंधित नहीं है।
26. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि निर्णायक समीक्षा में समर्थन पत्र निष्प्रभावी होते हैं और व्यापार सूचना 13/2018 के अन्तर्गत अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 5 के प्रावधान निर्णायक समीक्षा पर लागू नहीं होते हैं। फिर भी, संगत प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकारी ने आवेदन के समर्थक के रूप में अन्य घरेलू उत्पादकों को पर विचार किया है, प्राधिकारी ने आवेदन का केवल समर्थन करने वाले पक्षकारों को छोड़कर एकल आधार पर घरेलू उद्योग के क्षेत्र का निर्धारण किया है।
27. हितबद्ध पक्षकारों ने विशेष रूप से भारी लाभप्रदता संबंधी सार्वजनिक विवरणों के मद्देनजर एसआरएफ द्वारा भागीदारी नहीं करने पर जोर दिया है। तथापि, आवेदक ने दावा किया है कि एसआरएफ लिमिटेड ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और वह प्रवंचना जांच के अधीन उत्पाद के आयात में भी शामिल है। प्राधिकारी ने इस संबंध में डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों की जांच की है। यह नोट किया गया है कि एसआरएफ लिमिटेड ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की भारी मात्रा का आयात किया है (पीओआई के दौरान ***एमटी), और प्रवंचना जांच में जांचाधीन उत्पाद ***एमटी का भी आयात किया है। इसके अलावा, एसआरएफ लिमिटेड ने न तो प्रश्नावली का उत्तर दिया है न ही वर्तमान समीक्षा में प्राधिकारी का सहयोग किया है। इसके मद्देनजर, प्राधिकारी पाते हैं कि एसआरएफ लिमिटेड को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। फिर भी, प्राधिकारी ने एसआरएफ लिमिटेड के उत्पादन को शामिल करके और बाहर रखकर आवेदक के हिस्से की जांच की है। उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक का हिस्सा एसआरएफ के उत्पादन को मिलाकर ***प्रतिशत और *** प्रतिशत (एसआरएफ के उत्पादन को हटाकर) है।
28. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आवेदक ने मलेशिया में एक संबंधित पक्षकार का ब्यौरा नहीं दिया है। तथापि, हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच में ऐसी सूचना की संगतता नहीं दर्शाई है। यह नोट किया जाता है कि मलेशिया वर्तमान जांच में संबद्ध देश नहीं है और उसके आयात कथित पाटित वस्तु के आयातों का हिस्सा नहीं हैं। वर्तमान क्षति अवधि के दौरान मलेशिया से उत्पाद के कोई ज्ञात

आयात नहीं हैं। मलेशिया में किसी उत्पादक से आवेदक के संबंध से घरेलू उद्योग के रूप में आवेदक की पात्रता प्रभावित नहीं होती है।

29. कुछ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि आवेदक के एक संयंत्र के बंद होने, उत्पादकों की संख्या में वृद्धि और एसआरएफ की गैर-भागीदारी का प्रभाव आवेदक के उत्पादन के हिस्से पर पड़ा है और उसका विश्लेषण होना चाहिए। इस संबंध में यह नोट किया गया है कि यद्यपि मूल जांच के समय किवल 3 उत्पादक थे (अर्थात् एसआरएफ लिमिटेड, आरआईएल और फेयरडील जम्बो पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड) जिनकी समग्र उत्पादन क्षमता लगभग ***एमटी थी, परंतु वर्तमान में 6 उत्पादक हैं (अर्थात् एसआरएफ लिमिटेड, आरआईएल, फेयरडील जम्बो पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, वेलनॉन पोलिएस्टर लिमिटेड, सनातन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड और फेरोटेरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) जिनकी संयुक्त उत्पादन क्षमता ***एमटी है। आवेदक का उत्पादन मूल जांच की जांच अवधि की तुलना में वर्तमान जांच अवधि में काफी अधिक है। मूल जांच की जांच अवधि के दौरान आवेदक के पास हजिरा में कम क्षमता का संयंत्र था, जो वर्तमान क्षति अवधि के दौरान बंद हो गया था। तथापि, पातालगंगा के संयंत्र, जो मूल जांच की जांच अवधि के दौरान मौजूद नहीं था, के उत्पादन के शुरु होने पर आवेदक के समग्र उत्पादन में वृद्धि हुई है।
30. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का उत्पादन भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। तदनुसार, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. आवेदक ने पीसीआई वुड मैकेजी रेडबुक रिपोर्ट को ऐसी किसी रिपोर्ट की वैधता के किसी अतिरिक्त अपेक्षित सूचना या लेखक के व्यौरों को उपलब्ध कराए बिना गोपनीय होने का दावा किया है।
 - ख. याचिका के अगोपनीय अंश में व्यापार सूचना सं. 1/2013 के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित औचित्य नहीं बताया गया है।
 - ग. याचिका का अगोपनीय अंश व्यापार सूचना 1/2013 में यथा-अपेक्षित गोपनीय अंश की अनुकृति नहीं है।
 - घ. घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना 10/2018 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित अन्य उत्पादकों के उत्पादन और कुल उत्पादन में अपने हिस्से का प्रकटन नहीं किया है।
 - ड. यहां तक कि कच्ची सामग्रियों के नाम जैसी सूचना जो उत्पादन प्रक्रिया समझने के लिए जरूरी है, नहीं बताई गई है।
 - च. लाभ/हानि का प्रतिशत, नियोजित पूंजी पर आय, कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन के गोपनीय होने का दावा किया गया है।
 - छ. घरेलू उद्योग ने भरोसा किए गए आयात आंकड़ों के नाम/स्रोत का प्रकटन नहीं किया है और ऐसे आंकड़े विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं।
 - ज. आवेदक ने न तो अनिवार्य लागत निर्धारण प्रपत्र प्रस्तुत किया है और न ही संभावना सिद्ध करने के लिए तीसरे पक्ष की सूचना का स्रोत बताया है। लागत निर्धारण प्रपत्र के आंकड़े गोपनीय हो सकते हैं और सूचीबद्ध/सम्पादित किए जा सकते हैं। तथापि, कच्ची सामग्री, सुविधाओं आदि के

नाम सहित ऐसे लागत निर्धारण प्रपत्र को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए अगोपनीय प्रकटन में संलग्न किया जाना चाहिए।

- झ. आवेदक द्वारा भरोसा की गई तीसरे पक्ष की सूचना के स्रोत की प्राधिकारी द्वारा एडी नियमावली के नियम 5(3)(ख) द्वारा यथा-निर्धारित साक्ष्य की सत्यता और पर्याप्तता के लिए जांच की जानी चाहिए। इस बात को ट.टकानो बनाम सेब. [(2022) 8 एससीसी 162] में माननीय उच्चतम न्यायालय और आल इंडिया लेमिनेटेड फैब्रिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य (2021 की पाटनरोधी अपील सं. 52173) में माननीय सेस्टेट के निर्णयों में भी अधिदेशित किया गया है।
- ञ. आल इंडिया लेमिनेटेड फैब्रिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य मामले में माननीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क अपीलीय न्यायाधिकरण ("सेस्टेट") ने दिनांक 28.02.2022 के अपने निर्णय में यह माना था कि ऐसी असाक्ष्यांकित रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह एडी नियमावली के नियम 7 का उल्लंघन करती है, जो प्राधिकारी के लिए पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना की सत्यता से स्वयं को संतुष्ट करना अधिदेशित करता है।
- ट. आवेदक ने न तो अनिवार्य लागत निर्धारण प्रपत्र प्रस्तुत किया है और न ही संभावना सिद्ध करने के लिए तीसरे पक्ष की सूचना का स्रोत बताया है। तथापि, कच्ची सामग्री, सुविधाओं आदि के नाम सहित ऐसे लागत निर्धारण के आंकड़ों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए अगोपनीय प्रकटन में संलग्न किया जाना चाहिए।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

32. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत पीसीआई रेडबुक प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई है। चूंकि यह एक विश्व विख्यात बाजार अनुसंधान एजेंसी है, इसलिए वह सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत है।
- ख. पीसीआई रेडबुक के संबंध में दावा की गई गोपनीयता के कारण अन्य हितबद्ध पक्षकारों से कोई पक्षपात नहीं हुआ है क्योंकि वह संगत शुल्क का भुगतान करके स्वयं इसे प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, याचिकाकर्ता उसे शेयर करने से प्रतिबंधित है क्योंकि वह एक तीसरे पक्ष की सूचना है और ऐसी रिपोर्ट का कॉपीराइट केवल संगत एजेंसी के पास होता है।
- ग. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत आवेदक ने व्यापार सूचना 1/2013 में यथा-अपेक्षित औचित्य तालिका उपलब्ध कराई है।
- घ. खंड VI में दी गई सूचना व्यापार स्वामित्व से संबंधित सूचना है और उसका प्रकटन नहीं किया जा सकता है।
- ड. यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि अगोपनीय अंश गोपनीय अंश की अनुकृति नहीं है। तथापि, उन्होंने अंतर नहीं बताया है।
- च. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की दलील के विपरीत, कुल भारतीय उत्पादन का प्रकटन नहीं किया गया है। अन्य उत्पादकों के अलग-अलग उत्पादन और उत्पादन के हिस्से का प्रकटन नहीं किया जा सकता है क्योंकि उससे आवेदक और विभिन्न पक्षकारों के उत्पादन का प्रकटन हो जाएगा।
- छ. इस तर्क के संबंध में कि प्रपत्रों को कच्ची सामग्री की पहचान करने के लिए सम्पादित रूप में दिया जाना चाहिए था, यह स्पष्ट किया गया कि कच्ची सामग्री के नामों सहित विनिर्माण की प्रक्रिया आवेदन के अगोपनीय अंश में दी गई थी।

- ज. लाभ/हानि का प्रतिशत, नियोजित पूंजी पर आय, कम कीमत पर बिक्री और क्षति मार्जिन व्यापार स्वामित्व संबंधी गोपनीय सूचना है, जिसका प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

33. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार निरीक्षण के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
34. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:-
- “गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।
- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।
- (3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”
35. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराए थे। आयातों, घरेलू उद्योग के निष्पादन मापदंडों और क्षति मापदंडों से संबंधी सूचना सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई है। व्यापार संवदी सूचना को प्रक्रिया के अनुसार गोपनीय रखा गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध किसी सूचना को गोपनीय नहीं माना जा सकता है।
36. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और इस संबंध में संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता संबंधी दावे की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे उनके प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करें।
37. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि चूंकि पीसीआई वुड मैकेंजी रेडबुक रिपोर्ट के गोपनीय होने का दावा किया गया, इसलिए प्राधिकारी को उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने बताया है कि यह रिपोर्ट एक तीसरे पक्ष की सूचना है और आवेदक उसे सार्वजनिक रूप से प्रकटन करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। अतः, प्राधिकारी मानते हैं कि ऐसे साक्ष्य की गोपनीयता नियमों के अन्तर्गत संरक्षित है। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक ने अगोपनीय संस्करण में इस रिपोर्ट से आवेदक द्वारा भरोसा की गई सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान की है। इसलिए, हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसी गोपनीयता के कारण उन्हें हुए किसी पूर्वाग्रह का प्रदर्शन नहीं किया है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे को नोट करते हैं कि ये हितबद्ध पक्ष सीधे पीसीआई से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र थे, क्योंकि रिपोर्ट

आवश्यक भुगतान के बाद किसी भी पार्टी द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आगे यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने अपने आवेदन में रिपोर्ट का पर्याप्त अगोपनीय सारांश प्रदान किया है।

38. हितबद्ध पक्षकारों ने दलील दी है कि घरेलू उद्योग ने खंड-VI में क्षमता, उत्पादन, बिक्री, निवेश पर आय, लागत और सूचना का प्रकटन नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने सभी क्षति मापदंडों से संबंधित सूचीबद्ध संख्याएं प्रदान की हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी सूचना की प्रकृति गोपनीय है और उन्होंने घरेलू उद्योग के गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है।
39. इस आरोप के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त आयात आंकड़े अविश्वसनीय हो सकते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों की चिंता का प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा करके समाधान किया गया है।

च. विविध मुद्दे

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

40. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- क. 5 वर्ष के पश्चात शुल्क की समाप्ति धारा 9(5) के अन्तर्गत सामान्य नियम है, और शुल्क जारी रखना उक्त प्रावधान के परंतुक के अनुसार एक अपवाद है।
- ख. मौजूदा शुल्क की अवधि में आगे वृद्धि करना पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.1 और सीमा शुल्क टैरिफ नियमावली, 1995 के नियम 23(1) का उल्लंघन होगा क्योंकि शुल्क ने अपना कार्य कर दिया है और पाटन के विरुद्ध इसकी मौजूदगी का अब कोई औचित्य नहीं है। ऐसी कोई विशेष/आपवादिक परिस्थितियां नहीं हैं जिनमें पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना आवश्यक हो।
- ग. आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना नियमावली के नियम 5(3) और अनुच्छेद 5.3 के द्वारा यथा-अपेक्षित तथा अमेरिका-कनाडा से साफ्टवुड लुम्बर, मेक्सिको – स्टील पाइप और ट्यूब और गुवाटेमाला – सीमेंट-II मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल के निष्कर्षों के अनुसार जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए बिल्कुल 'अपर्याप्त' हैं।
- घ. शुल्क की अवधि बढ़ाने से कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा क्योंकि अधिकांश आयात अग्रिम लाइसेंस के अन्तर्गत स्वीकृत हैं और मूल जांच में 'शून्य' रेटेड निर्यातकों द्वारा निर्यातित हैं।
- ड. नियम 23(1) और 23(3), पाटनरोधी नियमावली के नियम 4(घ), नियम 17(1) और अनुबंध-III के प्रावधानों के मद्देनजर शुल्क को विशेष रूप से जब कोई नया उत्पादक जांच में भागीदारी करता है तो निर्णायक समीक्षा में पुनः निर्धारित करना अपेक्षित है। ऐसा उत्पादक अवशिष्ट शुल्क के अधीन होना चाहिए।
- च. ओटीआईजेड, मूल पाटनरोधी जांच में शून्य पाटन मार्जिन और शुल्क की शून्य दर के साथ निर्णायक समीक्षा के अधीन नहीं हो सकता है। पाटन के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की तब कोई जांच नहीं हो सकती है जब प्राधिकारी ने पहले ही निर्धारित किया है कि ओटीआईजेड मूल जांच के समय पाटन नहीं कर रहा था या उन्होंने पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(ग) के लिए किसी विषय पर डब्ल्यूटीओ एडी करार के अनुच्छेद 5.8 के अनुसार और बीफ तथा राइस पर मेक्सिको – निश्चयात्मक पाटनरोधी उपाय के अनुसार जांच को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है।
- छ. चूंकि प्राधिकारी ने व्यापार सूचना 1/2022 के अन्तर्गत आयात आंकड़े लेने के लिए संशोधित प्रक्रिया विहित की है, इसलिए आवेदक को डीजीसीआईएंडएस से आयात आंकड़े लेने चाहिए और उसके बाद ऐसे आंकड़ों को अलग करने की पद्धति बतानी चाहिए। ऐसी सूचना के अभाव में, इस जांच में आगे कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।

- ज. पीसीआई रेडबुक आंकड़े संगत राष्ट्रव्यापी व्यापक स्तर के आंकड़े दर्शाते हैं और वह संवेदनशील सूचना नहीं है। टी.टकानो बनाम सेबी मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि प्रक्रिया से संबंधित समस्त सूचना बताई जानी चाहिए। इंडिया लेमिनेटेड फैब्रिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और अन्य मामले में न्यायाधिकरण ने माना था कि असाक्ष्यांकित रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
- झ. पीसीआई रेडबुक के अनुसार क्षमता और उत्पादन स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे आंकड़े हाई टेनेसिटी पोलिएस्टर यार्न और विचाराधीन उत्पाद के लिए विशेष रूप से नहीं दिए गए हैं और अनेक उत्पादकों ने इसमें भागीदारी की है। इसके अलावा, उक्त रिपोर्ट के संगत पृष्ठों के अन्य पक्षकारों से गोपनीय होने का दावा किया गया है। प्राधिकारी को अतिरिक्त और अप्रयुक्त क्षमता निर्धारित करने के लिए वास्तविक क्षमता, उत्पादन पर विचार करना चाहिए।
- ञ. पीसीआई रेडबुक पर विचार करते हुए, यह बताया गया था कि इंडिया लेमिनेटेड फैब्रिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और अन्य मामले में न्यायाधिकरण ने माना था कि असाक्ष्यांकित रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

41. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- क. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि कोई परंतुक नियम का अपवाद होता है। इस प्रकार, यह बताने वाला परंतुक कि शुल्क को बढ़ाया जाएगा यदि पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, का अर्थ यह है कि शुल्क परंतुक में मौजूद व्यवस्था की स्थिति को छोड़कर 5 महीने में समाप्त हो सकते हैं।
- ख. जैसा विभिन्न मामलों में न्यायालयों द्वारा माना गया है, जांच शुरुआत के स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया साक्ष्य की आवश्यकता है।
- ग. यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि जांच पर्याप्त साक्ष्य के बिना शुरू की गई थी, तथापि उन्होंने यह नहीं बताया है कि कौन से मापदंड को विधिवत रूप से साक्ष्यांकित नहीं किया गया था। प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रदत्त साक्ष्य की सत्यता और पर्याप्तता को पूरा करने के पश्चात जांच की शुरुआत की थी।
- घ. न्यायाधिकरण के अवलोकन और प्राधिकारी की पूर्व प्रक्रिया के मद्देनजर ऐसे निर्यातक जिन्हें मूल जांच में शुल्क की शून्य दर दी गई है, को वर्तमान जांच के दायरे के भीतर माना जाना चाहिए।
- ङ. मूल जांच में शून्य शुल्क वाले निर्यातकों के लिए शुल्क की राशि वर्तमान आंकड़ों और पीओआई के बाद की सूचना के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।
- च. इस दावे के संबंध में कि शुल्क को विशेष रूप से एक नए उत्पादक की भागीदारी के कारण पुनःनिर्धारित करना चाहिए, इस बात पर जोर दिया गया था कि किसी नए उत्पादक को न्यू शिपर समीक्षा के लिए आवेदन करना चाहिए या मध्यावधि समीक्षा में सामान्य पुनःनिर्धारण किया जा सकता है। किसी नए उत्पादक को केवल अवशिष्ट शुल्क के अधीन रखा जा सकता है, जैसा कि टीडीआई और वीएसएफ मामले में किया गया था।
- छ. शुल्क को पीओआई के बाद की सूचना पर विचार करने के बाद ही संशोधित किया जाना चाहिए और यदि यह सिद्ध हो जाता है कि आयात मात्राओं और आयात कीमतें उचित स्थिति दर्शाती हैं, तभी बदला जाना चाहिए।
- ज. यद्यपि आवेदक ने डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों के लिए अनुरोध किया है, तथापि, उसे ये अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं और इसलिए वह उस आधार पर आयात सूचना नहीं दे सका है।

- झ. निर्यातक से भी पीओआई के बाद के आंकड़े देने के लिए कहना चाहिए और ऐसा नहीं करने वाले निर्यातक को असहयोगी माना जाना चाहिए।
- ञ. चूंकि घरेलू उद्योग ने उचित वृद्धि के साथ शुल्क की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है, इसलिए शुल्क घटाया नहीं जाना चाहिए। किसी भी तरह कटौती की आवश्यकता को केवल निर्यातक द्वारा पीओआई पश्चात आंकड़े देने पर ही जांच की जानी चाहिए।
- ट. यद्यपि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि पीसीआई रेडबुक आंकड़ों को स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए थे, तथापि पीसीआई को पहले एक प्रतिष्ठित स्रोत माना गया है। यदि अन्य पक्षकार आंकड़ों को सह-संबंधित करना चाहते हैं तो वे स्वयं रिपोर्ट खरीद सकते हैं।
- ठ. प्रत्यक्ष सूचना के अभाव में आवेदक ने एचटीपीवाई के उत्पादन और मांग के निर्धारण हेतु समग्र क्षमता के लिए एचटीपीवाई की क्षमता के अनुपात को लागू किया था। तथापि, यदि एचटीपीवाई की क्षमताओं को कुल उत्पादन और मांग के साथ माना जाए तो भी वह भारी अप्रयुक्त क्षमताएं दर्शाएंगी।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

42. जहां तक शुल्क की अवधि के संबंध में प्रस्तुतियों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति को रोकना है, जिससे घरेलू उत्पादकों को क्षतिपूर्ण डंपिंग के खिलाफ एक समान अवसर और राहत मिलती है। एडीडी पहले लगाया गया था क्योंकि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा एक आवेदन दायर करने के बाद पाया था कि विदेशी उत्पादकों ने भारतीय बाजार में माल की पाटन का सहारा लिया था और इससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई थी। वर्तमान शुल्क की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग या क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना की जांच करने के लिए वर्तमान जांच शुरू की गई है। यदि प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि मौजूदा शुल्कों के अभाव में पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है और पाटनरोधी शुल्क को शुल्क लागू करने की अवधि के होते हुए भी कानूनी रूप से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
43. कुछ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना जांच शुरुआत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। तथापि पक्षकार ऐसा कोई विशिष्ट ब्यौरा या साक्ष्य देने में विफल रहे हैं कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़े जांच शुरुआत को उचित ठहराने के लिए क्यों अपर्याप्त हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्रस्तुत पाटन और क्षति की संभावना के साक्ष्य सहित विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन को ध्यान में रखते हुए निर्णायक समीक्षा शुरू की थी। अतः, प्राधिकारी को इस दलील में कोई सच्चाई नहीं दिखती है।
44. कुछ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि नए उत्पादकों/निर्यातकों के लिए शुल्क को पुनःनिर्धारित करना चाहिए। इस मामले की जांच की गई है और यह नोट किया गया है कि वर्तमान समीक्षा में प्राधिकारी कानूनी प्रावधानों और पूर्व प्रक्रिया के अनुसार निर्धारण करेंगे।
45. मूल जांच में पाटन नहीं करते हुए पाए गए उत्पादकों के विरुद्ध जांच की समाप्ति के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी समाप्ति स्थापित न्याय-शास्त्र और उनकी स्वयं की प्रक्रिया के अनुसार नहीं होगी। मूल जांच के दौरान निर्यातक पर शून्य शुल्क लगाया गया परंतु उसके विरुद्ध जांच समाप्त नहीं की गई। प्राधिकारी ने संगत रूप से यह रख अपनाया है कि वह मूल जांच में शून्य शुल्क वाले किसी निर्यातक के विरुद्ध निर्णायक समीक्षा कर सकते हैं। रोबिन रिसोर्सिस बनाम भारत संघ मामले में माननीय सेस्टेट ने भी निम्नानुसार नोट किया है:

“9. हम नोट करते हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी मूल जांच में शून्य शुल्क वाले किसी निर्यातक पर विचार कर सकते हैं जिसे अब पाटन करते हुए पाया गया है और जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, उसके बाद एडी शुल्क पर समीक्षा के दौरान निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन

के संदर्भ में लगाने पर विचार किया जा सकता है। हम नोट करते हैं कि डीए ने एडीए के अनुच्छेद 2 और 3 और एडी नियमावली के संगत प्रावधानों का पालन किया है। हम यह भी नोट करते हैं कि अपीलकर्ताओं के संबंध में डीए ने मूल जांच के सभी पहलुओं की जांच और समीक्षा की है और इसके अलावा, यह जांच की है कि क्या आरंभिक अधिसूचना की समाप्ति से पाटन/घरेलू उद्योग की क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। जैसा पहले नोट किया गया है कि जहां तक अपीलकर्ता का संबंध है, यह एक नई जांच की तरह है और हमें निर्दिष्ट प्राधिकारी की इस कार्यवाही में कोई कानूनी कमजोरी नहीं दिखती है....”

46. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि आवेदक को डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े देने चाहिए और उसके बिना जांच आगे नहीं बढ़ सकती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े प्राप्त किए हैं। उक्त आंकड़ों के अनुसार जानकारी प्रकटन विवरण में दी गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को उन पर टिप्पणी करने का अवसर दिया गया था। इस प्रकार, किसी भी हितबद्ध पक्षकार के हित के प्रति कोई पक्षपात नहीं किया गया है।
47. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि बाजार अनुसंधान एजेंसी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने तथापि यह सिद्ध नहीं किया है कि पीसीआई वुड मेकेंजी के पास वर्तमान प्रयोजन के लिए पर्याप्त विश्वसनीयता और स्वीकार्यता नहीं है। पीसीआई और वुड मेकेंजी की रिपोर्ट पर पहले ही प्राधिकारी द्वारा विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में विचार किया गया है जैसे कि पीटीए, पीईटी रेजिन और फुली ड्रान यार्न के आयातों से संबंधित जांच। तदनुसार, प्राधिकारी को रिपोर्ट में दी गई जानकारी की अनदेखी करने का कोई कारण ज्ञात नहीं है। चूंकि यह रिपोर्ट एक स्वामित्व वाली रिपोर्ट है और विशिष्ट प्रयोजन से खरीदी गई है, इसलिए इसे शेयर नहीं किया जा सकता है। तथापि, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इस रिपोर्ट को खरीदने की स्वतंत्रता है।

छ. सामान्य मूल्य, बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, निर्यात कीमत और पाटन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

48. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. मूल जांच में, प्राधिकारी ने संगत तथ्यों की विस्तृत जांच के बाद एचसीएफ को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया था। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य में क्रमशः उत्पादक और निर्यातक का मौके पर सत्यापन भी किया था। वे सभी तथ्य जिनके आधार पर मूल जांच में एमईटी का दर्जा दिया गया था, अब भी समान हैं। अतः, वर्तमान निर्णायक समीक्षा में भी एमईटी का दर्जा जारी रहना चाहिए।
 - ख. एचसीएफ के सभी निदेशक और शेयरधारक कोरिया के मालिक और कंपनियां हैं। अतः, उनके प्रचालन में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है।
 - ग. भारतीय उपभोक्ताओं के साथ बिक्री स्थितियों के लिए बातचीत हियोसंग –कोरिया द्वारा सीधे की जाती है और एचसीएफ को एक पारदर्शी एसएपी प्रणाली के जरिए आदेश दिए जाते हैं। घरेलू बिक्री के लिए एचसीएफ को चीन के उपभोक्ताओं के साथ बिक्री संबंधी बातचीत के लिए हियोसंग – कोरिया द्वारा प्राधिकृत किया गया है। प्रमुख कच्ची सामग्रियां असंबंधित कंपनियों से खरीदी जाती हैं।
 - घ. एचसीएफ प्रत्येक महीने के पहले दिन सूचित मुद्रा सौदों में विदेशी मुद्रा सौदों के हस्तांतरण के लिए विदेशी विनिमय के राज्य प्रशासन द्वारा घोषित दरों के अनुसार वाणिज्यिक विनिमय दर को अपनाता है। एचसीएफ के निर्यात आय के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

- ड. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एचसीएफ कंपनी कानूनों, श्रम कानून, लेखांकन कानून, संविदा कानून, चीन जन.गण. के दिवालिया कानून या संपत्ति कानून के अन्तर्गत कोई अधिकार या छूट प्राप्त नहीं करता है। पीयूसी के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री पीईटी चिप्स हैं। जिस कीमत पर पीईटी चिप्स एचसीएफ द्वारा खरीदी जाती हैं वह अंतर्राष्ट्रीय कीमत दर्शाती है। इसके अलावा, पीयूसी के उत्पादन में प्रयुक्त आयलिंग एजेंट को एचसीएफ द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था देशों से आयातित किया जाता है।
- च. पीयूसी के विनिर्माण में प्रयुक्त सुविधाओं को सौदा कीमतों पर खरीदा जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से तुलनीय हैं।
- छ. एचसीएफ के प्रचालनों और कार्यकलापों पर कोई अन्य सरकारी प्रतिबंध नहीं है।
- ज. ची जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था नहीं माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य अनुच्छेद 2 के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए क्योंकि एक्सेसन प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया है। इस प्रकार, सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए 'प्रतिनिधि देश' निर्धारित करने की प्रक्रिया का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ईसी - फास्टनर (चीन) मामले में अपीलीय निकाय की हाल की रिपोर्ट का उल्लेख किया जा सकता है। चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानने से चीन डब्ल्यूटीओ के समक्ष ऐसे निर्धारण को चुनौती देने का अधिकार होगा।
- झ. भारत डब्ल्यूटीओ के सदस्य के रूप में 'व्यवस्था बनाए रखने' के सिद्धांत द्वारा बाध्य है और उसे 11 दिसंबर, 2016 से चीन को पूर्ण बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे की मान्यता देनी होगी।
- ञ. व्हाइट हाउस द्वारा जारी वक्तव्य और ईसी परिषद से संलग्न स्पष्टीकरण जापान के निर्णय से पता चलता है कि यूएस और यूरोपीय संघ भी यह समझ रखते हैं कि चीन को 11 दिसंबर, 2016 से केवल एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जा सकता है।
- ट. प्राधिकारी के पास चीन के उत्पादकों पर उनकी घरेलू कीमतों और लागतों की अनदेखी करते हुए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था सिद्धांतों पर प्रचालन करने पर विचार करने के लिए कोई कानूनी प्रावधान या पद्धति नहीं है। चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य संबद्ध वस्तु की उनकी घरेलू कीमतों और लागत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ठ. चीन के निर्यातकों के लिए उनकी घरेलू कीमतों और लागत के आधार पर पाटन मार्जिन के निर्धारण से पता चल जाएगा कि पाटन की कोई संभावना नहीं है।
- ड. घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने क्षति जांच अवधि के दौरान अपने निष्पादन में सुधार स्वीकार किया है।
- ढ. हियोसंग के बाजार अर्थव्यवस्था के दावे को स्वीकार किए जाना चाहिए, जैसा कि मूल जांच में सत्यापन के पश्चात किया गया था।
- ण. भारतीय प्राधिकारी को इस मामले के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन में प्रतिनिधि देश पद्धति का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसके बजाए घरेलू कीमतों और लागतों पर विचार करना चाहिए।
- त. नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अन्तर्गत यदि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से सूचना उपलब्ध नहीं हो तो सामान्य मूल्य प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। घरेलू उद्योग पर दायित्व है कि वह किसी अतर्कसंगत दूरी के बिना उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश का चयन करे। यह शेंनयांग मात्सुशिता मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के भी अनुसार है।
- थ. निर्यात कीमत में दावा किए गए समायोजन साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं।
- द. प्राधिकारी को प्रस्तुत उत्तरों का सत्यापन करना चाहिए और दिए गए वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन का आकलन करना चाहिए।

- ध. प्राधिकारी को पीओआई के बाद 6 महीने और न कि पीओआई से पहले के घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच द्वारा पाटन और क्षति की संभावना का समग्र आकलन करना चाहिए।(एमओपी का पैरा 17.30)
- न. घरेलू उद्योग के एक संयंत्र के बंद होने के बावजूद, बिक्री, लाभ, आय, पूंजी उपयोग आदि में पीओआई के दौरान वृद्धि हुई है।
- प. संबद्ध देश से बड़े हुए आयातों का कारण पाटन नहीं है बल्कि डाउनस्ट्रीम उद्योग के विकास के बाद घरेलू उद्योग की मांग है।
- फ. घरेलू उद्योग जानबूझकर पीओआई के बाद के आंकड़े देने से बच रहा है जो क्षति की संभावना निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- ब. चीन जन.गण. से आयातों में वृद्धि भारत में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को पूरा करने के लिए हुई है।
- भ. जब घरेलू उद्योग ने तीसरे देशों (ताइवान और वियतनाम) से आने वाले आयातों से क्षति का दावा नहीं किया है, तो चीन से पाटन और क्षति की संभावना नहीं हो सकती है।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

49. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. चीन को एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i), जो अभी समाप्त नहीं हुआ, के प्रावधानों के अन्तर्गत गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। प्राधिकारी ने हाल के सभी मामलों में चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना है।
 - ख. भारत ने “व्यवस्था बनाए रखने” के प्रावधानों के अनुसार असंगत कार्य नहीं किया है क्योंकि चीन ने विकृतियां समाप्त नहीं की हैं और बाजार द्वारा कीमत निर्धारित नहीं होती है।
 - ग. यूएसए और यूरोपीय संघ ने भी चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानना जारी रखा है। वास्तव में, चीन ने ऐसे व्यवहार के विरुद्ध डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान निकाय से संपर्क किया है, परंतु अपना अनुरोध वापस ले लिया है।
 - घ. हिओसंग को छोड़कर किसी भी उत्पादक ने एनएमई प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है।
 - ड. चूंकि केवल एक उत्पादक को छोड़कर किसी अन्य ने यह नहीं दर्शाया है कि उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां हैं, इसलिए प्राधिकारी के लिए चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना अपेक्षित नहीं है।
 - च. चूंकि तीसरे बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत के संबंध में और तीसरे देशों से आयातों की पीसीएन-वार कीमत के बारे में कोई सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नहीं है, इसलिए सामान्य मूल्य को भारत में देय कीमत में तर्कसंगत लाभ मार्जिन के समायोजन के बाद उसके आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए।
 - छ. हितबद्ध पक्षकार यह स्पष्ट करने में विफल रहा है कि प्राधिकारी को सामान्य मूल्य के परिकलन हेतु प्रतिनिधि देश की पद्धति पर क्यों विचार नहीं करना चाहिए।
 - ज. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, आवेदक के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले उचित देश के चयन की सूचना देना अपेक्षित नहीं है। अन्य पक्षकार भी इसका सुझाव देने के लिए स्वतंत्र है।
 - झ. परिकलित सामान्य मूल्य को वास्तविक उत्पादन लागत पर निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि यह मानना उचित नहीं है कि चीन में उत्पादक सबसे ईष्टतम उत्पादन लागत पर अपने संयंत्रों का प्रचालन कर रहे हैं।

- ज. यद्यपि हेंगली ने दावा किया है कि पाटन मार्जिन घरेलू कीमतों या लागत पर आधारित होना चाहिए, परंतु उसने एमईटी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- ट. निर्यात कीमत के लिए समायोजन का दावा प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। चूंकि उत्पादकों ने जांच में भाग लिया है, इसलिए निर्यात कीमत को उनके आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
- ठ. निर्यातकों से पीओआई के बाद के आंकड़े भी देने के लिए कहना चाहिए और ऐसे आंकड़े नहीं देने वाले निर्यातक को असहयोगी माना जाना चाहिए।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

50. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है: “जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 (‘पाटनरोधी करार’) के अनुच्छेद VI और एससीएम करार के कार्यान्वयन संबंधी करार किसी डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन की मूलता के आयातों वाली कार्यवाही पर निम्नानुसार लागू होंगे:

“(क) गैट, 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था

संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

51. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद 15 (क) (II) में निहित प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया है, प्रवेश नवाचार के 15 (क) (I) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जा का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में दिए जाने हेतु सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट किए जाने के लिए भारत की नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित हैं। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने एमईटी/पूरक प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित रूप में और तरीके से प्रस्तुत नहीं किया है, सामान्य मूल्य की गणना इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। यह नोट किया गया है कि चीन जन.गण. से एक उत्पादक को छोड़कर किसी भी उत्पादक ने यह सिद्ध करते हुए सूचना प्रस्तुत नहीं की है कि वे बाजार अर्थ-व्यवस्था की दशा में प्रचालन कर रहे हैं।
52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स हुआसुंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. ने अपने व्यापारी मैसर्स हुआसुंग एडवांस्ड मैटेरियल्स कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य के साथ वर्तमान जांच में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) प्रश्नावली प्रस्तुत की है।
53. निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर और इन प्रतिवादी उत्पादकों और निर्यातकों के बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली के उत्तर की जांच की गई थी। सत्यापनों के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था के दावे संबंधी स्थिति का सारांश नीचे दिया गया है।

मैसर्स हुआसुंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. ("एचसीएफ") और मैसर्स हुआसुंग एडवांस्ड मैटेरियल्स कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य ("एचएएमसी") के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार

54. प्राधिकारी ने हुआसुंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कंपनी लिमिटेड द्वारा किए गए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार संबंधी दावे की जांच की है क्योंकि कंपनी ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली का उत्तर दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हुआसुंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कंपनी लिमिटेड के दो शेयरधारक अर्थात् हुआसुंग एडवांस्ड मैटेरियल्स कारपोरेशन ("एचएएमसी") और हुआसुंग स्पेन्डेक्स (जियाक्सिंग) कंपनी लिमिटेड ("एचएसजेसी") हैं। दोनों शेयरधारक हुआसुंग समूह के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं। अतः, एचसीएफ की अंतिम धारक कंपनी हुआसुंग कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य है।
55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचसीएफ चीन जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक है और उसने अपने संबंधित निर्यातक अर्थात् एचएएमसी, कोरिया गणराज्य के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। दोनों कंपनियों ने वर्तमान जांच में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है।
56. मूल जांच में मैसर्स हुआसुंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. (एचसीएफ) और उसके व्यापारी मैसर्स हुआसुंग एडवांस्ड मैटेरियल्स कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य ("एचएएमसी") द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों का मौके पर सत्यापन चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य ने क्रमशः कंपनियों के परिसर में किया गया था और उन्हें विस्तृत सत्यापन रिपोर्ट जारी की गई थी। वर्तमान समीक्षा जांच में प्राधिकारी ने मैसर्स हुआसुंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. और व्यापारी

मैसर्स हुआसुंग एडवांस्ड मैटरियल्स कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य ('एचएएमसी') के बाजार अर्थव्यवस्था के दावे से संबंधित रिकॉर्डों का डेस्क पर सत्यापन किया है।

57. प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन के दौरान एचसीएफ के रिकॉर्ड सत्यापित किए हैं। यह नोट किया गया था कि एचसीएफ *** के नियंत्रण में कार्य करता है जो *** के पूर्ण स्वामित्व में है। यहां तक कि ***, चीन जन.गण. ('एचएसजेसी') जिसके पास एचसीएफ में थोड़ी शेयरधारिता है, अन्ततः *** के स्वामित्व में है। एचसीएफ के निदेशक बोर्ड में सभी कोरिया के नागरिक हैं और एचसीएफ के निदेशक बोर्ड में चीन का कोई नागरिक (सरकारी या अन्यथा) नहीं है।
58. प्राधिकारी मानते हैं कि कंपनी को मूल जांच में बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार दिया गया था। वर्तमान समीक्षा के दौरान घरेलू उद्योग ने पूर्ववर्ती निर्धारण की समीक्षा को आवश्यक बनाने के लिए किसी परिवर्तित परिस्थिति को दर्शाने वाला कोई रिकॉर्ड का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और न ही पूर्ववर्ती निर्धारण की समीक्षा करने के लिए रिकॉर्ड में कोई अन्य सूचना/साक्ष्य मौजूद है और वर्तमान जांच लागू एडीडी की एक निर्णायक समीक्षा जांच है। अतः, प्राधिकारी मूल जांच के निर्धारण को जारी रखते हुए, एचसीएफ और एचएएमसी को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान करते हैं।

मैसर्स हुआसुंग केमिकल फाइबर (जियाक्सिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. (एचसीएफ) और मैसर्स हुआसुंग एडवांस्ड मैटरियल्स कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य (एचएएमसी) के लिए सामान्य मूल्य

59. उत्पादक/निर्यातक को ऊपर स्पष्ट किए गए अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में प्रचालन करता हुआ पाया गया था।
60. एचसीएफ और एचएएमसी द्वारा दायर उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचसीएफ और एचएएमसी ने पीओआई के दौरान भारत को केवल एक पीसीएन का निर्यात किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने उसी पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। यह नोट किया गया था कि पीओआई के दौरान एचसीएफ ने घरेलू बाजार में तुलनीय पीसीएन की बिक्री की है [*** एमटी]। घरेलू बाजार में सभी बिक्रियां पीओआई के दौरान गैर-संबद्ध पक्षकारों को की गई थी। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की पाटन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया था। यह नोट किया गया था कि लाभप्रद सौदे 80 प्रतिशत से कम थे। तदनुसार, सामान्य मूल्य की गणना हेतु केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर विचार किया गया है।
61. एचसीएफ ने अंतरदेशीय भाड़े और घरेलू बिक्री कीमत से ऋण संबंधी खर्चों के लिए समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन के बाद इन समायोजनों की अनुमति दी है। तदनुसार, एचसीएफ के लिए सामान्य मूल्य परिकलित किया गया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

चीन जन.गण. से सभी अन्य उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से एक उत्पादक को छोड़कर, किसी भी उत्पादक ने अपने स्वयं के डाटा/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए दावा नहीं किया है; सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसरण में किया गया है, जो निम्नानुसार है:

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश या भारत सहित अन्य देशों को ऐसे तीसरे देश से कीमत के आधार पर अथवा जहां ऐसा करना संभव नहीं है या अन्य उचित आधार पर, जिसमें विधिवत रूप से समायोजित, यदि अनिवार्य हो, एक उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए, कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एक उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन संबंधित देश और प्रश्नाधीन उत्पाद के विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए

किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर उचित ध्यान दिया जाएगा। किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में, किसी समान मामले में की गई जांच की, जहां उचित हो, समयावधि के भीतर हिसाब लिया जाएंगे। जांच किए जाने वाले पक्षकारों को बिना किसी अनावश्यक विलंब के बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उक्त चयन के बारे में सूचित किया जाएगा और उन्हें उनकी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उचित समयावधि प्रदान की जाएगी।”

63. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार, सामान्य मूल्य को एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर या भारत सहित अन्य देशों को ऐसे देश से निर्यातों की कीमत के आधार पर भी निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि, किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में बिक्री कीमत या उत्पादन की लागत के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में पीसीएन को अपनाने के कारण वर्तमान जांच में भारत सहित किसी अन्य देशों को किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से निर्यात कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता। वर्तमान जांच में पीसीएन-वार तुलना किया जाना जरूरी है।
64. इसलिए, प्राधिकारी ने भारत में चीन जन.गण. से संबद्ध आयातों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन “किसी अन्य उचित आधार पर” किया है। चीन जन.गण. से सभी अन्य उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण विधिवत समायोजित, भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर और बिक्री, सामान्य व प्रशासनिक व्ययों तथा एक उचित लाभ मार्जिन के लिए उचित परिवर्धनों के आधार पर निर्धारण किया गया है। इसका नीचे पाटन-मार्जिन सारणी में उल्लेख किया गया है।

निर्यात कीमत का निर्धारण

65. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दायर किए हैं:

- i. हुझोऊ यूनिफुल इंडस्ट्रियल फाइबर कंपनी लिमिटेड
- ii. ह्योसंग एडवांस्ड मैटीरियल्स कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य
- iii. ह्योसंग केमिकल फाइबर (जियांगशिंग) कंपनी लिमिटेड
- iv. जियांगसू हेंगली केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड
- v. जियांगसू तायजी इंडस्ट्री न्यू मैटीरियल्स कंपनी लिमिटेड
- vi. ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लिमिटेड
- vii. झेजियांग गुशियानदाओ पॉलिएस्टर डोप डाइड यार्न कंपनी लिमिटेड
- viii. झेजियांग यूनीफल इंडस्ट्रियल फाइबर कंपनी लिमिटेड

ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लिमिटेड

66. ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सुझोऊ) लिमिटेड (जिसे यहां “ओटीआईजेड” कहा गया है) चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है। ओटीआईजेड संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करता है और भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही निर्यात करता है। ओटीआईजेड ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में यथा निर्धारित प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराई है।
67. ओटीआईजेड ने अपने उत्तर के परिशिष्ट 3 में भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों से संबंधित पीसीएन-वार सूचना उपलब्ध कराई है। यह नोट किया गया है कि ओटीआईजेड ने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को ***मी.टन

का निर्यात किया है। ओटीआईजेड ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्ययों, क्रेडिट लागत और बैंक प्रभारों के कारण समायोजनों का दावा किया है जिसे उचित सत्यापन के बाद प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।

68. प्राधिकारी ने ओटीआईजेड द्वारा प्रश्नावली उत्तरों में भारत को निर्यातों के लिए पीसीएन-वार सूचना की जांच की है। ओटीआईजेड के लिए निर्धारित निर्यातों को नीचे पाटन मार्जिन सारणी में दिया गया है।

झेजियांग गुशियानदाओ पॉलीस्टर डोप डाइड यार्न कंपनी लिमिटेड

69. झेजियांग गुशियानदाओ पॉलीएस्टर डोप डाइड यार्न कंपनी लिमिटेड (जिसे यहां “गुशियानदाओ” कहा गया है) चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है। गुशियानदाओ संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करता है और भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही निर्यात करता है। गुशियानदाओ ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में यथा निर्धारित संगत सूचना उपलब्ध कराई है।
70. गुशियानदाओ ने अपने उत्तर के परिशिष्ट 3क में भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों से संबंधित पीसीएन-वार सूचना उपलब्ध कराई है। यह नोट किया गया है कि गुशियानदाओ ने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं के *** मी.टन का निर्यात किया है। गुशियानदाओ ने समुद्री माल भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्ययों, क्रेडिट लागत और बैंक प्रभारों के कारण समायोजनों का दावा किया है जिसके लिए प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।
71. प्राधिकारी ने गुशियानदाओ द्वारा प्रश्नावली में दी गई भारत को किए गए निर्यातों के लिए पीसीएन-वार सूचना का सत्यापन किया है। गुशियानदाओ के लिए निर्धारित भारांशित औसत निर्यात कीमत का नीचे पाटन मार्जिन सारणी में उल्लेख किया गया है।

मैसर्स जियांगसू ताएजी इंडस्ट्री न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) चीन जन.गण.

72. जियांगसू ताएजी इंडस्ट्री न्यू मैटीरियल कंपनी लिमिटेड (जिसका यहां “ताएजी” के रूप में उल्लेख किया गया है) चीन जन.गण. से एक उत्पादक है।
73. ताएजी ने अपने प्रश्नावली उत्तर के परिशिष्ट 3क में भारत के निर्यातों से संबंधित पीसीएन-वार सूचना उपलब्ध कराई है। पीओआई के दौरान, ताएजी ने एफओबी आधार पर भारत को सीधे ही *** मी.टन का निर्यात किया है। ताएजी ने अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्ययों, बैंक प्रभारों और क्रेडिट लागतों के कारण समायोजनों का दावा किया है जिसे डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकृति प्रदान की गई है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित की गई निर्यात कीमत का नीचे पाटन मार्जिन सारणी में उल्लेख किया गया है।

मैसर्स झेजियांग यूनिफुल इंडस्ट्रियल फाइबर कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) चीन जन.गण. और मैसर्स हुझोऊ यूनिफुल इंडस्ट्रियल फाइबर कंपनी लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) चीन जन.गण.

74. झेजियांग यूनिफुल इंडस्ट्रियल फाइबर कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. (जिसे यहां यूनिफुल कहा गया है) चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है। पिछले तीन वर्षों में, कंपनी की संरचना में कुछ विशिष्ट परिवर्तन हुए हैं। कंपनी की संरचना में प्रमुख परिवर्तन 28 सितंबर, 2019 को हुए हैं।***
75. यूनीफुल ने अपने प्रश्नावली उत्तर के परिशिष्ट 3क में भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों से संबंधित पीसीएन-वार सूचना उपलब्ध कराई है। पीओआई के दौरान, यूनीफुल ने सीआईएफ आधार पर भारत को सीधे ही ***मी.टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। इसके अलावा, यह भी नोट किया गया है कि यूनीफुल ने एक संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात् हुझोऊ यूनीफुल इंडस्ट्रियल फाइबर कंपनी लिमिटेड के जरिए भारत को अप्रत्यक्ष रूप से ***मी.टन के ***अमरीकी डॉलर की इनवॉयस मूल्य संबद्ध वस्तुओं का भी निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री माल भाड़े, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन और पत्तन संबंधी व्ययों, क्रेडिट

लागत और बैंक प्रभारों तथा क्रेडिट लागत के कारण समायोजनों का दावा किया है, जिसे डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकृति प्रदान की गई है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित भारांशित औसत निर्यात कीमत का पाटन मार्जिन सारणी में उल्लेख किया गया है।

मैसर्स ह्योसंग केमिकल फाइबर (जियांगशिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.(एचसीएफ) और मैसर्स ह्योसंग एडवांस्ड मैटीरियल कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य (एचएएमसी)

76. ह्योसंग केमिकल फाइबर (जियांगशिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है और इसका एक संबंधित व्यापारी अर्थात् ह्योसंग, एडवांस्ड मैटीरियल्स कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य है। ह्योसंग ने अपने प्रश्नावली उत्तर में भारत को किए गए निर्यातों की पीसीएन-वार सूचना उपलब्ध कराई है। उक्त संबंधित कंपनियों द्वारा दायर किए गए उत्तर से यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान, उत्पादन ने अपने इस संबंधित पक्षकार के जरिए भारत को *** मी.टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन के जरिए डाटा का सत्यापन किया है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित की गई निर्यात कीमत का नीचे पाटन मार्जिन सारणी में उल्लेख किया गया है।

मै. जियांगशू हेंगली कैमिकल फाइबर कं. लि. की निर्यात कीमत का निर्धारण

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स जियांगसू हेंगली केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड (जिसे यहां हेंगली कहा गया है) चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है और इसने पीओआई के दौरान सीधे ही भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। हेंगली ने भारत को निर्यातों की पीसीएन-वार सूचना उपलब्ध कराई है।
78. पीओआई के दौरान, हेंगली ने भारत को संबद्ध वस्तुओं की कुल *** कि.ग्रा. मात्रा का निर्यात किया है। हेंगली ने अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और संभाल व्ययों और क्रेडिट लागत के कारण समायोजनों का दावा किया है जिसे डेस्क सत्यापन के बाद प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। तदनुसार इस प्रकार निर्धारित भारांशित औसत निर्यात कीमत का नीचे पाटन मार्जिन सारणी में उल्लेख किया गया है।

चीन जन.गण. से अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए

79. अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, निर्यात कीमत को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस का पाटन मार्जिन सारणी में उल्लेख किया गया है।

पाटन मार्जिन

80. वर्तमान जांच में प्रस्तावित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	देश	उत्पादक का नाम	सीएनवी/एनवी अमरीकी डॉलर प्रति कि.ग्रा.	एनईपी अमरी की डालर प्रति कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन अमरी की डालर प्रति कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन %	रेंज
1	चीन	झेजियांग गुशियानदाओ पॉलीएस्टर डोप डाइड यार्न कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30%
2	चीन	ओरिएंटल इंडस्ट्रीज लिमिटे (सुझोऊ)	***	***	***	***	10-20%
3	चीन	ह्योसंग केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड (जियांगशिन)	***	***	***	***	0-10%
4	चीन	जियांगसू हेंगली केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40%
5	चीन	झेजियांग यूनिफुल इंडस्ट्रियल फाइबर कंपनी लिमिटेड - जोड़	***	***	***	***	40-50%
6	चीन	अन्य सभी	***	***	***	***	40-50%

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन और पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना
 ज1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

81. क्षति, कारणात्मक संबंध का पाटन व क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क. धारा 9क(5) और नियम 23 इसे स्पष्ट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का समापन आदर्श है और इसको जारी रखना एक अपवाद है। इसका यूनाइटेड स्टेट्स कारोजन - एसिसटेड कार्बन स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स और यूएस - ओसीटीजी निर्णायक समीक्षाओं में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के निर्णयों द्वारा भी समर्थन किया गया है। वर्तमान मामले में, ऐसे कोई आपवादिक परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं और केवल यही उचित है कि प्राधिकारी वर्तमान समीक्षा में निष्कर्ष देते हैं कि पाटनरोधी उपायों के जरिए घरेलू उद्योग को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है और किसी अधिक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है।
- ख. चूंकि, उत्पाद के दायरे को इस सतर पर बदला नहीं जा सकता, विचाराधीन उत्पाद के लिए आंकड़ों को मांग और अन्य क्षति संबंधी सूचना से बाहर रखा जाना चाहिए।
- ग. प्रवंचनारोधी उत्पादों के आयातों के कारण निष्पादन पर लगातार विपरीत प्रभाव और दुर्बलता के संबंध में मौखिक सुनवाई में घरेलू उद्योग के दावे घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन में किए गए दावों के अनुरूप नहीं हैं।
- घ. आरआईएल एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित नहीं है। यह एक वृहत स्तर का उपक्रम है और इसे एक दुर्बल उद्योग नहीं समझा जा सकता।
- ङ. घरेलू उद्योग के दावों के विपरीत, विचाराधीन उत्पाद के आयातों में समय के साथ-साथ वृद्धि हुई है।
- च. मांग-आपूर्ति अंतर को समाप्त करने के लिए आयातों में वृद्धि हुई है, चूंकि, मांग में वृद्धि के अनुरूप घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वृद्धि नहीं हुई है जो डाउनस्ट्रीम उद्योग के विकास के अनुसरण में वृद्धि की साक्षी है। यह घरेलू उद्योग की घटती हुई माल सूचियों से भी साक्ष्य है।
- छ. चीन से आयातों और घरेलू उद्योग की निष्पादन के बीच कोई सह-संबंध नहीं है क्योंकि आयातों की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ घरेलू उद्योग के निष्पादन में भी वृद्धि हुई है।
- ज. याचिकाकर्ता ने संबद्ध वस्तुओं के बढ़े हुए आयातों के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से बताया है और जानबूझ कर घरेलू उद्योग को क्षति का आविष्कार किया। भारतीय याचिकाकर्ता की वित्तीय स्थिति में हास, यदि कोई हो, अन्य कारकों के परिणाम स्वरूप है।
- झ. क्षमता उपयोग, बिक्रियों, लाभ, आय आदि के संदर्भ में घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में इसके संयंत्रों में से एक के बंद होने और सकारात्मक कीमत कटौती के बावजूद महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
- ञ. प्राधिकारी इस दावे पर विश्वास करने से पूर्व कि आवेदक को निर्यात करने के लिए विवश किया गया था, निर्यात कीमत और आवेदक की घरेलू बिक्री कीमत की जांच कर सकते हैं।
- ट. संयंत्र बंद होने के कारण क्षमता में गिरावट के बावजूद, याचिकाकर्ता के उत्पादन और क्षमता उपयोग और बिक्रियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- ठ. समय के साथ याचिकाकर्ता के औसत भंडार में गिरावट आई है जिस का अर्थ है कि याचिकाकर्ता उस सब की बिक्री करने में सक्षम है जिसका वह उत्पादन कर रहा है।
- ड. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्से में गिरावट संयंत्र के बंद होने के कारण है, जहां आयातों के हिस्से में मांग-आपूर्ति अंतर के कारण वृद्धि हुई है। फिर भी, प्रमुख बाजार हिस्सा अभी भी घरेलू उत्पादकों द्वारा कब्जा किया जा रहा है।

- ढ. पिछले मामलों में भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश नहीं की है, जहां घरेलू उद्योग महत्वपूर्ण लाभ अर्जित कर रहा था।
- ण. कर्मचारियों की संख्या और मजदूरियों में गिरावट घरेलू उद्योग के संयंत्र के बंद होने के कारण हो सकती है और उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
- त. इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या लागत में गिरावट कच्चे माल की लागत में गिरावट के कारण है।
- थ. घरेलू उद्योग आयात कीमतों में गिरावट के संबंध में भारांशित औसत कीमतों के आधार पर यह विश्लेषण कर रहा है न कि कच्चे माल की कीमतों के अनुसरण में।
- द. आवेदक द्वारा पीसीएन-वार पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और कीमत कटौती उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है।
- ध. आवेदक पीसीएन-वार मार्जिन पर पहुंचने में असफल रहा है और उसने उत्पादों के विभिन्न प्रकारों में अंतरों की उपेक्षा की है जिसकी कीमतों में बाजार में बिक्री करते समय महत्वपूर्ण अंतर हो सकता है। अतुलनीय वस्तुओं का ऐसा सामान्यीकरण आंकड़ों को प्रस्तुत करने और उसके किसी विश्लेषण को लागू करने की प्रक्रिया के विपरीत है।
- न. पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति या जारी रहने की संभावना को सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उद्योग के पीओआई पश्चात निष्पादन की प्राधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए।
- प. पीओआई की तुलना में पीओआई पश्चात अवधि में मात्रा संबंधी मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन में कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं आई है।
- फ. अप्रैल-सितंबर, 2023 के लिए पीओआई पश्चात आंकड़ों को प्रस्तुत करने का कोई आधार नहीं है और इसका बही खातों में कोई आधार नहीं है।
- ब. पीओआई और पीओआई पश्चात आंकड़ों में अंतर है जिसे स्पष्ट नहीं किया गया है। पीओआई से एक वित्तीय वर्ष के अंतर के साथ पीओआई पश्चात आंकड़ों पर विचार करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।
- भ. बिक्री कीमत में तदनुसूची वृद्धि के बिना बिक्रियों की लागत में वृद्धि के कारण पीओआई पश्चात आंकड़ों में हानियां उपगत की गई हैं, क्योंकि आवेदक अकुशल हो गया है। प्रति यूनिट निवल बिक्री आय में वृद्धि, मूल्यहास, ब्याज लागत स्थायी परिसंपत्तियों में कमी और पीओआई पश्चात आंकड़ों पर क्षमता उपयोग में लगभग बिना किसी परिवर्तन के बावजूद, आवेदक ने नकारात्मक पीबीआईटी, पीबीडीआईटी और नकद लाभ दर्शाया है।
- म. इस का कोई साक्ष्य नहीं है कि पीओआई पश्चात अवधि में हुई हानियां ओटीआईजेड अथवा गुशियानदाओ के कारण है।
- कक. पाटन रोधी शुल्कों के अध्यधीन क्षति अवधि में चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयात न्यूनतम रहे हैं। चीन जन.गण. से अधिकतम संबद्ध आयात अग्रिम लाइसेंस के तहत स्वीकृत थे और ऐसे उत्पादकों से आयात किए गए थे जिन्हें मूल जांच में शुल्क की "शून्य" दर प्रदान की गई थी। इसके अलावा, क्षति अवधि में चीन जन.गण. से आयातों का 85 प्रतिशत से अधिक भाग पाटनरोधी शुल्कों के अधीन नहीं थे और चीन जन.गण. से केवल 4-11 प्रतिशत आयतों पर पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किया गया था। यदि पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करता है तो अग्रिम लाइसेंस के तहत आयात जारी रहेंगे और शुल्क से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।
- खख. शुल्क को जारी रखना घरेलू उद्योग को कोई ठोस लाभ प्रदान नहीं करेगा, जबकि यह प्रयोक्ताओं को विपरीत रूप से प्रभावित कर रहा है।

- गग. चीन जन.गण. से आयात बाजार पर अधिकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अग्रिम लाइसेंस के तहत आयातित किया गया है।
- घघ. घरेलू उद्योग को किसी क्षति और क्षति के जारी रहने की संभावना नहीं है क्योंकि समय के साथ इसके निष्पादन में सुधार हुआ है।
- ड.ड. घरेलू उद्योग के इस दावे कि शुल्क की प्रवंचना पाटन और क्षति की संभावना को दर्शाती है और यह कि प्रवंचनाकारी आयातों के कारण वह उचित कीमतों पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रवंचना संबंधी जांच अभी समाप्त नहीं हुई है।
- चच. समय के साथ-साथ घरेलू उत्पादकों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि, 3 उत्पादकों से 6 उत्पादक की हुई है जो दर्शाती है कि क्षति की कोई संभावना नहीं है।
- छछ. चूंकि, घरेलू उद्योग ने भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता को स्थापित नहीं किया है, इसलिए यूरोपीय संघ और यूएसए द्वारा उपायों को लागू किए जाने से और चीन जन.गण. के उत्पादकों के उन्मुखीकरण के कारण भारतीय बाजार को उनकी अतिशय क्षमता के विपणन की कोई संभावना नहीं है।
- जज. ईयू अथवा यूएसए द्वारा की गई जांच की तुलना में इस पुनरीक्षा जांच में उत्पाद का दायरा सीमित है।
- झझ. चूंकि, आटोलिव ने प्रवंचनाकारी उत्पाद का आयात नहीं किया है, इसलिए इसके आयातों के कारण पाटन या क्षति की कोई संभावना नहीं हो सकती।
- ञञ. एचसीएफ और एचएएमसी ने भारत को कथित प्रवंचनाकारी उत्पादों का निर्यात नहीं किया है और इसलिए घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। इसलिए, यह घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना का संभावित कारण नहीं हो सकता। इसके अलावा, एचसीएफ और एचएएमसी ने पीओआई अथवा क्षति अवधि में ईयू अथवा यूएसए बाजार को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है। इसलिए, ईयू और यूएसए द्वारा उपायों को लागू किया जाना एचएएमसी अथवा एचसीएफ लिमिटेड को अपनी उत्पादित मात्राओं को भारत को विपणित करने के लिए मजबूर नहीं करेगा।
- टट. ह्योसंग ने क्षमता में वृद्धि नहीं की है किंतु क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है, और इसके पास कोई अधिशेष क्षमता उपलब्ध नहीं है।
- ठठ. चूंकि, हेंगली के कारण पाटन और/या क्षति की कोई संभावना नहीं है, वर्तमान जांच में शुल्कों को समाप्त किए जाने की जरूरत थी। पाटन का दावा बढ़ा-चढ़ाकर किया गया है और घरेलू कीमतों और लागतों पर आधारित सही पाटन मार्जिन किसी पाटन मार्जिन या पाटन की संभावना की ओर संकेत नहीं करते।
- डड. ओटीआईजेड और झेजियांग गुशियानदाओ द्वारा निर्यातों के कारण क्षति की कोई संभावना नहीं है क्योंकि इसने कोई क्षमता विस्तार नहीं किया है, इसका क्षमता उपयोग 85-95 प्रतिशत है, यह मुख्य रूप से घरेलू बाजार और तीसरे देशों में बिक्री करता है और भारत को इसके निर्यातों में कमी आई है। ओटीआईजेड भारत की कीमतों की तुलना में तीसरे देशों को अधिक ऊंची कीमतों पर निर्यात कर रहा है। इसके अलावा, ओटीआईजेड द्वारा कोई प्रवंचना नहीं की गई है।
- ढढ. संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की नाजुक स्थिति से संबंधित दावा मान्य नहीं है क्योंकि पूरी क्षति अवधि के दौरान तीसरे देशों अर्थात ताईवान और वियतनाम से आयात महत्वपूर्ण बने रहे हैं। इन देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इसके अलावा, ताईवान और वियतनाम की आयात कीमतें चीन जन.गण. की औसत कीमत की तुलना में काफी कम हैं।
- णण. चीन जन.गण. पर पाटनरोधी शुल्क को व्यक्तिपरक रूप से लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि वियतनाम और ताईवान से कम कीमतों पर उल्लेखनीय आयात आ रहे हैं। यदि ऐसे आयात घरेलू

- उद्योग की कीमतों में कटौती या ह्रास नहीं कर रहे हैं तो शुल्क को समाप्त करने की स्थिति में, चीन से उच्च कीमत वाले आयातों के कारण ऐसे ह्रास/कटौती की कोई संभावना नहीं है।
- तत. चीन (5 प्रतिशत) की तुलना में ताईवान (21 प्रतिशत) और वियतनाम (10 प्रतिशत) से कीमत कटौती उच्च है। इसके अलावा, यदि बिक्रियों की लागत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत चीन की कीमतों की तुलना में निम्न हैं, तब उत्पादन की लागत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत वियतनाम और ताईवान से कीमतों से निम्न होंगी।
- थथ. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है। तथापि, वियतनाम और ताईवान के लिए पाटन मार्जिन भी सकारात्मक और महत्वपूर्ण पाया गया है। ताईवान के लिए पाटन मार्जिन पीओआई भारत की कीमतों की तुलना में तीसरे देशों को अधिक ऊँची कीमतों पर निर्यात कर रहा है। इसके अलावा, ओटीआईजेड द्वारा कोई प्रवंचना नहीं की गई है।
- दद. घरेलू उद्योग की क्षति, यदि कोई है, तो वह पारस्परिक प्रतियोगता, अन्य देशों से कम कीमत वाले आयातों और घटे हुए निर्यात निष्पारन के कारण है।
- धध. आवेदक के तर्क अभी समाप्त नहीं हुई प्रवंचना-रोधी जांच पर आधारित हैं। ऐसी प्रवंचनाओं के अनुमान का उद्देश्य मात्र पुनरीक्षा कार्यवाहियों में उत्पाद के दायरे का गैर-कानूनी रूप से विस्तार करना और वर्तमान पुनरीक्षा में शुल्कों को लागू किए जाने को जारी रखने के लिए ऐसी “आपवादिक परिस्थितियों” का कृत्रिम रूप से सृजन करना है। यह कानून में निराधार है और इस तरह के दावों को खारिज कर दिया जाना चाहिए।
- नन. आवेदक ने कच्चे माल की लागत में परिवर्तन की तुलना में पीयूसी और पीयूआई की लागत में वृद्धि की तुलना की है। आवेदक ने आधार वर्ष के रूप में वर्ष 2018-19 को अपनाया है और उक्त आंकड़ों की केवल पीयूआई के आंकड़ों के साथ तुलना की है। यह अनुरोध किया जाता है कि आंकड़ों का वर्षानुवर्ष आधार पर भी विश्लेषण किए जाने की जरूरत है, जैसा कि अजेन्टीना – फुटवियर (डब्ल्यूटी/डीएस/121) में डब्ल्यूटीओ अपीलिय निकाय द्वारा धारित किया गया था।

ज2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

82. घरेलू उद्योग ने क्षति, कारणात्मक संबंध और पाटन एवं क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के आरोप कि आयातों तथा क्षति में वृद्धि हुई है, बढ़ाचढ़ा कर कहे गए हैं और - रिकॉर्ड पर दी गई सूचना के विपरीत है।
- ख. जहां अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि अन्य कारक घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित कर रहे हैं, उन्होंने पाटन से इंकार नहीं किया है।
- ग. पाटन मार्जिन शून्य शुल्कों के अध्यधीन निर्यातकों के लिए तथा अन्य निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण है जो लगातार और बढ़े हुए पाटन की संभावना की ओर संकेत करता है। प्रवंचनाकारी वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन अधिक हैं।
- घ. यह तथ्य कि चीन जनसे उत्पादक वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों का आश्रय ले रहे हैं .गण., दर्शाता है कि वे गैर पाटित कीमतों पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।-
- ड. हालांकि, वर्ष 2016-17 के बाद विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा में कमी आई है, जांचाधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है जो चीन जन.गण. से आयातों में समग्र वृद्धि को दर्शाता है।

- च. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के आरोपों के विपरीत, विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि अग्रिम प्राधिकरण के तहत आयातों में वृद्धि के कारण हैं और निर्यातकों से पाटनरोधी शुल्क के साथ साथ माल की प्रवंचना के अधीन नहीं हैं।
- छ. किसी निर्णायक समीक्षा में, आयातों की महत्वपूर्ण मात्रा और एक सकारात्मक पाटनरोधी मार्जिन शुल्कों को जारी रखने की जरूरत को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं।
- ज. मांग आपूर्ति अंतर को पाटने के लिए आयातों की जरूरत नहीं है क्योंकि भारतीय क्षमता देश में मांग-से अधिक है।
- झ. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।
- ञ. पहुंच कीमतों में गिरावट कच्चे माल की लागत में गिरावट की तुलना में कहीं अधिक हैं। यदि कच्ची सामग्री की गिरावट को शामिल न किया जाए तब भी पहुंच कीमतों में गिरावट कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगी।
- ट. घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वृद्धि मांग में वृद्धि के अनुरूप नहीं हैं।
- ठ. जहां चीन जन.गण. से उत्पादकों के बाजार हिस्से में तीव्र वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में केवल गिरावट हुई है।
- ड. आवेदक की माल सूचियों में उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय निर्यातों और प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्कों के कारण गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को उनके उत्पादन के महत्वपूर्ण हिस्से का निर्यात करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो अन्यथा भारत में अतिरिक्त मांग को पूरा कर सकता था।
- ढ. हालांकि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ है, स्थिति नाजुक बनी हुई है, जैसा कि निम्न संचयी लाभप्रदता, घरेलू उद्योग द्वारा महत्वपूर्ण निर्यातों, चीन जन से महत्वपूर्ण .गण.आयातों से देखा जा सकता है। निर्णायक समीक्षा के मामले में, लगातार विपरीत निष्पादन को एक सतत क्षति के रूप में समझा जाना चाहिए।
- ण. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट कच्चे माल की लागत में गिरावट के कारण नहीं है, क्योंकि लाभों में वृद्धि हुई है हालांकि अंशदान में कमी आई है। लाभों में वृद्धि उनकी परिवर्तन लागत को कम करने के लिए आवेदक द्वारा किए गए प्रयासों के कारण है।
- त. घरेलू उद्योग लाभ अर्जित करने में सक्षम है क्योंकि शुल्क वर्धित पहुंच कीमत इसकी बिक्री कीमत से उच्च है।
- थ. अप्रैल से सितंबर, 2022 की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है और इसने वित्तीय हानियां, नकद हानियां और निवेश पर ऋणात्मक आय का सामना किया है।
- द. यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो आयात कीमत उत्पादन की लागत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना में बहुत निम्न होगी।
- ध. घरेलू उद्योग के निष्पादन में केवल सुधार का अर्थ यह नहीं है कि कोई क्षति नहीं है।
- न. घरेलू उद्योग के लाभों के पीछे एकमात्र कारण विचाराधीन उत्पाद के आयातों की निम्न मात्रा और इसकी स्वयं की प्रतिस्पर्धात्मकता है।
- प. यदि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमतों पर प्रतिस्पर्धा के लिए विवश होना पड़ता है तो इसे संभवतः महत्वपूर्ण हानियां, नकद हानियां और निवेश पर ऋणात्मक आय अर्जित करनी पड़ सकती है।
- फ. बड़ी संख्या में पिछले मामलों में घरेलू उद्योग की नाजुक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है।

- ब. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के आरोपों के विपरीत, घरेलू उद्योग की नाजुक स्थिति से संबंधित दावे स्वयं आवेदन में ही किए गए थे।
- भ. चूंकि बहुत से अन्य कारकों के कारण निष्पादन में वर्ष प्रति वर्ष भिन्नता हो सकती है, एक समग्र या संचित आधार पर संपूर्ण अवधि में निष्पादन का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- म. आवेदक ने कर्मचारियों की संख्या और मजदूरी में गिरावट के कारण पाटन या क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना का दावा नहीं किया है।
- य. चीन जन.गण. से उत्पादक निर्यातोंमुखी हैं। उनके द्वारा धारित क्षमताएं वैश्विक मांग से अधिक हैं। उनकी क्षमताएं भारत में मांग के 40 गुणा से अधिक हैं।
- कक. चीन जन.गण. से उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण निष्क्रिय क्षमताएं हैं, जो भारत में मांग का लगभग 16 गुणा है।
- खख. चीन जनमें उत्पादकों ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है और अभी भी और अधिक विस्तार .गण. की योजना बना रहे हैं।
- गग. भारतीय बाजार में चीन जन.गण. से कुल निर्यातों का 7 प्रतिशत शामिल है और यह चीनी उत्पादकों के लिए तीसरी सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जो इसे एक महत्वपूर्ण बाजार बनाता है।
- घघ. जहां उत्तर देने वाले उत्पादकों में से एक ने दावा किया है कि भारतीय बाजार उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि इस की आपूर्तियों का प्रतिशत भारत को 87 किया जाता है।
- ड.ड. यूएसए ने चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयतों पर 25 प्रतिशत तक टैरिफ में वृद्धि की है और ईयू ने विचाराधीन उत्पादों पर शुल्क लागू किया है।
- चच. पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त करना न केवल इस समय शुल्क के अधीन आयातों पर प्रभाव डालता है बल्कि इस समय जो आयात शुल्क के अधीन नहीं हैं, उन पर भी प्रभाव डालता है। लागू शुल्कों के कारण, छूट प्राप्त आयातकों से आयात और अग्रिम अधिकारवाद के तहत आयात भी सापेक्ष रूप से - ऊंची कीमत पर किए गए। तथापि, शुल्क की अनुपस्थिति में, ऐसे आयातों की कीमत को कम करने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि इस समय शुल्क के अधीन किए गए आयात ऐसे आयातों की मात्रा में कटौती करेंगे।
- छछ. पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त करने के कारण प्रवंचनाकारी उत्पाद के आयातों में कमी होगी और विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि होगी क्योंकि तब निर्यातकों को शुल्क की प्रवंचना करने की कोई जरूरत नहीं होगी।
- जज. प्राधिकारी द्वारा विचार की गई उचित आय और संबद्ध वस्तुओं की पुनर्निवेश अर्थव्यवस्था पर विचार करते हुए, घरेलू उद्योग के निवेश पर वर्तमान आय बहुत कम है।
- झझ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के आरोपों के विपरीत, केवल घरेलू उत्पादकों की संख्या में वृद्धि का अर्थ यह नहीं है कि क्षति की कोई संभावना नहीं है।
- ञञ. जहां तक इस दावे का संबंध है कि भारतीय बाजार को माल के विपथन की संभावना का कोई साक्ष्य नहीं है, इस पर जोर दिया गया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना बाजार के रूप में भारत के महत्व, निष्क्रिय क्षमताओं एवं टैरिफ तथा यूएसए व ईयू द्वारा शुल्कों को दर्शाती है।
- टट. भारतीय उद्योग की कुल क्षमता कुल भारतीय मांग की तुलना में काफी अधिक है। यदि तीसरे देशों से आयातों द्वारा और अग्रिम अधिकारगई मांग को हटा दिया जाता है तो यह वाद के तहत पूरी की-देखा जा सकता है कि देश में पाटित आयातों का कोई कारण नहीं है।

- ठठ. जैसाकि यूएस-ओसीटीजी मामले में अपीलीय निकाय द्वारा अवलोकन किया गया है, किसी निर्णायक समीक्षा जांच में संभावित पाटन और संभावित क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं है।
- डड. घरेलू उद्योग को क्षति अन्य कारकों के कारण नहीं है।
- ढढ. ताईवान से आयात संबद्ध देश से आयातों की तुलना में ऊंची कीमत पर आ रहे हैं और वियतनाम से आयात अभी हाल ही में आरंभ हुए हैं और उनकी मात्रा निम्न है। ऐसे आयात घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट का कारण नहीं हैं और वर्तमान मामला लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद अपर्याप्त वृद्धि का है न कि महत्वपूर्ण क्षति का। किसी भी स्थिति में, किसी नए स्रोत से पाटन मूल स्रोत पर पाटनरोधी शुल्क की वापसी का कारण नहीं है।
- णण. प्रवंचनारोधी जांच प्रथम दृष्टया संतुष्टि के पश्चात आरंभ की गई है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना प्रवंचना को दर्शाती है। चाहे प्रवंचना किया गया उत्पाद घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कानून के अनुसार संबद्ध आयातों को क्षति के कारणों में से “एकमात्र” कारण है।
- तत. ऑटोलिव के अनुरोध के विपरीत, सिर्फ इसलिए कि यह प्रवंचना में संलग्न नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता कि इसके आयातों के कारण किसी पाटन या क्षति की संभावना नहीं है।
- थथ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत, संभावना संबंधी विश्लेषण पूरे देशवार हैं - न कि किसी कंपनी विशिष्ट।
- दद. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विपरीत, आवेदक ने याचिका में पीसीएनवार सूचना तथा साथ ही - पश्चात आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।-पीओआई हालांकि, अन्य पक्षकार ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उन्हें असहयोगी माना जाना चाहिए।

ज3. प्राधिकारी द्वारा जांच

83. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों और साक्ष्यों को ध्यान में रखा है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति संबंधी विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का यहां नीचे उल्लेख किया गया है।
84. इसके अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह व्यवस्था की गई है कि क्षति निर्धारण में से कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग की क्षति की ओर इंगित कर सकते हैं, “.....सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिन में पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल है।”
85. नियमों के तहत इस बात की आवश्यकता है कि यदि घरेलू उद्योग का निष्पादन यह दर्शाता है कि वर्तमान क्षति अवधि के दौरान इसे क्षति नहीं हुई है, तो प्राधिकारी को इस बात की जांच और निर्धारण करना चाहिए कि क्या वर्तमान शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
86. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच के लिए आगे बढ़ने से पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की पहले जांच की है। इस बात की जांच की गई है कि क्या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में या कुल रूप में आयातों में वृद्धि हुई है या मात्रा के लगातार महत्वपूर्ण बने हुए हैं। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जांच किया जाना अनिवार्य है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत से तुलना किए जाने पर पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव अन्यथा रूप से महत्वपूर्ण स्तर तक

कीमतों में ह्रास किया है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले कारक जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री आय, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसरण में विचार किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों को ध्यान में रखा है तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों एवं प्रयोज्य कानूनों पर विचार करते हुए इन का विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति संबंधी विश्लेषण वास्तव में पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का उल्लेख करता है।

87. इस दावे के संबंध में कि देश में अन्य घरेलू उत्पादकों के निष्पादन में सुधार हुआ है जबकि घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 11(2) के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा "घरेलू उद्योग की क्षति, घरेलू उद्योग को क्षति के खतरे, घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए उल्लेखनीय मंदी का निर्धारण" किया जाना अपेक्षित है। इसलिए, क्षति का मूल्यांकन किया जाना परिभाषित घरेलू उद्योग तक सीमित होना चाहिए।
88. बहुत से अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आरोप लगाया है कि प्रवंचनाकारी उत्पाद के आयात को क्षति निर्धारण में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने यहां नीचे प्रवंचनाकारी उत्पादों के आयात को शामिल करके और उसके बहिष्कार, दोनों प्रकार से क्षति संबंधी जांच आयोजित की है।
89. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि चूंकि, अग्रिम प्राधिकरण के तहत अधिकतर आयात किए गए हैं और ऐसे निर्यातकों द्वारा किए गए हैं जो पाटनरोधी शुल्कों को लागू किए जाने से छूट प्राप्त हैं, शुल्क को जारी रखने से कोई प्रयोजन पूरा नहीं होगा। प्रतिक्रिया में घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि इस समय शुल्क अदा किए गए आयातों की कीमतें अन्य आयातों की कीमतों के लिए बैचमार्क के रूप में काम करते हैं, और शुल्क के अभाव में, ऐसे आयातों की कीमतें निम्न होंगी, जो अन्य आयातों की कीमतों पर भी दबाव सृजित करेंगी। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि जहां आयातों की वर्तमान मात्रा केवल झूटी फ्री श्रेणी तक सीमित बनी हुई है, शुल्क को समाप्त किया जाना ऐसी स्थिति को उत्पन्न करेगा जहां उपभोक्ता पाटनरोधी शुल्क के बजाय आधारभूत सीमा शुल्क के भुगतान के बाद चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। इस प्रकार, आयातों की पहुंच कीमत में, शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में, पाटनरोधी शुल्क की राशि द्वारा कमी होगी।

1 मांगस्पष्ट/ खपत का आकलन

90. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों तथा सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में परिभाषित किया है। मांग के आकलन के लिए, चीन जन.गण. से प्रवंचनाकारी उत्पाद की मात्रा पर भी प्रवंचनारोधी जांचों में जारी किए गए अंतिम जांच परिणामों के अनुसार विचार किया गया है। इस प्रकार आकलन की गई मांग नीचे सारणी में दी गई है:-

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22 (पाटित आयात)
आवेदक की बिक्रियां	मीटन.	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	99	115	119	119
अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	मीटन.	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	121	110	146	146

संबद्ध आयात	मीटन.	4,048	8,503	11,495	11,659	11,365
संबद्ध आयात पाटित-गैर –	मीटन.					***
प्रबंधनाकारी आयात	मीटन.	218	1,599	3,222	6,768	6,768
अन्य आयात	मीटन.	4,354	2,969	4,331	4,815	4,815
प्रबंधनाकारी उत्पादों सहित मांग	मीटन.	30,778	37,234	44,074	52,226	52,226
प्रबंधनाकारी उत्पादों को शामिल न की गई मांग	मीटन.	30,560	35,635	40,851	45,458	45,458

91. यह देखा गया है कि समय के साथ संबद्ध वस्तुओं की मांग उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। तथापि, संबद्ध आयातों की वृद्धि कहीं ज्यादा है। जहां मांग में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहीं आयातों में 181% की वृद्धि हुई है।

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के दौरान भारत में स्थापित क्षमताएं 52,226 मी.टन से अधिक की स्थापित मांग की तुलना में ***मी.टन थी। इसलिए, देश में कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं है।

2. पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

93. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना अपेक्षित है कि क्या या तो कुल रूप में या भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष, पाटित आयातों की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनाथ, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के अधिप्राप्त सौदेवार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और पाटित आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22 (पाटित आयात)
संबद्ध आयात पीयूसी	मीटन.	4,048	8,503	11,495	11,659	11365
संबद्ध आयात –गैर पाटित पीयूसी	मीटन.					***
प्रबंधनाकारी आयात पीयूआई	मीटन.	218	1,599	3,222	6,768	6,768
अन्य आयात	मीटन.	4,354	2,969	4,331	4,815	4,815
कुल आयात	मीटन.	8,620	13,070	19,049	23,242	23,242
निम्न के संबंध में संबद्ध आयात (पीयूसी)						
भारतीय उत्पादन	%	9%	23%	33%	26%	25%
भारतीय खपत	%	13%	23%	26%	22%	22%
कुल आयात	%	47%	65%	60%	50%	49%
निम्न के संबंध में संबद्ध आयात (पीयूआई)						
भारतीय उत्पादन	%	1%	4%	9%	15%	15%
भारतीय खपत	%	1%	4%	7%	13%	13%
कुल आयात	%	3%	12%	17%	29%	29%

94. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने जोर दिया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों का एक महत्वपूर्ण भाग पर या तो अग्रिम प्राधिकरण के तहत किए जाने के कारण या मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के अधीन नहीं आने वाले निर्यातकों से आयातों के कारण वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों से छूट दी गई है। प्राधिकारी ने इसकी जांच की है और विचाराधीन उत्पाद के आयातों का विवरण निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
एए के तहत आयात	मीटन.	3,136	6,519	10,044	8,784
छूट प्राप्त निर्यातकों से आयात	मीटन.	717	1,722	1,030	2,097
अन्य आयात	मीटन.	196	262	421	778
कुल	मीटन.	4,048	8,503	11,495	11,659

95. यह देखा गया है कि:-

- क. इस अवधि में पीयूसी के आयातों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- ख. समान अवधि के दौरान प्रवंचनाकारी उत्पाद की मात्रा में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- ग. जहां विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भी वृद्धि हुई है, ऐसे आयातों का महत्वपूर्ण भाग या तो अग्रिम प्राधिकरण के तहत किया गया है या ऐसे निर्यातकों से किया गया है जो पाटनरोधी शुल्कों के दायरे से छूट प्राप्त हैं।
- घ. शुल्क अदा किए गए आयात विचाराधीन के आयातों का केवल 7 प्रतिशत और भारत में कुल संबद्ध आयातों का 4 प्रतिशत ठहरता है। इसके विपरीत, कथित प्रवंचनाकारी उत्पादों के आयात भारत में कुल संबद्ध आयातों के 37 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं।
- ड. इस प्रकार, शुल्क को लागू किए जाने के परिणाम स्वरूप, ड्यूटी-फ्री आयातों में कमी हुई है और इसके बजाय प्रवंचनाकारी उत्पाद के आयातों में वृद्धि के जरिए शुल्कों की कथित प्रवंचना की गई थी।
- च. इस अवधि में उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- छ. कुल आयातों में संबद्ध आयातों के हिस्से में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

96. कुछ पक्षकारों ने आरोप लगाया है कि मांग-आपूर्ति में अंतर के कारण आयातों में वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना दर्शाती है कि समग्र रूप में घरेलू उत्पादकों की क्षमता (**मी.टन) देश की मांग की तुलना में अधिक है। इसके अलावा, अन्य स्रोतों से आयातों ने भी बाजार हिस्सा खोया है, क्योंकि मांग में वृद्धि के बावजूद, उनकी मात्रा सापेक्ष रूप से स्थिर बनी हुई है।

3. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

97. नियमावली के अनुबंध-II (ii) के संदर्भ में, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किए जाने की जरूरत है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से अन्यथा रूप से महत्वपूर्ण सीमा तक कीमतों में ह्रास किया है या कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया है जो अन्यथा महत्वपूर्ण सीमा तक बढ़ गई होती। इस संबंध में, संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत की संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री आय के साथ तुलना की गई है।

क. कीमत कटौती

98. कीमत में कटौती का निर्धारण करने के लिए, सभी छूटों और करों को छोड़कर, व्यापार के समान स्तर पर उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत, के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें कारखाना द्वार स्तर पर निर्धारित की गई थीं। उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार कीमत कटौती की गणना की है।

विवरण	इकाई	पीयूसी	पीयूआई	कुल
कीमत कटौती	₹/मी.ट.	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	0-10	5-15	0-10

99. यह देखा गया है कि जांच की अवधि में संबद्ध देश के लिए कीमत कटौती विचाराधीन उत्पाद और कथित रूप से प्रवंचना वाले उत्पाद, दोनों के लिए सकारात्मक है।

ख. कीमत हास/न्यूनीकरण

100. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या संबंधित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को काफी हद तक कम कर दिया है या कीमत वृद्धि को रोक दिया है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में होती, घरेलू उद्योग द्वारा लागत और कीमतों में परिवर्तन के लिए दी गई सूचना क्षति अवधि के दौरान वांछित प्रभाव देखने के लिए पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि बिक्री कीमत में गिरावट का कारण उसकी अपनी क्षमताएं हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने अवधि के दौरान कच्चे माल की लागत की प्रवृत्ति के साथ बिक्री मूल्य की प्रवृत्ति की तुलना भी की है।

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बिक्री की लागत	₹/मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	89	73	87
बिक्री कीमत	₹/मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	80	75	92
पहुंच कीमत	₹/मी.ट.	1,28,290	1,05,527	86,975	1,17,532
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	82	68	92
पहुंच कीमत (एडीडी सहित)	₹/मी.ट.	1,65,269	1,42,460	1,26,674	1,56,707
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	116	130	105

101. यह देखा गया है कि बिक्री की लागत और बिक्री कीमत दोनों की अवधि में गिरावट आई है, लेकिन बिक्री की लागत में गिरावट अधिक है।

4. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

102. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मानदंडों की निम्नलिखित रूप में चर्चा की गई है:

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

103. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	100	79	79
उत्पादन – पीयूसी	मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	78	83	93
उत्पादन – संयंत्र	मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	83	81	94
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	83	103	120
घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	99	115	119
निर्यात बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	71	67	69

104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि :

- क. इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता कम हो गई है, क्योंकि उसने हजीरा स्थित अपने एक संयंत्र को बंद कर दिया है।
- ख. पहले एक संयंत्र के बंद होने के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई, लेकिन उसके बाद इसमें वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है।
- ग. घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्रियों में कमी आई है। तथापि, घरेलू उद्योग ने अभी भी अपनी कुल मात्रा का **% निर्यात किया है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि आयात और पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना के कारण घरेलू बाजार में अपने उत्पाद की मांग में कमी के कारण ही उसे निर्यात करने हेतु विवश होना पड़ा है।

ख. बाजार हिस्सा

105. पाटित आयातों और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की निम्नानुसार जांच की गई है:

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आवेदक की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	82	80	70
अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	100	77	86
संबद्ध आयात	%	14%	27%	33%	35%
-पीयूसी (पाटित)	%	13%	23%	26%	22%

-पीयूआई	%	1%	4%	7%	13%
पीयूसी के अपाटित आयात	%				1%
अन्य आयात	%	14%	8%	10%	9%
मांग	%	100%	100%	100%	100%

106. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, समग्र रूप से भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट के साथ-साथ घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। इस अवधि के दौरान अन्य आयातों के बाजार हिस्से में भी गिरावट आई है।

ग. मालसूची

107. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
प्रारंभिक स्टॉक	मी.ट.	***	***	***	***
अंतिम स्टॉक	प्रवृत्ति	***	***	***	***
औसत मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	104	45	23

108. यह देखा गया है कि इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में कमी आई है

घ. लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

109. क्षति अवधि के दौरान लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और घरेलू उद्योग का नकद लाभ नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
विक्री की लागत	₹/मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	89	73	87
विक्री कीमत	₹/मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	80	75	92
लाभ / (हानि)	₹/मी.ट.	***	(***)	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	(1,131)	410	718
लाभ / (हानि)	₹ लाख	***	(***)	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	(1,119)	472	853
नकद लाभ	₹ लाख	***	(***)	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	(63)	140	182
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	(***)	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	(260)	356	351

110. 2018-19 में घरेलू उद्योग का लाभ निम्न का स्तर था। 2019-20 में घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई, लेकिन उसके बाद इसमें सुधार हुआ है।

111. घरेलू उद्योग के नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिलाभ ने उसी प्रवृत्ति का पालन किया है जैसा कि लाभ ने किया है। के बाद इन मापदंडों में सुधार हुआ है। 20-2019

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

112. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित जानकारी की जांच की है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	91	73	65
वेतन तथा मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	95	92	87
प्रति दिवस उत्पादकता	मी दिन/.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	78	83	93
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी दिन/.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	85	112	144

113. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान क्षमता में गिरावट के साथ कर्मचारियों की संख्या और भुगतान किए गए वेतन में गिरावट आई है। हालांकि, घरेलू उद्योग की उत्पादकता में 2019-20 तक गिरावट आई और उसके बाद काफी वृद्धि हुई है।

च. वृद्धि

114. प्राधिकारी ने मात्रा और कीमत मानकों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि को निम्नानुसार पाया है :

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
क्षमता	%	-	-	-21	-
उत्पादन	%	-	-22	6	13
घरेलू बिक्री	%	-	-1	16	3
लाभ/(हानि) प्रति इकाई	%	-	-1,231	136	75
नकद लाभ	%	-	-164	290	26
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	-360	237	-1

115. वर्ष 2019-20 में घरेलू उद्योग की नकारात्मक वृद्धि हुई और उसके बाद सकारात्मक वृद्धि हुई।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

116. इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानदंडों में सुधार हुआ है। तथापि, घरेलू उद्योग ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि उत्पाद में और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लाभप्रदता पर्याप्त नहीं है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यदि किसी ग्रीनफील्ड निवेश को छोड़ दिया जाए तो वर्तमान लाभ किसी ब्राउनफील्ड नए निवेश को उचित नहीं ठहरा सकता है।

विवरण	इकाई	2021-22
जरूरी निवेश	₹/मी .ट.	***
घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित ब्याज से पहले लाभ	₹/मी .ट.	***
वर्तमान लाभ पर विचार करते हुए निवेश पर आय	%	***%

ज. कीमत को प्रभावित करने वाले कारक

117. घरेलू उद्योग ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि वर्तमान में, आयातों का भुगतान किया गया शुल्क उसकी अपनी बिक्री कीमत से अधिक है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद का आयात शुल्क के अभाव में, घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती करेगा। इस प्रकार, ऐसी स्थिति में, आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

झ. पाटन मार्जिन

118. यह देखा गया है कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भारत में संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन हो रहा है। इसके अलावा, पाटन मार्जिन काफी अधिक है।

झ. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

119. निर्णायक समीक्षा में कारणात्मक संबंध या गैर-आरोपण विश्लेषण अनिवार्य नहीं है। तथापि, अपनाई गई प्रथा के अनुसार, प्राधिकारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अलावा किन्हीं ज्ञात कारकों की जांच की है, जो उसी समय घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ताकि इन अन्य कारकों के कारण होने वाली क्षति को क्षति के लिए पाटित किए गए आयात जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकें। इस संबंध में जो कारक प्रासंगिक हो सकते हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन या खपत खपत की पद्धति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, विकास शामिल हैं। प्रौद्योगिकी और निर्यात प्रदर्शन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता में नीचे इसकी जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान हो सकता है:

क. तीसरे देशों से आयातित मात्रा तथा कीमतें

120. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयातों के अलावा ताइवान और वियतनाम से काफी आयात हुए हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को ऐसे आयातों के कारण क्षति हुई है न कि संबद्ध आयातों के कारण। आवेदक ने तर्क दिया है कि ताइवान से आयात कीमत अधिक है जबकि वियतनाम से आयात हाल ही में शुरू हुआ है और ये निर्यात एक चीन के उत्पादक से संबद्ध निर्यातक द्वारा किया गया है।

ख. मांग में संकुचन

121. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में लगातार वृद्धि हुई है।

ग. खपत की पद्धति

122. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की खपत की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. प्रतिस्पर्धा की स्थिति एवं व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

123. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच में यह नहीं दर्शाया गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के दावे के लिए प्रतिस्पर्धा की स्थितियां या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं जिम्मेदार हैं। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को क्षति परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है।

ड. तकनीकी में विकास

124. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

च. उत्पादकता

125. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

छ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

126. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यहां ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन से संबंधित है।

ज. अन्य उत्पादों का निष्पादन

127. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है।

झ. क्षति मार्जिन का परिमाण

128. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण अनुबंध III के साथ पठित नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया है। जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच मूल्य की तुलना करने के लिए क्षति रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उपयोगिताओं के साथ एक ही व्यवहार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत पर कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय नहीं लगाया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत शुद्ध अचल संपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (पूर्व-कर @ 22%) को पूर्व-कर लाभ के रूप में क्षतिरहित कीमत पर पहुंचने के लिए निर्धारित किया गया था। नियमों का अनुबंध III और पालन किया जा रहा है।

129. प्राधिकारी द्वारा ऊपर निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	देश	उत्पादक का नाम	एनआईपी अम.डॉ. प्रति .किग्रा	पहुंच मूल्य अम.डॉ. प्रति .किग्रा	क्षति मार्जिन अम.डॉ. प्रति .किग्रा	क्षति मार्जिन %	रेंज
1	चीन	झेजियांग गुयांगडाओ पॉलिएस्टर डोप डायड यार्न कं.लि.	***	***	***	***	10-20%
2	चीन	ओरिएंटल इंडस्ट्रीज .लि (सुझोऊ)	***	***	***	***	0-10%
3	चीन	हायोसंग कैमिकल फाइबर .लि.कं (जियानजिंग)	***	***	***	***	(10-20)%
4	चीन	जियांगशू हेंगली कैमिकल फाइबर कं.लि.	***	***	***	***	10-20%

5	चीन	झेजियांग यूनिफिल इंडस्ट्रियल फाइबर कं - .लि .टोटल	***	***	***	***	0-10%
6	चीन	अन्य सभी	***	***	***	***	20-30%

ट. पाटन और क्षति के जारी रहने तथा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना

130. प्राधिकारी ने पाया है कि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इस जांच का केन्द्र बिन्दु निरंतर पाटन और परिणामी क्षति के संभावित परिदृश्य की जांच करना है, यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाए, भले ही कोई वर्तमान क्षति न हो। इसके लिए इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या लगाया गया शुल्क क्षतिरहित पाटन को खत्म करने के उद्देश्य को पूरा कर रहा है। इस संबंध में, ईसी - फुटवियर में डब्ल्यूटीओ पैनल ने पाया कि-

“मूल पाटनरोधी जांच में, जांच अधिकारियों को यह निर्धारित करना चाहिए कि पाटित किए गए आयातों से किसी सदस्य के घरेलू उद्योग को वास्तविक रूप से क्षति हुई है या नहीं। इस स्तर पर, दृढ़ संकल्प के समय "सामग्री क्षति" के अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कुछ पिछली अवधि के लिए आवश्यक और प्रासंगिक कारकों से संबंधित जानकारी के आधार पर यह निर्धारण अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। इसके विपरीत, समाप्ति की समीक्षा में, कुछ समय के लिए एक पाटनरोधी उपाय किया गया है, और जांच अधिकारियों को एक नए विश्लेषण के आधार पर यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या उस उपाय की समाप्ति से क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी। ”।

131. इस प्रकार, निर्णायक समीक्षा जांच में, प्राधिकारी को यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या किसी उपाय को रद्द करने से मूल जांच में क्षति के निर्धारण के विपरीत, घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति होने की संभावना है। माननीय सेस्टेट द्वारा पी.टी. असाहिमास केमिकल्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, वित्त मंत्रालय [2015 (328) ई.एल.टी. 417 (त्रि. - डेल.)], जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया था-

"10. जहां तक क्षति निर्धारण का संबंध है, यदि पाटनरोधी शुल्क का बांछित प्रभाव होता, तो घरेलू उद्योग की स्थिति में पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने की अवधि के दौरान सुधार होने की आशा की जाती। इसलिए, मूल्यांकन किया कि क्या क्षति जारी रहेगी या फिर से होगी, के लिए पाटित आयातों के अनुमानित स्तरों, कीमतों और घरेलू उत्पादों पर प्रभाव के आधार पर भविष्य की घटनाओं का प्रतितथ्यात्मक विश्लेषण करना होगा। इस प्रकार डी.ए. को इस प्रश्न का समाधान करना है कि यदि शुल्क समाप्त कर दिए जाते हैं तो क्या घरेलू उद्योग को फिर से भारी क्षति होने की संभावना है।

11. पूर्वोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में, हमारा विचार है कि जिस प्रश्न का समाधान किया जाना है वह यह नहीं है कि क्या वर्तमान पाटन है, बल्कि यह है कि क्या शुल्क को वापस लेने से पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होगी।

132. इसलिए, निर्णायक समीक्षा जांच के मामले में, प्राधिकारी को यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या मौजूदा उपायों की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना मौजूद है।

133. प्राधिकारी के ध्यान में लाए गए सभी कारकों की यह निर्धारित करने के लिए जांच की गई है कि क्या शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन या क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है। प्राधिकारी ने पाटन या क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सूचनाओं पर विचार किया है।

134. इस तरह की संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। हालांकि, नियमों के अनुबंध II का पैरा (vii) अन्य बातों के साथ-साथ उन कारकों के लिए प्रदान किया गया है जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है, जैसे:

- i. भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की एक महत्वपूर्ण दर आयात में पर्याप्त रूप से वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।
- ii. किसी भी अतिरिक्त निर्यात को अवशोषित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय बाजारों में पर्याप्त रूप से बढ़े हुए पाटित निर्यात की संभावना का संकेत देते हुए निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त रूप से मुक्त रूप से डिस्पोजेबल, या एक आसन्न, पर्याप्त वृद्धि;
- iii. क्या आयात उन कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण ह्रास या न्यूनीकरण प्रभाव पड़ेगा और इससे और आयातों की मांग में वृद्धि होने की संभावना है; और
- iv. लेख की सूची की जांच की जा रही है

135. इसके अलावा, प्राधिकारी ने अन्य प्रासंगिक कारकों की भी जांच की है जिनका घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना पर असर पड़ता है। संभावना के मापदंडों की परीक्षा इस प्रकार है।

क. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद निरंतर पाटन

136. प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागू शुल्कों के बावजूद संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का लगातार और महत्वपूर्ण पाटन हो रहा है। शुल्कों के अस्तित्व के दौरान निरंतर पाटन, पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन के जारी रहने की संभावना को इंगित करता है।

ख. लागू शुल्कों का उल्लंघन (Circumvention of the duties in force)

137. 31 मार्च 2023 के अंतिम जांच परिणाम से पता चलता है कि उत्पाद के नाम, विवरण या संरचना में परिवर्तन के माध्यम से कर्तव्यों को दरकिनार किया जा रहा था। इसके अलावा, पूर्व में स्थापित सामान्य मूल्य के संबंध में कपटपूर्ण उत्पाद को पाटित पाया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागू शुल्कों में हेराफेरी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में बढ़े हुए पाटन और आयात की मात्रा की संभावना को दर्शाती है, और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ग. पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद आयातों में वृद्धि

138. आवेदक ने निवेदन किया है कि आयात की मात्रा में वृद्धि और वृद्धि की संभावना दर्शाती है। प्राधिकारी ने शुल्क लगाने से पहले और बाद में आयात की मात्रा पर विचार किया है। रुझान निम्नानुसार प्रकट होते हैं।

वर्ष		शुल्क के लिए संबद्ध पीयूसी	प्रवंचित उत्पाद (पीयूआई)
2013-14	मूल जांच की क्षति अवधि	5,903	-
2014-15		7,087	-
2015-16		9,092	-

2016-17		13,412	-
2018-19	वर्तमान क्षति अवधि	4,048	218
2019-20		8,503	1,599
2020-21		11,495	3,222
2021-22		11,659	6,768

139. यह देखा गया है कि शुल्क लगाने के बाद 2018-19 में आयात में गिरावट आई है। तथापि, उसके बाद आयातों में फिर से वृद्धि हुई है और अब यह मूल जांच की जांच अवधि के दौरान की तुलना में अधिक है। देश में मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं होने के बावजूद आयात में वृद्धि देखी गई है।

घ. तीसरे देश से पाटन और तीसरे देश से क्षतिरहित आयात

140. प्राधिकारी ने तीसरे देशों को निर्यात के संबंध में सूचना की जांच की है, जैसा कि निर्यातक द्वारा प्रदान किया गया है। इससे पता चलता है कि तीसरे देशों को 85-95% निर्यात पाटित कीमतों पर होता है, जिसमें औसत पाटित मार्जिन 30-40% होता है। इसके अलावा, 80-90% निर्यात क्षतिकारक कीमतों पर होता है जिसका औसत कीमत क्षति रहित कीमत से 10-20% कम होता है।

विवरण	इकाई	प्रतिक्रिया के अनुसार
तीसरे देशों को कुल आयात	मी.ट.	***
तीसरे देशों को पाटित निर्यात	मी.ट.	***
कुल पाटित निर्यातों का हिस्सा	%	85-95%
भारतीय मांग	मी.ट.	***
भारतीय मांग के संबंध में पाटित निर्यात	%	250-300%
पाटन मार्जिन	%	25-35%
क्षतिरहित कीमतों पर निर्यात	मी.ट.	***
कुल पाटित निर्यातों का हिस्सा	%	80-90%
भारतीय मांग के संबंध में क्षतिरहित मात्रा	%	250-300%
क्षति मार्जिन	%	15-25%

स्रोत- भाग लेने वाले उत्पादकों द्वारा दायर उत्तर

141. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि पाटित और क्षतिपूर्ण आयातों की मात्रा भारतीय मांग के संबंध में काफी अधिक है।

ड. संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा धारित महत्वपूर्ण निर्यात योग्य क्षमताएं

142. घरेलू उद्योग ने पीसीआई वुड मैकेंज़ी रेडबुक शीर्षक से एक बाजार अनुसंधान रिपोर्ट प्रदान की है जिसमें संबद्ध देश में क्षमता, उत्पादन और मांग के बारे में जानकारी शामिल है। रिपोर्ट में समग्र रूप से औद्योगिक धागे के उत्पादन और मांग के संबंध में जानकारी शामिल है। आवेदक ने % औद्योगिक यार्न क्षमता के रूप में एचपीटीवाई के लिए क्षमता की गणना की थी, और एचपीटीवाई के उत्पादन और मांग की गणना करने के लिए इसे कुल उत्पादन और मांग पर लागू किया था। तथापि, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बिना कोई अन्य प्रतिसाक्ष्य प्रदान किए इस पर विवाद किया गया है। प्रति साक्ष्य के बिना अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावे के बावजूद, प्राधिकारी ने निर्यात योग्य क्षमताओं और निष्क्रिय क्षमताओं को निर्धारित करने के लिए आवेदक द्वारा दावा किए गए एचपीटीवाई के उत्पादन और मांग के साथ-साथ कुल मांग और उत्पादन पर विचार किया है।

विवरण	आवेदक द्वारा किए गए दावे के अनुसार ('000 मी.ट.)	विचाराधीन कुल उत्पादन और मांग ('000 मी.ट.)
क्षमता	2,299	2,299
चीन जन.गण. में मांग	857	1,269
निर्यात के लिए क्षमता (निर्यात योग्य)	1,442	1,030
उत्पादन	1,169	1,730
निष्क्रिय क्षमताएं	857	569
भारत में मांग	52.23	52.23
भारतीय मांग के संबंध में निर्यात योग्य क्षमता	2761%	1972%
भारतीय मांग के संबंध में निष्क्रिय क्षमता	1641%	1089%

स्रोत – पीसीआई वुड मेकेंजी रिपोर्ट

143. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश में उत्पादकों के पास घरेलू मांग से अधिक महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमताएं हैं, जिनका शुल्कों के अभाव में भारत को निर्यात के लिए उपयोग किए जाने की संभावना है।

144. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी इस बात पर जोर दिया है कि निर्यात योग्य और निष्क्रिय क्षमताओं का निर्धारण प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा दाखिल किए गए उत्तर के आधार पर किया जाना चाहिए। जबकि प्राधिकारी नोट करते हैं कि संभावना जांच देश-विशिष्ट है, यह नोट किया जाता है कि भाग लेने वाले उत्पादकों द्वारा दाखिल किए गए उत्तर महत्वपूर्ण अतिरिक्त क्षमता दर्शाते हैं।

विवरण	दायर जवाबों के अनुसार ('000 मी.ट.) – पीओआई के लिए
क्षमता	***
घरेलू बिक्री	***
निर्यात के लिए औसत क्षमता	***
उत्पादन	***
निष्क्रिय क्षमताएं	***
भारत में मांग	***
भारतीय मांग के संबंध में निर्यात योग्य क्षमताएं	1550-1650%
भारतीय मांग के संबंध में निष्क्रिय क्षमताएं	200-225%

स्रोत – भाग लेने वाले उत्पादकों द्वारा दायर प्रतिक्रियाएं

145. इस प्रकार यह देखा गया है कि यदि भाग लेने वाले उत्पादकों की प्रतिक्रियाओं के अनुसार आंकड़ों पर विचार किया जाता है, तो चीन जन. गण. में अतिरिक्त क्षमता भारतीय मांग से बहुत अधिक है।

च. चीनी उत्पादकों द्वारा जुटाई गई क्षमता

146. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना यह दर्शाती है कि चीन जन.गण. के उत्पादकों (नामत: झेजियांग सेनवाई और झेजियांग शुआंगफेंग) ने लगभग 230000 मी.ट तक क्षमता बढ़ाई है और 250,000 एमटी तक क्षमता अभिवृद्धि की आगे योजना बना रहे हैं (नामत: जियांगशु हेंगली कैमिकल फाइबर कं. लि. और झेजियांग किंगसवे)। जियांगसू हेंगली कैमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड ने भी औद्योगिक यार्न के 1,400,000 मीट्रिक टन का विस्तार करने की योजना प्रकट की है।

छ. विचाराधीन उत्पाद की मालसूचियां

147. प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा धारित विचाराधीन उत्पाद की सूची के रुझानों की भी जांच की है। चूंकि दो निर्यातकों, ओरिएंटल इंडस्ट्रीज और झेजियांग गुक्सियांडो ने मालसूची सूचना प्रदान नहीं की थी, इसलिए उसका निर्माण बिक्री घटाकर उत्पादन के आधार पर किया गया था। इसके अलावा, चूंकि जियांगसू हेंगली ने जांच की अवधि के संबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं की, इसके बजाय 2021 की सूचना पर विचार किया गया। प्राधिकारी इस संबंध में निम्नानुसार नोट करते हैं।

	2019	2020	POI
निर्यातकों द्वारा धारित कुल मालसूची	100	102	172
उत्पादन के दिनों की संख्या की मालसूची	100	96	137
भारतीय मांग के % के अनुसार मालसूची*	100-150%	100-150%	100-150%

*2019-20, 2020-21 और जांच की अवधि के लिए ली गई मांग

स्रोत- भाग लेने वाले उत्पादकों द्वारा दाखिल जवाब

148. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातकों के पास महत्वपूर्ण माल है, मालसूची की मात्रा में वृद्धि हुई है, मालसूची धारण अवधि में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों के पास मालसूची का भारतीय मांग की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।

ज. अन्य देशों द्वारा किए गए उपाय

149. आवेदक ने इस बात पर भी जोर दिया है कि निर्यातकों को न केवल भारत में, बल्कि यूरोपीय संघ में भी शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय संघ ने जून 2022 में 5.1% से 5.3% की सीमा में पाटनरोधी शुल्क लगाया। इसके अलावा, यूएसए ने संबद्ध वस्तुओं के निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यूरोपीय संघ और यूएसए द्वारा विचार किए गए उत्पाद का दायरा वर्तमान जांच के दौरान की तुलना में व्यापक है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तथ्य कि चीन के उत्पादकों को उत्पाद की बड़े पैमाने पर इन उपायों का सामना करना पड़ रहा है, जो न केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए बल्कि समान उत्पादन सुविधाओं को साझा करने वाले अन्य उत्पादों के लिए भी बाजार में हानि का संकेत देता है।

झ. भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

150. प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा दाखिल किए गए जवाबों के अनुसार भारतीय बाजार के कीमत आकर्षण की भी जांच की है। सहयोगी उत्पादकों की प्रतिक्रिया के आधार पर देश में आयात की कीमत के साथ तीसरे देशों को निर्यात की कीमत की तुलना करके इसकी जांच की गई है। इसके अलावा, तुलना पीसीएन-वार आधार पर की गई है, जहां निर्यातकों द्वारा इस तरह से सूचना प्रदान की गई थी। जहां निर्यातक ने पीसीएन-वार सूचना प्रदान नहीं की है, वहां प्राधिकरण ने औसत कीमत से तुलना की है।

विवरण	इकाई	प्रतिक्रिया के अनुसार
तीसरे देशों को कुल आयात	मी .ट.	***
भारत में कीमत स कम कीमत पर निर्यात	मी .ट.	***
कुल में इस तरह निर्यात हिस्सा	%	75-85

स्रोत: भाग लेने वाले उत्पादकों द्वारा दाखिल उत्तर

151. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत निर्यातकों के लिए एक कीमत आकर्षक बाजार है, जिसमें 80% निर्यात भारतीय बाजार की कीमत से कम कीमत पर किया जाता है।

ज. घरेलू उद्योग का पीओआई के पश्चात निष्पादन

152. इस संबंध में विभिन्न पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों के अनुसरण में, घरेलू उद्योग ने अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए अपने लिखित निवेदनों के साथ अपना प्रदर्शन प्रस्तुत किया। चूंकि सूचना लिखित निवेदनों के साथ दाखिल की गई थी, इसलिए उसकी एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी और कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने उस पर टिप्पणियां प्रस्तुत की थीं, प्राधिकरण ने इस सूचना की भी जांच की थी। जानकारी इस प्रकार दिखाती है।

विवरण	इकाई	पीओआई	पश्च पीओआई	परिवर्तन
आयात मात्रा	मी .ट.	20,945	14,348	-31%
पहुंच कीमत	₹/ मी.ट.	1,11,255	1,37,907	24%
कीमत कटौती	%	5-15%	0-10%	-91%
आयातों का बाजार हिस्सा	%	25%	16%	-36%
उत्पादन	मी .ट.	***	***	-1%
घरेलू बिक्री	मी .ट.	***	***	-12%
क्षमता उपयोग	%	***	***	-1%
बिक्री कीमत	₹/ मी.ट.	***	***	14%
बिक्री की लागत	₹/ मी.ट.	***	***	29%
लाभ / (हानि)	₹/ मी.ट.	***	(***)	-223%
लाभ / (हानि)	₹/ लाख	***	(***)	-209%
नकद लाभ	₹/ लाख	***	(***)	-137%
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	(***)	-162%

153. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि जांच की अवधि के बाद की ऐसी सूचना पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए और घरेलू उद्योग की स्वयं की अक्षमता के कारण बिक्री की लागत में वृद्धि के कारण नुकसान हुआ है। हालांकि, इन हितबद्ध पक्षकारों ने अक्षमता के ऐसे दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है।

क्षति और पाटन तथा क्षति की संभावना पर समग्र निष्कर्ष

154. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में लागू एंटी-डंपिंग शुल्क और घरेलू उद्योग द्वारा अपनी रूपांतरण लागत को कम करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप मात्रा और मूल्य दोनों मापदंडों में सुधार हुआ है। वर्तमान क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है। तथापि, शुल्कों के प्रवंचना ने शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव को कम कर दिया है जैसा कि सकारात्मक कीमत कटौती, बाजार हिस्सेदारी में गिरावट और घरेलू उद्योग की कम लाभप्रदता से स्पष्ट है। घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक है।

155. प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि पाटन के जारी रहने और घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना के साक्ष्य हैं। जांच की वर्तमान अवधि के दौरान भी संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी रहा है। शुल्क की वर्तमान प्रवंचना, शुल्क की समाप्ति के मामले में सकारात्मक कीमत कटौती के साथ युग्मित, अतिरिक्त क्षमता, संबद्ध देश में मालसूची, तीसरे देशों द्वारा लगाए गए व्यापार उपचार उपाय, चीनी उत्पादकों का

निर्यात उन्मुखीकरण, तीसरे में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन देशों के निर्यात, भारतीय बाजार के मूल्य आकर्षण, स्पष्ट रूप से आयात में वृद्धि की संभावना और शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की पुष्टि करते हैं। उत्तर देने वाले उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना दर्शाती है कि तीसरे देशों को निर्यात भी पाटित और क्षतिपूर्ण कीमतों पर किए गए हैं और भारत संबद्ध देश में उत्पादकों के लिए कीमत आकर्षक बाजार है। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के बाद पहले ही वित्तीय घाटा हो चुका है। पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में कीमत में कटौती काफी अधिक है। छल-रोधी जांच में पाए गए आयातों की मात्रा काफी महत्वपूर्ण है। देश में अब कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं है, और घरेलू उत्पादकों की संचयी क्षमता पहले से ही देश में वर्तमान मांग से अधिक है। पाटित कीमतों पर किसी भी आयात से घरेलू कीमतों में कटौती होने से उद्योग पर प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ने की संभावना है। पूर्वगामी से, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और परिणामी क्षति की स्पष्ट संभावना है।

ठ. भारतीय उद्योग के हित

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

156. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. जनहित के आधार पर कोई उपाय नहीं किया जाना चाहिए।
- ख. पाटनरोधी उपायों को लागू करने से निर्यातकों के वैध हितों को नुकसान होगा और यह घरेलू उद्योग के उपचार और संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं होगा।
- ग. किसी भी पाटनरोधी उपाय का उद्देश्य घरेलू उद्योग को निवेश पर उचित या पर्याप्त लाभ अर्जित करने की सुविधा प्रदान करना नहीं है।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

157. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. निर्णायक समीक्षा में, उस अवधि की ऐतिहासिक जानकारी, जिसके दौरान कर्तव्य अस्तित्व में था, को जनहित की परीक्षा का आधार बनाना चाहिए।
- ख. किसी भी प्रयोक्ता या आयातक ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।
- ग. इस तथ्य के बावजूद कि 30 से अधिक उपयोगकर्ता हैं, केवल 3 ने जांच में भाग लिया, जो उपयोगकर्ताओं द्वारा निम्न स्तर की रुचि को दर्शाता है।
- घ. पिछले कुछ वर्षों में शुल्कों ने उन्हें कैसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, इस संबंध में उपयोगकर्ताओं द्वारा किसी भी सरकारी निकाय को कोई प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है।
- ड. उपयोगकर्ता उद्योग पर लगाए गए शुल्कों का समग्र प्रभाव नगण्य है, केवल 1.5% है।
- च. उपयोगकर्ता उद्योग के राजस्व और लाभप्रदता में 2017-18 से 2020-21 तक सुधार हुआ है।
- छ. डाउनस्ट्रीम उद्योग ने भी इस अवधि में क्षमता का विस्तार किया है।
- ज. सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं में से एक यानी ऑटोमोबाइल उद्योग के 2022-27 के बीच 9% से अधिक बढ़ने की उम्मीद है, जो घरेलू उत्पादकों के विकास को प्रोत्साहित करेगा।
- झ. चूंकि शुल्क लगाए गए थे, भारतीय उद्योग 3 से 6 उत्पादकों तक बढ़ गया है और यहां तक कि अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है, जिससे भारत को आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने में मदद मिली है।

- ज. निवेश पर वर्तमान आय भविष्य के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि कर्तव्यों को जारी नहीं रखा जाता है, तो आयात पर निर्भरता बढ़ने से नया निवेश मुश्किल हो जाएगा।
- ट. अनुचित मूल्य निर्धारण व्यवहार जैसे कि प्रवंचना जो प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को विकृत करता है एक दुर्भावनापूर्ण अभ्यास को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर माल की हेराफेरी नहीं की जाती तो 1,691 लाख रुपये सरकार को शुल्क के रूप में देय होते।
- ठ. भारतीय बाजार में पर्याप्त आपूर्ति और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है।
- ड. संबद्ध वस्तुओं का आयात दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान और इंडोनेशिया जैसे तीसरे देशों से भी किया जा सकता है।
- ढ. यदि कर्तव्यों को बढ़ाया नहीं जाता है और आवेदक महत्वपूर्ण नुकसान कमाता रहता है, तो वे या तो एक वैकल्पिक बाजार की तलाश करेंगे या अन्य उपयोग के लिए इसकी उत्पादन क्षमताओं का उपयोग करने पर विचार करेंगे।
- ण. आयात पर अनावश्यक निर्भरता ने विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बनाया है।
- त. निर्यातकों का उद्देश्य केवल लाभ अधिकतम करना है जबकि आवेदक का देश में दीर्घकालिक हित है, जिसमें उपयोगकर्ताओं का हित भी शामिल है।
- थ. आरआईएल द्वारा उपयोग की जाने वाली उत्पादन तकनीक की तुलना विदेशी उत्पादकों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक से की जा सकती है।
- द. घरेलू उद्योग से खरीद उचित मूल्य, निर्बाध आपूर्ति, डाउनस्ट्रीम उद्योग की वृद्धि सुनिश्चित करेगी और उपयोगकर्ताओं को इन्वेंट्री होल्डिंग्स को कम करने की अनुमति देगी।
- ध. चीनी सरकार का समर्थन निर्यातकों को अप्रतिस्पर्धी कीमतों पर निर्यात करने की अनुमति देता है।
- न. हितबद्ध पक्षों के दावों के विपरीत, शुल्क की निरंतरता उन उपयोगकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकती है जो अग्रिम प्राधिकरण के तहत आयात कर रहे हैं।
- प. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, पाटन एक अनुचित व्यापार प्रथा है और निर्यातक का "वैध अधिकार" नहीं है। शुल्क केवल विदेशी उत्पादक द्वारा अपनाई गई किसी भी अनुचित व्यापार प्रथा को संबोधित करता है।
- फ. जहां एक ओर हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि कर्तव्य की निरंतरता उनके "वैध अधिकार" को प्रभावित करेगी, वहीं दूसरी ओर उनकी प्रतिक्रियाओं में यह दावा शामिल है कि शुल्क जारी रखने से वे प्रभावित नहीं होंगे।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

158. प्राधिकरण नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य, सामान्य रूप से, पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को जारी रखने का उद्देश्य किसी भी तरह से संबद्ध देशों से आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से भारत में उत्पाद के मूल्य स्तर प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटन रोधी उपायों के जारी रहने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को जारी रखने से यह सुनिश्चित होगा कि पाटन प्रथा से कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं होता है, घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट को रोकता है और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद करता है।

159. जांच की शुरुआत के बाद, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। तथापि, प्रश्नावली का उत्तर केवल घरेलू उद्योग और 2 निर्यातकों द्वारा दायर किया गया था। वर्तमान जांच में भाग लेने वालों सहित संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक या उपयोगकर्ता ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। इसके अलावा, संबद्ध वस्तुओं और डाउनस्ट्रीम उत्पाद के लिए प्रशासनिक मंत्रालय ने भी शुल्क को जारी रखने या समाप्त करने के संबंध में कोई आपत्ति या कोई बयान नहीं दिया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यद्यपि संबद्ध वस्तुओं के लिए प्रशासनिक मंत्रालय कपड़ा मंत्रालय है, उत्पाद वास्तव में कपड़ा अनुप्रयोगों में उपयोग नहीं किया जाता है।
160. आगे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि सार्वजनिक हित के आधार पर कोई उपाय नहीं लगाया जाना चाहिए, यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है कि लागू शुल्कों के परिणामस्वरूप उपयोगकर्ताओं के प्रदर्शन में गिरावट आई है या इस तरह की गिरावट का कारण बन सकता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी द्वारा आर्थिक हित प्रश्नावली के जवाब में संरचित और प्रमाणित जानकारी प्रदान करने का अवसर प्रदान करने के बावजूद, उपयोगकर्ताओं ने ऐसा करने से परहेज किया है। इसे देखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उपायों के जारी रहने से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
161. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उपयोगकर्ताओं और आयातकों की भागीदारी का स्तर बेहद कम है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसआरएफ लिमिटेड, मेहर फैशनस प्राइवेट लिमिटेड, फेनर कन्वेयर बेल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल कन्वेयर्स लिमिटेड, शक्ति कॉइर्स प्राइवेट लिमिटेड, टुफ्रोप्स प्राइवेट लिमिटेड, मैककैफेरी एनवायरनमेंटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रैटा जियोसिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा महत्वपूर्ण आयात किए गए हैं। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड, अरविंद लिमिटेड, इंटरनेशनल कन्वेयर्स लिमिटेड, इंडिका कन्वेयर्स लिमिटेड, पीएनपी पॉलीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, टोडी मिल्स, फिलाटेक एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, भले ही ऐसी पार्टियां क्षति अवधि के दौरान भारत में कुल आयात का 40% से अधिक हिस्सा लेती हैं। वर्तमान जांच में भाग लेने वाले आयातक / प्रयोक्ता अपने स्वयं के उत्तर के अनुसार जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का केवल ***% खाते हैं। इसके अलावा, डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार, जहां क्षति अवधि के लिए प्राधिकारी द्वारा आयातक की पहचान की गई है, ऐसे आयातक/उपयोगकर्ता कुल आयात का केवल 3% हिस्सा हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपयोक्ताओं द्वारा शुल्क जारी रखने का विरोध बहुत कम है।
162. घरेलू उद्योग ने अपने स्वयं के प्रत्युत्तर के भाग के रूप में प्रमुख प्रयोक्ताओं के वित्तीय विवरण प्रदान किए हैं। उसी के अनुसार, यह नोट किया गया है कि कुछ उपयोगकर्ताओं जैसे फेनर कन्वेयर बेल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और ग्रीन फील्ड की लाभप्रदता में गिरावट आई है। हालाँकि, कुछ उपयोगकर्ताओं जैसे एसआरएफ लिमिटेड, इंटरनेशनल कन्वेयर्स लिमिटेड, मदुरा कोट्स प्राइवेट लिमिटेड, मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्स्टाइल्स लिमिटेड की लाभप्रदता में काफी वृद्धि हुई है। वर्धमान यार्न एंड थ्रेड्स लिमिटेड, लिफ्ट एंड लैश लिमिटेड और मल्टीटेक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जैसे अन्य उपयोगकर्ता अपनी लाभप्रदता बनाए रखने में सक्षम रहे हैं।
163. प्राधिकारी नोट करते हैं कि टेकफैब (इंडिया) इंडस्ट्रीज लिमिटेड को छोड़कर, संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करके/निगमित करके उत्पादित उत्पादों का भाग लेने वाले उपयोगकर्ताओं के कुल राजस्व में बहुत कम हिस्सा है। समग्र आधार पर, ऐसे उत्पाद राजस्व का केवल **% खाते हैं।
164. इस संबंध में, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के मात्रात्मक प्रभाव के बारे में जानकारी दी थी। घरेलू उद्योग द्वारा साझा की गई सूचना के अनुसार,

उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव 0.01% से 1.2% के बीच था। घरेलू उद्योग के दावे को अन्य पक्षों द्वारा विवादित नहीं किया गया है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रयोक्ताओं पर लागू पाटनरोधी शुल्क का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

165. देश में संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देश से आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि केवल एक समान अवसर प्रदान करता है। इस तरह के खेल के मैदान ने कुछ उत्पादकों को बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी है। उदाहरण के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्षमता का विस्तार किया है, जबकि वेलनोन पॉलीस्टर्स लिमिटेड, सनाथन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड और फेरैटोरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भी संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया है। इससे पता चलता है कि कर्तव्यों ने आयात पर उपयोगकर्ता की निर्भरता को कम कर दिया है और भारतीय उद्योग को बढ़ने और फलने-फूलने की अनुमति दी है।

166. वास्तव में, घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, जिसका किसी अन्य पक्ष द्वारा खंडन नहीं किया गया है; देश में पहले जहां डिमांड-सप्लाई गैप था, अब ऐसा डिमांड-सप्लाई गैप नहीं है।

उत्पादक	क्षमता (मीट.)
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	***
वेलनोन पॉलीएस्टर्स लिमिटेड	***
एसआरएफ लिमिटेड	***
फेयरडील मल्टीफिलामेंट प्राइवेट लिमिटेड	***
फेरैटोरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	***
सनाथन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	***
कुल भारतीय क्षमता	***
भारतीय मांग (2021-22)	52,226
भारत में अधिशेष क्षमता	***

167. अतिरिक्त क्षमता के साथ-साथ उत्पादकों की अधिक संख्या भी घरेलू उत्पादकों के बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेगी। इसके परिणामस्वरूप, उपयोगकर्ताओं को घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमतों और संबद्ध वस्तुओं की आसानी से उपलब्धता का आश्वासन दिया जाएगा।

168. इसके अलावा, संबद्ध वस्तुओं का अन्य देशों से भी आयात जारी रखा जा सकता है। प्राधिकारी के समक्ष रिकॉर्ड पर पीसीआई वुड मैकेंज़ी रिपोर्ट के अनुसार, औद्योगिक यार्न के लिए 4.623 केटी की कुल वैश्विक क्षमता है, और उच्च दृढ़ता यार्न की 3,340 केटी है। इसके विपरीत, पूरे औद्योगिक धागे की वैश्विक मांग केवल 2,649 केटी है। इस प्रकार, संबद्ध वस्तुओं के लिए वैश्विक अधिशेष है। चीन के अलावा, यूरोपीय संघ, वियतनाम, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, मैक्सिको और इंडोनेशिया में महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं। इसलिए विचाराधीन उत्पाद का इन देशों से भी आयात किया जा सकता है। तदनुसार, प्राधिकरण का निष्कर्ष है कि उपयोगकर्ताओं के पास कई स्रोत उपलब्ध रहेंगे।

ड. प्रकटन पश्चात विवरण

ड.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

169. हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र, घरेलू उद्योग के गठन, गोपनीयता, घरेलू उद्योग को क्षति, पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में अपने अनुरोध दोहराए हैं। विशेष रूप से हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों के रूप में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- क. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र प्रवंचित उत्पाद को शामिल करके निर्णायक समीक्षा जांच बढ़ाया नहीं जा सकता। यह पीछे के दरवाजे से घुसने वाला प्रयास होगा।
- ख. प्राधिकारी प्रवंचनारोधी जांच में जांचाधीन उत्पाद में किसी निर्णायक समीक्षा में शुल्क नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वर्तमान समीक्षा नियम 23(1)(ख) के साथ पठित धारा 9क (5) के तहत शुरू की गई थी। चूंकि जांच की शुरुआत के समय प्रवंचनारोधी जांच और निर्णायक समीक्षा के बीच कोई संपर्क नहीं बनाया गया था, अतः उसे वर्तमान स्तर पर नहीं किया जा सकता।
- ग. ऐसी स्थिति में जिससे वित्त मंत्रालय प्रवंचनारोधी शुल्क नहीं लगा सकता, स्वतः जांचाधीन उत्पाद की लंबित समीक्षा के तहत शुल्क प्रदान करने का प्रश्न विवादास्पद होगा।
- घ. यदि नियम 5 लागू नहीं है तो यह स्पष्ट नहीं है कि एसआरएफ लि. को जांच से अलग कैसे किया जा सकता है।
- ङ. एसआरएफ लिमिटेड के आयातों की मात्रा उनके उत्पादन के संबंध में और कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक का हिस्सा प्रकट नहीं किया गया है।
- च. आवेदन पत्र में घरेलू उद्योग द्वारा सभी स्रोतों से आयातों के संबंध में सूचना मांगी गई है। अतः आरआईएल के आधार का निर्धारण सीमित सूचना के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है।
- छ. आवेदन पत्र का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति, आयातों की घोषणा और समग्र रूप से क्षति के लिए आयातकों/निर्यातकों के संबंध की घोषणा, अन्य उत्पादकों के कुल उत्पादन पीसीएन वार ब्यौरे आदि प्रदान न करने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- ज. ऑल इंडिया लेमिनेटेड फैब्रिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिकरण के निर्णय के अनुसार पाटनरोधी नियमावली के नियम 8 के तहत असिद्ध रिपोर्ट पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसकी सच्चाई सिद्ध न हो जाए और उसकी रिपोर्ट अथवा सार अन्य हितबद्ध पक्षकारों साझा न की जाए।
- झ. यदि प्राधिकारी निर्णायक समीक्षा जांच के अनुसरण में विद्यमान पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का निर्णय लेते हैं, तो पाटनरोधी शुल्क दर की वही दर प्राधिकारी की विगत परिपाटी के अनुसार किसी संशोधन के बिना जारी रखी जानी चाहिए।
- ञ. ह्यूसंग के बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के संबंध में टिप्पणियां कृपया अंतिम जांच परिणामों में पुष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त, नकारात्मक क्षति मार्जिन के मद्देनजर कृपया शून्य शुल्क जारी रखे जाएं।
- ट. सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य प्रत्येक उत्पादक द्वारा दिए गए आंकड़ों पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान दृष्टिकोण का अभिप्राय यह होगा की अनुच्छेद 15 (क)(ii) का कोई प्रयोजन नहीं है।
- ठ. यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या जियांगशू हेंगली के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की गई है तथा पीसीएन वार आधार पर उसकी तुलना की गई है।
- ड. पाटनरोधी शुल्क का शून्य शुल्क उस नए उत्पादक/निर्यातक को प्रदान नहीं किया जा सकता जो प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार निर्णायक समीक्षा जांच में पहली बार भाग लेता है।
- ढ. ऐसा प्रतीत होता है कि नए उत्पादक/निर्यातक ने निर्णायक समीक्षा जांच की जांचावधि के दौरान भारत को केवल छोटीमात्रा में निर्यात किया है। इस प्रकार सतत परिपाटी के अनुसार, इस छोटी सी मात्रा की वास्तविक निर्यात कीमत विश्वसनीय नहीं मानी जानी चाहिए और पाटनरोधी शुल्क की व्यक्तिगत दर ऐसे उत्पादक/निर्यातक को प्रदान न की जाए।
- ण. जियांगशू ताइजी को वर्तमान समीक्षा में निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के आधार पर व्यक्तिगत शुल्क की अनुमति दी जानी चाहिए और विद्यमान शुल्क जारी नहीं रखे जाने चाहिए।

- प्रकटन विवरण के अनुसार नकारात्मक मार्जिन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि उसके निर्यातों के परिणामस्वरूप पाटन और क्षति की कोई संभावना नहीं है।
- त. पाटनरोधी नियमावली के तहत प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वे वर्तमान मार्जिन के आधार पर शुल्क की सिफारिश करें। विगम मामलों में भी प्राधिकारी समीक्षा के दौरान निर्धारित मार्जिन के आधार पर निर्णायक समीक्षा में शुल्कों में संशोधन करते रहे हैं।
- थ. झेजियांग युनिफुल और हुझोऊ युनिफुल संबद्ध उत्पादक हैं। जांच की अवधि के दौरान केवल झेजियांग युनिफुल द्वारा उत्पादित सामान निर्यात किए गए थे। तथापि, यह अनुरोध है कि हुझोऊ युनिफुल का नाम भी शुल्क तालिका में नोट किया जाए ताकि भावी निर्यातों की स्थिति में पक्षकारों को किसी अनुचित कठिनाई में न रखा जाए
- द. चूंकि हेंगली द्वारा निर्यातों के कारण पाटन और क्षति की कोई संभावना नहीं है, अतः उसके लिए शुल्क बंद किए जाने की आवश्यकता है।
- ध. भारत में आने वाले अधिकतर (75 प्रतिशत से अधिक) आयात अग्रिम लाइसेंस के तहत हैं और पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से इन आयातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में आने वाले नियमित आयात बहुत कम हैं। यह नहीं माना जा सकता कि अग्रिम प्राधिकार के तहत आयात बढ़ें हैं। केवल इस कारण कि वे उन्हें पाटनरोधी शुल्क से छूट है क्योंकि ऐसे आयातों को उस समय अनुमति दी जाती है, जब निर्यातित उत्पाद में आयातित इनपुट का प्रयोग करने का दायित्व लगाया जाए।
- न. घरेलू उद्योग के निष्पादन में उसकी मात्रा और लाभप्रदता मानदंडों के संदर्भ में सुधार हुआ है। यह क्षति की संभावना के अभाव से देखा जा सकता है क्योंकि क्षति जांच अवधि के दौरान भारत में अधिकतर आयात पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन नहीं थे।
- प. जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि आयात मात्रा और आयातों का बाजार हिस्से में गिरावट आई है। आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि हुई है और कीमत कटौती नगण्य है।
- फ. जांचावधि के बाद में लाभ में भारी गिरावट आयातों के कारण नहीं हो सकती क्योंकि आयात कम हुए हैं और पहुंच मूल्य बढ़ा है।
- ब. एसआरएफ लिमिटेड के संबंध में कोई सूचना नहीं है जोकि सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।
- भ. उत्पादकों की संख्या में काफी वृद्धि यह दर्शाती है कि शुल्क जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- म. चीनी उत्पादकों की निर्यातोन्मुखता की अत्यधिक क्षमताएं अथवा निर्यातोन्मुखता तथा अन्य क्षेत्राधिकारों द्वारा वृद्धि भारतीय बाजार की आकर्षकता के संबंध में किसी सूचना के अभाव में संभावना दर्शाने वाला नहीं माना जा सकती।
- य. यदि क्षति की संभावना का देशवार विश्लेषण चीन से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करने के लिए किया जाता है तो फिर प्राधिकारी निर्णायक समीक्षा में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अलग पाटन मार्जिन और/अथवा क्षति मार्जिन पर विश्वास नहीं कर सकते। अधिक बेकार क्षमता, क्षमता विस्तार योजनाओं और तीसरे देश के पाटन की अधिक घटना तथा परिणामस्वरूप पाटन और क्षति की देशवार संभावना के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होने वाले उत्पादक/निर्यातक कम पाटनरोधी शुल्क से लाभ ले सकते हैं, यदि निर्णायक समीक्षा जांच के दौरान ऐसे उत्पादक/निर्यातक के लिए निर्धारित अलग पाटन मार्जिन अथवा क्षति मार्जिन कम हो।
- कक. घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई है, तो घरेलू बाजार में परस्पर प्रतिस्पर्धा, ताइवान और वियतनाम से आयातों, अग्रिम प्राधिकार के तहत निर्यातों और आयातों में गिरावट के कारण है।
- खख. 22 प्रतिशत की दर क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए नहीं मानी जानी चाहिए क्योंकि इससे घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण मिलता है। यह ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग और अन्य बनाव

निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में अधिकरण के निर्णय और यूरोपियन फर्टिलाइजर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (ईएफएमए) बनाम काउंसिल के मामले में यूरोपीय न्यायालयों के निर्णय से सिद्ध है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

170. घरेलू उद्योग ने अधिकतर क्षति और पाटन तथा क्षति जारी रहने की संभावना, कारणात्मक संपर्क और भारतीय उद्योग के हित के संबंध में जांच प्रक्रिया के दौरान किए गए अपने अनुरोध दोहराए हैं। प्रकटन विवरण जारी करने के बाद घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. शुल्क में संशोधन की निर्णायक समीक्षा में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और किसी भी नए उत्पादक से विगत परिपाटी के अनुसार नई शिपर समीक्षा के लिए आवेदन पत्र दायर करने हेतु नहीं कहा जाना चाहिए।
- ख. जियांगशु ताइजी इंडस्ट्री न्यू मैटीरियल्स कं. लि. ने हाई मॉड्यूलस लो स्प्रिंग्स (एचएमएलएस) यार्न का निर्यात किया है जो उत्पाद क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए, निर्यातक को किसी शुल्क की अनुमति नहीं दी जा सकती।
- ग. संभावित पाटन और संभावित क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क स्थापित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- घ. वर्तमान जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को अन्य देशों से आयातों के कारण क्षति नहीं हुई है।
- ड. पाटन और क्षति की संभावना घरेलू उद्योग की कमजोर स्थिति, अग्रिम प्राधिकार के तहत आयातों के प्रभाव और छूटशुदा उत्पादकों, बाजार के रूप में भारत की महत्ता, शुल्क की समाप्ति की स्थिति में संभावित कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रास आदि से भी सिद्ध है।
- च. शुल्क को जारी रखना जनहित में होगा।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

171. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि अधिकतर टिप्पणियां पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच कर दी गई है और अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में उनको पर्याप्त रूप से हल कर दिया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए मुद्दों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है।

172. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने अपने दावे को दोहराया है कि वर्तमान समीक्षा का क्षेत्र जांचाधीन उत्पाद को शामिल करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। हितबद्ध पक्षकार इस तथ्य पर विश्वास करते हैं कि जांच की शुरुआत की अधिसूचना वर्तमान समीक्षा में प्रवंचनारोधी जांच को नहीं जोड़ती और वित्त मंत्रालय प्रवंचनारोधी जांच की सिफारिशें अधिसूचित न करें। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों के तर्क विगत परिपाटी के विपरीत हैं। प्राधिकरण वर्तमान सनसेट समीक्षा के अनुसरण में विचाराधीन उत्पाद के दायरे का विस्तार नहीं कर रहा है। जब प्राधिकारी ने प्रवंचनारोधी जांच के अनुसरण में प्रवंचनाकरने वाले उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाये जाने की सिफारिश करना उपयुक्त पाया है तो कोई भी बाद की निर्णायक समीक्षा का जांच परिणाम उस प्रवंचना करने वाले उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने के लिए होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब प्राधिकारी ने यह पाया है कि शुल्क की प्रवंचना की गई है तो जांच परिणाम का उस समय तक आधार होना चाहिए जब तक प्राधिकारी प्रवंचना के कानून के प्रावधानों के तहत समीक्षा करें। इसके अतिरिक्त जब प्राधिकारी ने पहले ही प्रवंचनारोधी जांच कर ली है और यह माना है कि शुल्क की प्रवंचना हो रही है तो प्राधिकारी के लिए पुनः यह जांच करने की अपेक्षा नहीं है कि क्या शुल्क की प्रवंचना निर्णायक समीक्षा में हो रही है।

173. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि चूंकि नियम 5 निर्णायक समीक्षा में लागू नहीं है, अतः एसआरएफ लिमिटेड को जांच से अलग नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी उस

किसी भी उत्पादक को अलग कर सकते हैं जो नियम 2(ख) के प्रावधानों के तहत विचाराधीन उत्पाद का आयात कर रहा है, जोकि निर्णायक समीक्षा पर लागू है।

174. इस तर्क के संबंध में एसआरएफ लिमिटेड (***) मीट्रिक टन) द्वारा उनके उत्पाद, आवेदक के हिस्से, अन्य उत्पादकों के उत्पादन, घरेलू उद्योग की पीसीएन वार ब्यौरों आदि के संबंध में आयात प्रकट किए जाने थे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस सूचना से व्यक्तिगत उत्पादकों की व्यापारिक स्वामित्व संबंधी सूचना का प्रकटन होगा। इस प्रकार, इस सूचना को पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार गोपनीय माना गया है।
175. आवेदन प्रपत्र में "तथाकथित पाटित वस्तु के निर्यातक अथवा आयातक" के साथ संबद्धता के संबंध में सूचना प्रकट करना आवेदक के लिए अपेक्षित है। इसके मद्देनजर, प्राधिकारी इस तर्क में कोई औचित्य नहीं पाते कि आवेदक संगत सूचना प्रदान करने में विफल रहा क्योंकि उसने गैर-संबद्ध देशों में उत्पादक/निर्यातक से संबंध प्रकट नहीं किया गया।
176. इन दावों के संबंध में कि आवेदन पत्र का अगोपनीय रूपांतर उपयुक्त नहीं था, प्राधिकारी ने दावा की गई गोपनीयता की जांच की है और दावों को स्वीकार करने के लिए उसे उपयुक्त पाया है। यद्यपि, हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति नहीं है, तथापि, दोनों के बीच किसी अंतर का आरोप नहीं लगाया गया है। जहां तक घरेलू उत्पादकों के अलग-अलग उत्पादन और घरेलू उद्योग के पीसीएन वार ब्यौरों का संबंध है, प्राधिकारी यह पाते हैं कि यह सूचना अलग-अलग कंपनियों की व्यापारिक स्वामित्व वाली सूचना है और इस प्रकार उन्होंने दावा की गई गोपनीयता को स्वीकार करना उपयुक्त पाया है।
177. हितबद्ध पक्षकारों ने अपने इस तर्क को दोहराया है कि पीसीआई वुड मेकेंजी की रिपोर्ट पर ऑल इंडिया लेमिनेटिड फैब्रिक्स मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में अधिकरण के निर्णय के मद्देनजर विश्वास नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों मामलों के तथ्यों की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि आवेदक ने स्वयं ही आवेदन पत्र में प्रकट किया था कि उसने पीसीआई वुड मेकेंजी की रिपोर्ट पर विश्वास किया है। यह बताने के लिए बाद में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई साक्ष्य अथवा सूचना नहीं दी गई थी कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना विश्वसनीय नहीं थी। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत रिपोर्ट में विश्वास की गई सूचना का पर्याप्त सार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह बताने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि पीसीआई वुड मेकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार क्षमता, उत्पादन और मांग के आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं।
178. कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि शुल्क की समान दर जारी रखी जानी चाहिए जबकि अन्य ने यह दावा किया है कि शुल्क की मात्रा दोबारा निर्धारित की जानी चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामला घरेलू उद्योग को जारी क्षति का मामला नहीं है, यद्यपि शुल्क की प्रवंचना से लागू शुल्कों के उपचारात्मक प्रभाव कम हुए। अतः चूंकि प्राधिकारी ने पाटन के जारी रहने और घरेलू उद्योग को बार-बार क्षति होने की संभावना का निष्कर्ष निकाला है, अतः समान शुल्क बढ़ाए जाने की सिफारिश करना उपयुक्त है।
179. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि सामान्य मूल्य चीन जन.गण. की लागतों और कीमतों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने डब्ल्यूटीओ के पाटनरोधीकरण के अनुच्छेद 2.2.1.1 के साथ पठित अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 (क)(i) के प्रावधानों पर विश्वास करते हुए सभी हाल की जांचों में चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना है। प्राधिकारी ने आवेदक के दावे को अधिसूचित किया था कि चीन जन.गण. को जांच की शुरुआत के स्तर पर ही गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाए जिस पर सभी पक्षकारों को इस दावे का खंडन करने का अवसर

दिया गया था। तथापि, ह्योसुग को छोड़कर किसी भी उत्पादक ने संगत सूचना प्रदान कर बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने का विकल्प नहीं लिया है।

180. यह स्पष्ट किया जाता है कि कि जियांगशु हेंगली तथा अन्य सभी उत्पादकों के लिए भी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन पीसीएन वार आधार पर निर्धारित किया गया है।

181. जियांगशु ताइजी के लिए पाटन मार्जिन के संबंध में इस मामले की जांच की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान केवल हाई मॉड्यूलस लो स्प्रिंग (एचएमएलएस) यार्न का निर्यात किया है। उत्पादक ने अपनाई गई पीसीएन वार पद्धति पर विश्वास करते हुए उस उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के रूप में माना है। तथापि, प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति अधिसूचित की थी जैसी कि मूल जांच में अपनाई गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में एचएमएलएस यार्न को जांच की उस शुरुआत के स्तर पर उत्पाद क्षेत्र में शामिल किया गया था। तथापि, विस्तृत जांच करने के बाद प्राधिकारी ने निम्नलिखित रूप में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से उस यार्न को अलग किया।

“19. एचएमएलएस गुणधर्मों वाले यार्न को हटाए जाने के लिए दावे के संबंध में यह नोट किया जाता है कि एचएमएलएस यार्न एक ऐसा यार्न है जिसमें दबाव के तहत लंबाई और स्ट्रेचिंग के बिना आयाम वाली स्थिरता है और वह भी गर्म ताप अनुप्रयोग के बावजूद सिकुड़न के बिना है। हम नोट करते हैं कि जारी पीसीएन वर्गीकरण के संदर्भ में एमएमएलएस यार्न के लिए परीक्षण मानदंड उसका 10 से कम “डोइमेंशनल स्टेबिलिटी इंडेक्स” निर्धारित किया गया था। डोइमेंशनल स्टेबिलिटी इंडेक्स 4 सीएन/डीटेक्स (एसटीएमडी 885 के अनुसार परीक्षित) और 0.05 सीएन/डीटेक्स अंतिम भार (एसटीएम डी4914 के अनुसार परीक्षित) पर 2 मिनट के लिए 177 डिग्रीसेल्सियस पर गर्म हवा की सिकुड़न पर लंबाई के समीकरण के रूप में मापा जाता है। एचएमएलएस यार्न का प्रयोग टायर कोर्ड्स (यात्री कार और हल्के वाणिज्यिक वाहनों में प्रयुक्त टायरों के भीतर पुनर्बलन के रूप में), यांत्रिक रबड़ के सामानों के उपयोग के लिए कनवेयर और वी-बेल्ट जैसे उत्पादों में किया जाता है।

20. निर्यातकों और घरेलू उद्योग से पीसीएन वार सूचना प्राप्त होने पर यह पाया गया था कि आरआईएल में जांच की अवधि के दौरान एचएमएलएस यार्न का उत्पादन नहीं किया है। यहां तक कि यद्यपि, एसआरएफ में जांच की अवधि के दौरान एचएमएलएस यार्न का उत्पादन किया है। तथापि, उसने अपने एचएमएलएस यार्न उत्पादन के 2 प्रतिशत से कम की ही वाणिज्यिक बिक्री की है। इस प्रकार, एचएमएलएस यार्न को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करना और वर्तमान जांच उपयुक्त नहीं होगी। तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से एचएमएलएस गुण धर्मों वाले यार्न को अलग किया है।”

इस प्रकार, यह सिद्ध है कि एचएमएलएस यार्न उत्पाद क्षेत्र का भाग नहीं बनता। इसके मद्देनजर ऐसे एचएमएलएस यार्न के निर्यातों के आधार पर जियांगशु तेजी को अलग पाटन मार्जिन/क्षति मार्जिन तथा शुल्क प्रदान नहीं किया जा सकता।

182. प्राधिकारी ने ज़ेजियांग युनिफुल और हुआओ युनिफुल दोनों को निम्नलिखित शुल्क तालिका में उत्पादकों के रूप में शामिल करने के लिए युनिफुल के अनुरोध को स्वीकार करना उपयुक्त पाया है।

183. जियांगशु हेंगली ने अपने इस दावे को दोहराया है कि उसके निर्यातों के परिणामस्वरूप पाटन और क्षति की कोई संभावना नहीं है और इस प्रकार, इस पर लागू शुल्क बंद किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन केवल सकारात्मक नहीं है बल्कि काफी भी हैं। इसके मद्देनजर, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसके निर्यातों के कारण पाटन और क्षति की कोई संभावना नहीं है।

184. इस तर्क के संबंध में कि आयात की महत्वपूर्ण मात्रा अग्रिम प्राधिकरण के तहत की गई है, प्राधिकरण ने लगातार यह माना है कि शुल्क मुक्त आयात शुल्क भुगतान वाले आयात के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है, दोनों के बीच एकमात्र अंतर सीमा शुल्क की राशि है। इसके अलावा, प्राधिकरण ने शुल्क मुक्त आयातों पर भी नोशनल सीमा शुल्क जोड़ने के बाद कीमत में कटौती का निर्धारण किया है। यह देखा गया है कि पाटनरोधी शुल्क के अभाव में, ऐसे शुल्क योग्य आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम होगी, जिससे पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को कीमत में कटौती होगी।
185. इस दावे के संबंध में कि चीनी उत्पादकों की अत्यधिक क्षमता अथवा निर्यातोन्मुखता और अन्य न्यायाधिकरणों द्वारा प्रशुल्क में वृद्धि कीमत आकर्षकता से संबंधित सूचना के अभाव में निर्धारक नहीं हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादकों द्वारा दायर उत्तरों से यह प्रकट होता है कि भारत एक कीमत आकर्षक बाजार है। इसकी जांच पहले भी वर्तमान जांच परिणामों के संगत भाग में की जा चुकी है।
186. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह चिंता व्यक्त की है कि समीक्षा में अलग-अलग मार्जिन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि प्राधिकारी ने संभावना का देशवार विश्लेषण किया है। चूंकि प्राधिकारी ने विद्यमान पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करना उपयुक्त पाया है अतः हितबद्ध पक्षकारों की चिंता पहले ही दूर कर दी गई है।
187. जहां तक इस दावे का संबंध है कि प्राधिकारी को 22 प्रतिशत की आय पर विचार नहीं करना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि मानी गई आय असाधारण रूप से उच्च संरक्षण देती है अथवा यह कि भिन्न आय औचित्यपूर्ण है। प्राधिकारी ने अपनी सतत परिपाटी के अनुसार 22 प्रतिशत की आय पर विचार किया है।

ढ. निष्कर्ष

188. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, दी गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा उपर्युक्त जांच परिणाम में रिकॉर्ड किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों तथा घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के बार-बार होने अथवा जारी रहने की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं :
- क. विचाराधीन उत्पाद 'हाई टेनासिटी पालिएस्टर यार्न' है जिसे बाजार स्तर में पालिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न (पीआईवाई) अथवा इंडस्ट्रियल यार्न (आईडीवाई) के रूप में भी जाना जाता है। इस उत्पाद क्षेत्र में 1000 से कम के डेनियर, 6000 से अधिक के डेनियर, टिवस्टेड यार्न, रंगीन यार्न, 1000 से अधिक डेनियर से युक्त अधेसिव एक्टीवेटेड यार्न और एचएमएलएस गुणधर्मों से युक्त वाले यार्न अलग किए गए हैं।
- ख. पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए बिना और उत्पाद विवरण बदल कर किए गए आयातों की मात्रा काफी अधिक है और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में चीनी उत्पादकों के संभावित व्यवहार को स्पष्ट रूप से सिद्ध करती है।
- ग. घरेलू उद्योग द्वारा खरीदा गया उत्पाद चीन से आयातित उत्पाद की समान वस्तु है।
- घ. आवेदक नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है। इसके अतिरिक्त पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने के अनुरोध का वेलनोन पोलिएस्टर्स लिमिटेड, सनातन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड और फेयरडील जमबो पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थन किया गया था। एसआरएफ लि. ने विचाराधीन उत्पाद तथा प्रबंधना करने वाले उत्पाद का काफी मात्रा में आयात किया है।
- ड. आवेदन पत्र में निर्णायक समीक्षा की शुरुआत के प्रयोजन के लिए संगत सभी सूचनाएं हैं और आवेदन पत्र में वर्तमान निर्णायक समीक्षा की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य निहित हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा संगत और आवश्यक मानी गई सभी सूचनाएं प्रदान की हैं।

- च. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। संबद्ध देश से निर्यातों की पर्याप्त मात्रा के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है।
- छ. पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, प्रवंचना करने वाले उत्पादों के आयातों में भी काफी वृद्धि हुई है। प्रवंचना करने वाले उत्पादों सहित इस उत्पाद के पाटित आयातों की कुल मात्रा में काफी वृद्धि दर्शायी है। यह भारत की क्षमताओं में काफी वृद्धि के बावजूद है। देश में इस उत्पाद के लिए वर्तमान संयुक्त क्षमताएं देश में इस उत्पाद के लिए वर्तमान से अधिक हैं।
- ज. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। कीमत कटौती की मात्रा काफी अधिक है।
- झ. घरेलू उद्योग के निष्पादन में विभिन्न आर्थिक मानदंडों के संदर्भ में सुधार हुआ है। तथापि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में परिवर्तन लागतों में गिरावट के कारण भी सुधार हुआ है।
- ञ. घरेलू उद्योग को जांच की वर्तमान अवधि के दौरान वास्तविक क्षति नहीं हुई है क्योंकि उसके निष्पादन में ह्रास नहीं हुआ है। तथापि, शुल्क की प्रवंचना से शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव कम हुए हैं।
- ट. पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में क्षति के बार-बार होने की संभावना है, जैसा कि निम्नलिखित कारकों से सिद्ध किया गया है।
- i. संबद्ध सामानों का पाटन पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के बावजूद जारी रहा है।
 - ii. आयातों की मात्रा भी काफी रही है और वस्तुतः पूर्ण एवं सापेक्ष दृष्टि से बढ़ी है।
 - iii. संबद्ध सामानों के बाजार हिस्से में काफी वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।
 - iv. प्रवंचना करने वाले उत्पाद के आयातों में इस अवधि में वृद्धि हुई है। विस्तृत जांच करने के बाद प्राधिकारी ने प्रवंचना करने वाले उत्पाद के आयातों पर शुल्क बढ़ाए जाने की सिफारिश की है।
 - v. चीन में इस उत्पाद के लिए काफी अधिशेष क्षमताएं मौजूद हैं और अधिशेष अप्रयुक्त क्षमताएं भारतीय घरेलू मांग से कहीं अधिक हैं।
 - vi. संबद्ध देश में उत्पादकों के पास भारत में मांग की तुलना में कहीं अधिक मालसूची है।
 - vii. संबद्ध देश में उत्पादक केवल भारत में ही पाटन नहीं कर रहे हैं बल्कि सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत की तुलना में पाटित और क्षति कारक कीमतों पर तीसरे देशों को संबद्ध सामानों का निर्यात भी कर रहे हैं।
 - viii. भारत चीनी उत्पादकों के लिए कीमत आकर्षक लाभकारी बाजार है।
 - ix. जांच की अवधि के बाद ही सूचना यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है और उसे वित्तीय हानियां हुई हैं।
- ठ. उपर्युक्त के मद्देनजर विद्यमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पूरी संभावना है कि चीन से संबद्ध सामानों के आयातों में पाटित और क्षति कारक कीमतों पर वृद्धि होगी।
- ड. जांच से यह दर्शाने के लिए कोई बाद सामने नहीं आई है कि यह पाटनरोधी शुल्क जारी रखना जनहित में नहीं होगा।
189. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विद्यमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की स्पष्ट संभावना और परिणामस्वरूप क्षति है और इसीलिए 5 वर्षों की अगली अवधि के लिए पाटनरोधी उपाय जारी रखने की सिफारिश करते हैं।

ण. सिफारिशें

190. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क एवं घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति की संभावना के संबंध में भी सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था।
191. यह निष्कर्ष निकालने पर कि यदि विद्यमान पाटनरोधी शुल्क समान करने की अनुमति दी जाती है तो पाटन और क्षति की संभावना का सकारात्मक साक्ष्य है, प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क आगे जारी रखने की आवश्यकता है। यहां ऊपर सिद्ध किए गए अनुसार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध सामानों पर विद्यमान पाटनरोधी शुल्क जारी रखनेकी सिफारिश करना उपयुक्त मानते हैं। तदनुसार, चीन जन.गण. के उत्पादकों के लिए निम्नलिखित शुल्क तालिका के अनुसार पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाती है।
192. इस प्रकार, पाटनरोधी नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(1)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी विद्यमान पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखनेकी सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना समाप्त की जा सके। तदनुसार, निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 8 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए लगाए जानेकी सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	5402.20 90	हाई टेनासिटी पॉलिएस्टर यार्न *	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	ह्योसंग कैमिकल फाइबर(जियाजिंग) कं. लि.	Nil	मी.ट.	अम.डॉ.
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	झेजियांग गुजियानडाओ पॉलिएस्टर डोप डायड यार्न कं.लि.	174	मी.ट.	अम.डॉ.
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	जियांगशु हेंगली कैमिकल फाइबर कं. लि.	234	मी.ट.	अम.डॉ.
4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	झेजियांग युनिफुल इंडस्ट्रियल फाइबर कं. लि.,	316	मी.ट.	अम.डॉ.
5	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	हुझोऊ युनिफुल इंडस्ट्रियल फाइबर कं. लि.	316	मी.ट.	अम.डॉ.
6	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	ऑरिएंटल इंडस्ट्रीज (मुझोऊ) लि.	Nil	मी.ट.	अम.डॉ.
7	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	कं. सं. 1 से 6 से इतर अन्य कोई संयोजन	528	मी.ट.	अम.डॉ.
8	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. से अलावा कोई अन्य देश	चीन जन.गण.	कोई	528	मी.ट.	अम.डॉ.

* हाई टेनासिटी पॉलिएस्टर यार्न जिसे पॉलिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न (पीआईवाई) अथवा बाजार स्थल में इंडस्ट्रियल यार्न (आईडीवाई) के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है।

- क. 1000 से कम डेनियर वाले यार्न
- ख. 6000 से अधिक डेनियर वाले यार्न
- ग. टिवस्टेड यार्न
- घ. रंगीन यार्न
- ड. 1000 से अधिक डेनियर वाले अधेसिव एक्टीवेटेड यार्न
- च. एचएमएलएस गुणधर्मों वाले यार्न

193. इसके अतिरिक्त, चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित निम्नलिखित जांचाधीन उत्पाद के आयातों पर विद्यमान पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. 7/9/2022-डीजीटीआर के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि निम्नलिखित जांचाधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया जाना अपेक्षित है:

- i. 1000 डेनियर से कम परंतु 840 डेनियर से अधिक के हाई टेनासिटी पॉलिएस्टर यार्न, दोनों अधेसिव एक्टीवेटेड और अन्य (पीयूआई I)। तथापि, 840 डेनियर और उससे कम के यार्न जब 2.4 प्रतिशत की अनुमत्य टॉलरेंस के अंतर्गत आयातित किए जाएं, विशिष्ट रूप से उत्पाद क्षेत्र से अलग किया जाता है।
- ii. 6000 डेनियर से अधिक परंतु 7000 डेनियर से कम के हाई टेनासिटी पॉलिएस्टर यार्न (पीयूआई II) तथापि, 7000 डेनियर के यार्न, जब 2.4 प्रतिशत की अनुमत्य टॉलरेंस के अंतर्गत आयात किए जाएं, विशिष्ट रूप से उत्पाद क्षेत्र से अलग किए जाते हैं।
- iii. 1000 डेनियर से अधिक परंतु 1300 डेनियर से कम के अधेसिव एक्टीवेटेड हाई टेनासिटी पॉलिएस्टर यार्न। तथापि, 1300 डेनियर के यार्न जब 2.4 की अनुमत्य टॉलरेंस के अंतर्गत आयात किए जाएं, विशिष्ट रूप से उत्पाद क्षेत्र से अलग किए जाते हैं।

त. आगे की प्रक्रिया

194. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण/समीक्षा के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION****FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 6th April, 2023

(Case No. AD (SSR) – 10/2022)**Subject: Sunset review of anti-dumping duties levied on imports of “High Tenacity Polyester Yarn” originating in or exported from China PR.**

F. No. 7/21/2022-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “AD Rules”);

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) received an application, from M/s Reliance Industries Limited (hereinafter also referred to as the “applicant”) requesting initiation of a sunset review investigation of the anti-dumping duties imposed on the imports of High Tenacity Polyester Yarn (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods”) from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”).
2. The original anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide F. No. 6/12/2017 dated 15th June 2017 to examine the nature and extent of dumping and its injurious effect on the domestic industry with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country. The Authority vide its Final Findings Notification No. 6/12/2017-DGAD dated 24th May 2018 recommended imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject country, which was given effect vide Customs Notification No. 35/2018 – Customs (ADD) dated 9th July 2018. The said duties were levied for a period of five years and are set to expire on 8th July 2023.
3. Thereafter, M/s Reliance Industries Limited filed an anti-circumvention application alleging circumvention of the existing anti-dumping duties by producers from China PR. The Authority vide F. No. 7/9/2022-DGTR initiated an anti-circumvention investigation of anti-dumping duties imposed on the imports of High Tenacity Polyester Yarn from China PR. The authority has issued final findings of the anti-circumvention investigation of ADD vide F. No. 7/9/2022-DGTR dated 31st March 2023.
4. In terms of Section 9A (5) of the Act, anti-dumping duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition. The Authority is required to review, whether the expiration of the said duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
5. Further, Rule 23(1B) of the AD Rules provides as follows.

“any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.”

6. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of anti-dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

7. The applicant filed an application, requesting initiation of a sunset review of the anti-dumping duties imposed earlier and seeking continuation of the existing anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject country. The request was based on the grounds that the expiry of the measures is likely to result in continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.
8. The Authority, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 7/21/2022-DGTR, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of the AD Rules to review the need for continued imposition of anti-dumping duties in respect of the subject goods, originating in or exported from China PR and to examine whether the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
9. The scope of the present review covers all aspects of the Final Finding No. 6/12/2017 dated 24th May 2018 and Notification No. 35/2018 – Customs (ADD) dated 9th July 2018.

B. PROCEDURE

10. The procedure described below has been followed with regard to the present investigation:
 - a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the AD Rules.
 - b. The Authority issued a public notice dated 30th September 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating sunset review investigation of anti-dumping duty on import of the subject goods from the subject country.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Government of the subject country, through its Embassy in India, known producers and exporters from the subject country, known importers / users and the domestic industry as well as other interested parties and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - d. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy in India, in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the non-confidential version of the application was also circulated to other interested parties.
 - e. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the sunset review investigation along with exporter's questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
 - i. Huzhou Unifull Industrial Fibre Co. Limited
 - ii. Hyosung Advance Materials Corporation
 - iii. Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co. Limited
 - iv. Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Limited
 - v. Oriental Industries (Suzhou) Limited
 - vi. Oriental Textile (Holding) Limited
 - vii. Qindao Weifeng Fibre Company Limited
 - viii. Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co. Limited
 - ix. Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co. Limited
 - x. Zhejiang Hailide New Material Co. Limited
 - xi. Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co. Limited
 - f. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the Embassy along with the list of the known producers/ exporters from the subject country.
 - g. In response to the initiation notification of the subject investigation, following producers/exporters from the subject country have responded by filing questionnaire response:
 - i. Huzhou Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.
 - ii. Hyosung Advanced Materials Corporation, Korea RP

- iii. Hyosung Chemical Fiber (Jianxing) Co. Ltd.
 - iv. Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd
 - v. Jiangsu Taiji Industry New Materials Co., Ltd
 - vi. Oriental Industries (Suzhou) Ltd.
 - vii. Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co., Ltd.
 - viii. Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.
- h. The Authority sent questionnaire to the following known importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
- i. Arvind Limited
 - ii. Arvind OG Nonwovens Private Limited
 - iii. Autoliv India Private Limited
 - iv. Bimban Industries Private Limited
 - v. Centennial Fabrics Limited
 - vi. Chavo Overseas
 - vii. Clioventus Inc
 - viii. Coated Sales Company Pvt. Ltd.
 - ix. Composite Strap India Private Limited
 - x. Deepak Textiles
 - xi. Entremonde Polycoaters Limited
 - xii. Fenner Conveyor Belting Private Limited
 - xiii. Ferretero India Pvt. Ltd.
 - xiv. Filatech Enterprise Private Limited
 - xv. Filink Exim Private Limited
 - xvi. G.R. Corporation
 - xvii. Ganeriwala & Sons
 - xviii. Garware Technical Fibres Limited
 - xix. Geosys India Infrastructures Private Limited
 - xx. Global Impex Inc.
 - xxi. Grabtech Fabrics LLP
 - xxii. Himalyan Polycords
 - xxiii. Indica Conveyors Limited
 - xxiv. International Conveyors Limited
 - xxv. Jagrit Polymers Private Limited
 - xxvi. Kanpur Plastipack Limited
 - xxvii. Karan Polymers Private Limited
 - xxviii. Khosla Profil Private Limited
 - xxix. Kohinoor Ropes Private Limited
 - xxx. Lift and Lash Private Limited
 - xxxi. M.G. Poly Coats Private Limited
 - xxxii. Madhuram Fabrics Private Limited
 - xxxiii. Madura Coats Private Limited
 - xxxiv. Madura Industrial Textiles Limited
 - xxxv. Mangalchand Tubes Private Limited
 - xxxvi. Maruti Lift & Safe Technique Private Limited
 - xxxvii. Meher Fashions Private Limited
 - xxxviii. Mehler Engineered Products India Private Limited
 - xxxix. MRS Exports
 - xl. Multitech Products Private Limited
 - xli. National Exports Corporation
 - xl. Newage Fire Protection Industries Private Limited
 - xl. Noble Tex Industries Limited
 - xl. NRC Corporation
 - xl. NRC Industries Limited

- xlvi. Plastene India Limited
- xlvi. PN International
- xlvi. PNP Polytex Private Limited
- xlvi. Polyhose India (Rubber) Private Limited
- l. Pragati Enterprises
- li. Sanathan Textiles Private Limited
- lii. Sankalp Safety Solutions LLP
- liii. Sankhla Industries
- liv. Sanrhea Technical Textiles Limited
- lv. Shakti Cords Private Limited
- lvi. Shan Fab (India)
- lvii. Sky Industries Limited
- lviii. SRF Limited
- lix. Strata Geosystems (India) Private Limited
- lx. Sunpure Technologies Private Limited
- lxi. Symbolic Fabtex Private Limited
- lxii. Techfab (India) Industries Limited
- lxiii. Techno Fabrics
- lxiv. Texperts India Private Limited
- lxv. Threads (India) Limited
- lxvi. Todi Mills
- lxvii. Tufropes Private Limited
- lxviii. Vardhaman Yarns and Threads Limited
- lxix. Vilax Industrial Fabrix Private Limited
- lxx. VR Enterprises

- i. The Authority also sent the questionnaire to the known Association of the subject goods in India, that is, Indian Technical Textile Association, for circulation and calling of necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
- j. In response to the initiation of the subject investigation, the following importers/users have responded by filing questionnaire response.
 - i. Autoliv India Private Limited
 - ii. Techfab (India) Industries Limited
 - iii. Vardhman Yarns and Threads Limited
- k. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties for inspection by the other interested parties by directing them to circulate the same to all the interested parties.
- l. A request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period and the period of investigation. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- m. The information/data submitted by the domestic industry has been verified to the extent deemed necessary and relied upon for the purpose of this final finding. Information was sought from the domestic industry and the other interested parties to the extent deemed necessary.
- n. The non-injurious price (NIP) has been determined based on the cost of production and reasonable profits to sell the subject goods in India as per information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules. Such non-injurious price has been considered to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- o. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to email non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

- p. The period of investigation for the purpose of the present investigation is 1st April 2021 – 31st March 2022. The injury analysis period covers 1st April 2018 – 31st March 2019, 1st April 2019 – 31st March 2020, 1st April 2020 – 31st March 2021 and the period of investigation.
- q. The Authority had invited views from the other interested parties regarding the PCN methodology proposed by the domestic industry. All other interested parties were requested to make their views known in writing within the prescribed time limit. Based on the comments received from all the interested parties, the Authority notified the final PCN methodology vide letter dated 23rd November 2022.
- r. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this Final Findings.
- s. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 24th January 2023 via digital video conferencing. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions. The parties shared their non-confidential submissions with all other interested parties and were advised to offer their rebuttals.
- t. A disclosure statement containing essential facts in the investigation which have formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 31st March 2023. The comments on the disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant in the Final Findings.
- u. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this Final Findings, to the extent possible and verified the data documents submitted by the domestic industry and the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary.
- v. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- w. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- x. “***” in this Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- y. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 75.37

C. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Submissions of the other interested parties

11. The submissions made by the other interested parties with regards to the product under consideration and like article are as follows:
 - a. The circumvented product cannot be considered as part of the scope of the present investigation as no final findings have been issued in the anti-circumvention investigation. Further, the Authority has stated in the initiation notification of the sunset review that the scope of the product under consideration remains the same as in the original investigation.
 - b. Any measure imposed pursuant to anti-circumvention investigation can run concurrently to only the original measure, which in the present case is, until 8th July 2023. Since the anti-circumvention investigation was initiated under Rule 25 of the AD Rules and thus, is in respect to only the original investigation, any recommendation made under this sunset review investigation would not lead to automatic extension of the recommended anti – dumping duties on the circumvented product. In order to continue the measures beyond the aforesaid date on the circumvented products, a review under Rule 28 of

the AD Rules would have to be initiated. The review under Section 9A (5) read with Rule 23 of the AD Rules relates to the original investigation only.

- c. The Authority cannot evaluate the undermining of the existing anti – dumping duties on the circumvented product, as is required for imposition of anti-circumvention measures, in the present review, since such power is provided only under Rules 25 and 26 of the AD Rules.
- d. Circumvented product cannot be included within the scope of the PUC in a sunset review investigation. Even in the sunset review concerning imports of jute products from Bangladesh and Nepal, the Authority did not include the circumvented product in its determination of dumping or injury margin.
- e. If anti-dumping duty is continued by the Authority pursuant to the sunset review, then such anti-dumping duty will also be extended to PUI if the Authority determines that there is circumvention of anti-dumping duty.
- f. The inclusion of tolerance limits within the scope of the product under consideration would amount to enlargement of the scope of the PUC. It has been a long-standing principle that the scope of the PUC cannot be enlarged in a sunset review investigation. On the other hand, it may be curtailed. The same has been upheld in *Leather Cloth and Plastic Manufacturers Association v. Union of India*².
- g. In the original investigation, the applicant had itself excluded yarns of less than 1000 deniers.
- h. When goods produced by the domestic industry were not considered as like article to certain imported goods in the original investigation, they cannot subsequently be considered as ‘like article’ in an anti-circumvention or a sunset review investigation.
- i. The use of yarn of 940 deniers has increased since it is better suited to make twine than yarn of 1000 deniers. Further, a 6% increase in denierage means 6% reduction in length of the goods.
- j. 940 denier is a new product and is not circumventing product, unlike yarn of 990 or 985 deniers.
- k. There is difference a between the purchase price of the PUC and the PUI, and the two cannot be used interchangeably. With the increase in the denierage of the yarn, the yarn becomes thicker. Consequently, when it comes to application, a needle with a bigger hole would be required.
- l. Finer denier yarn is used for OEM specification-driven applications, whereas the product under consideration is used for sole stitching.
- m. Breaking load increases with the increase in denierage. If a product’s breaking load requirements are met by using 700 deniers, instead of 750 deniers, then the customer can save 6% in raw material consumption. Same is the case for 940 vs. 1000 deniers, or 1000 vs. 1100 deniers.
- n. The product under consideration has not been declared and purchased as PUI. The denier is mentioned on the invoice, individual pallet and the final package. In case of any variation of the product from the declared denier, the same be verified by a laboratory and does not require any documentary proof.

C.2. Submissions of the domestic industry

12. The submissions of the domestic industry with regard to product under consideration and like article are as follows:

- a. The product is produced and sold in standard deniers globally, as is evident from brochures of major producers submitted by the domestic industry.

Hyosung Advance Materials	Hengli Griup	Guxiandao	Hailide America	Reliance India Limited
			126	
	210			
250	250		250	250
300	300			
			380	
	420		420	
500	500	500	500	500
630			630	
750				750
	840	840	840	840
1000	1000	1000	1000	1000

² 2012 (282) ELT 438.

1300	1300	1300	1300	
1500	1500	1500	1500	
	2000	2000	2000	
		2500		
			2600	2600
	3000	3000	3000	3000
	4000	4000	4000	4000
	5000	5000	5000	
				5200
	6000	6000	6000	6000
	8000			

- b. The applicant had originally requested the imposition of duty on imports of high tenacity polyester yarn as a whole. However, the product scope was modified through a corrigendum to exclude yarn below 1000 denier and pursuant to the investigation, yarns of more than 6000 deniers, and adhesive activated yarn of more than 1000 deniers were excluded.
- c. Post imposition of the anti-dumping duties, the exporters from the subject country began changing the product description, name, or composition to circumvent the applicable duties. "Abnormal" deniers are being imported into the country to avoid payment of existing anti – dumping duties and have compelled the applicant to apply for anti-circumvention investigation.
- d. Import data for the previous investigation would show that the applicant had excluded yarns of 840 deniers and below and 8000 deniers and above. There were no yarns imported between 840 and 1000 deniers or 6000 to 7000 deniers.
- e. At the stage of excluding yarn of below 1000 deniers, it was reasonably believed that it would allow yarns of 840 deniers and below to be imported.
- f. Imports of product under consideration have declined, while that of circumventing product have increased.
- g. Imports of circumventing product have entered from China only. Even the producers that were awarded nil duty in the original investigation have not exported such abnormal deniers.
- h. The circumvention could have been avoided if originally the yarns of denier of 840 and below had been excluded, instead of yarns of below 1000 deniers. The past practice in India as well as other jurisdiction demonstrates that circumvented product can be included within the scope of the product under consideration in a sunset review investigation.
- i. In this regard, reliance is placed on the findings in the sunset review of antidumping duty on imports of Polytetrafluoroethylene (PTFE) originating in or exported from China PR in which the Authority had recommended extension of anti-dumping duties on the circumvented product as well. The same approach was adopted by the Authority in the recently concluded sunset review of anti-dumping duty on imports of jute products originating in or exported from Bangladesh and Nepal.
- j. The volume of imports of the product under consideration has declined, while that of circumventing product has increased.
- k. The imports of circumventing product have entered from China PR only. Even the producers that were awarded 'nil' duty in the original investigation have not exported such abnormal deniers.
- l. The contention that if the anti-dumping duties are extended to yarns of above 840 deniers, circumvention of yarn less than 840 deniers would begin cannot be accepted. A yarn of 840 deniers is a genuine product, and cannot be used as a substitute for a yarn of 1000 deniers. If yarns of 840 deniers and below is dumped in the future, it can only be addressed in a fresh investigation.
- m. The Rules do not require the circumvented product to be a like article to the product under consideration or that the domestic industry produce a like article to the circumvented product.
- n. The circumvented product was not being imported at the time of the original investigation, and thus, the issue of like article was not examined.
- o. Since the product under investigation is produced using the same raw materials and manufacturing process, and is used for the same applications as PUC, and the domestic industry is producing like article to PUC, the domestic industry has produced like article for PUI as well.
- p. If using a lower denierage was offering benefits, the interested parties should explain why they became aware of such benefits only after imposition of duties. If lower deniers allow cost savings, the consumers can use 840 deniers.

- q. The interested parties have not shown any new downstream product that has been introduced after the duties were imposed that would require 940 deniers. Further, such deniers are not being procured from domestic producers, other countries, and exporters from China PR subject to nil duty. The contention of the interested parties that 940 deniers is not circumvented product, but 985 and 990 deniers has no basis.
- r. In order to produce a lower denier, only the speed of the machine is reduced, which leads to higher cost. However, there is no price difference between the product under consideration and the circumvented goods.
- s. As regards the claim that the circumventing product is used by OEMs, it was submitted that OEMs have been in India for several years but such deniers were not being imported prior to imposition of duty.
- t. Lower denier yarn is priced higher by 5-7% than the yarn of 1000 deniers. No savings would flow to the customers for using a lower denier.
- u. Contrary to the claim of interested parties, the applicant has not claimed misdeclaration, but circumvention of duty.
- v. The scope of product under consideration should include the circumventing products.
- w. In past cases as well, the Authority has included the circumventing product within the scope of continuation of measures recommended. The Customs notification issued in jute case, relied upon by other parties, appears to be an accidental omission, and the domestic producers in the case may pursue appropriate remedy in this regard.
- x. Past practice in other jurisdictions as well demonstrates that circumvented product is included within the scope of product under consideration in a sunset review investigation.
- y. Contrary to the submissions of the other interested parties, Rule 26 provides that an anti-circumvention investigation of the anti-dumping duty in force may be initiated, which includes original imposition as well as any continuation of duty pursuant to a sunset review. Further, Rule 23 provides that anti-dumping duty should expire unless the Authority finds that there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury while Rule 28 does not require lapse of measure after a particular period. Thus, anti-circumvention measures once imposed shall continue in force as long as the duty on product under consideration is in force, unless revoked pursuant to a review under Rule 28.

C.3. Examination by the Authority

13. The product under consideration as per the final findings of the Authority in the original investigation and at the stage of initiation of the present review investigation was as follows:

“The product under consideration in the present investigation is "High Tenacity Polyester Yarn" also known as Polyester Industrial Yarn (PIY) or Industrial Yarn (IDY) in the market parlance. The product scope excludes yarns having denier below 1000, denier above 6000, twisted yarns, colored yarns, adhesive activated yarns with denier higher than 1000 and yarns with HMLS properties. The scope of the PUC remains the same as in the original investigation.”

14. Pursuant to a request by the applicant, an anti-circumvention investigation into imports of (a) High Tenacity Yarns of less than 1000 denier but more than 840 deniers, both adhesive activated and others; (b) High Tenacity Yarns of more than 6000 denier but less than 7000 denier and (c) adhesive activated yarns of more than 1000 denier but less than 1300 deniers was initiated by the Authority on 27th July 2022. A number of submissions have been made by the applicant and other interested parties relate to such alleged circumvention of duty, and the scope of the product under investigation.
15. The Authority sought comments from interested parties with regard to the PCN methodology in the initiation notification dated 30th September 2022, within a period of 15 days. Since no comments were received by any interested party, the Authority has considered the following PCN methodology for the purpose of the present investigation:

Parameter	PCN Digit	Explanation
Denier	XXXX (4 Digits)	0000 = unknown 1000 = 1000 denier 2200 = denier, and so on
Type	XX (2 Digits)	HT – High Tenacity HM – High Modulus Low Shrinkage (HMLS) LS – Low Shrinkage OT – Others
Coating	XX (2 Digits)	AA – Adhesive Activated NA – Non Adhesive Activated

16. None of the interested parties have contested that the goods produced by the applicant are not like article to the subject goods being imported from the subject country. Therefore, on the basis of the information on record, the Authority, holds that there are no known differences in the goods produced by the domestic industry and the product under consideration imported from the subject country. The Authority, notes that the goods produced by the domestic industry and the product under consideration imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers use the two interchangeably. In view of the same, the Authority concludes that the goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject country.
17. The other interested parties have submitted that the scope of product under consideration cannot be changed in a sunset review investigation. They have further submitted that the circumvented product cannot become part of the product under consideration in the present investigation. The Authority notes that the product scope is not being enlarged pursuant to the sunset review. Any circumvention of duty shall be addressed pursuant to the anti-circumvention investigation. The Authority has concluded that the duties in force are being circumvented and finds it appropriate to recommend extension of duty to the product under investigation, continuation of duty recommended pursuant to the present review shall also apply to such product under investigation, as has been the consistent practice of the Authority to extend ADD to the circumventing products in case the Authority decides to extend the duty under Section 9A (5).
18. As far as the Authority's conclusion with respect to the PUC in the sunset review investigation concerning imports of jute products from Nepal and Bangladesh is concerned, it is noted that that the recommendation for imposition of duties made on the subject goods is equally applicable on the circumventing product.
19. It has also been contended that only circumvention of original imposition of duty can be addressed under Rule 25, and another review is required to be conducted under Rule 28 if the duties are to be continued for the circumventing product after the present sunset review. However, the Authority does not find the argument tenable. Rule 26 of the Rules provides that the Authority "*may initiate an investigation to determine the existence and effect of any alleged circumvention of the anti-dumping duty levied under section 9A of the Act*". Since both original imposition and continuation pursuant to sunset review are covered under Section 9A, circumvention of both can be addressed under Rule 26. Further, Rule 28 is clearly intended for review of anti-circumvention measures already in force, and does not have any relation to whether the duties in force are pursuant to original investigation or sunset review. The Authority also notes that the Authority has in the past extended duty to such circumventing products in case the Authority has considered it appropriate to recommend extension of ADD under Section 9A (5).
20. The other interested parties have argued that circumvention proceedings arising out of original duties cannot continue beyond the period of imposition of such duties and that for continuation of such duties after sunset review would require a review in terms of Rule 28. This submission is not tenable. It is noted that the none of the provisions pertaining to circumvention of duties lay down any period for expiry of such duties. Duties recommended as a consequence of circumvention investigation is co-terminus with the duties imposed through original investigation. Given the fact that in a sunset review investigation, the original duties are extended, and

therefore, any circumvention measure adopted as a consequence of such original investigation remain equally applicable to the sunset review investigation as well.

21. In view of the above, the product under consideration in the present sunset review investigation is proposed as follows

"High Tenacity Polyester Yarn" also known as Polyester Industrial Yarn (PIY) or Industrial Yarn (IDY) in the market parlance. The product scope excludes yarns having denier below 1000, denier above 6000, twisted yarns, colored yarns, adhesive activated yarns with denier higher than 1000 and yarns with HMLS properties.

22. It is also noted that post the issuance of the final findings in the original investigation, the Authority conducted an anti-circumvention investigation. Through its final finding dated 31st March, 2023 vide Notification No. 7/9/2022-DGTR, the Authority concluded that the duties imposed on PUC was being circumvented through exports of product under investigation (PUI) i.e., (a) High tenacity polyester yarns of less than 1000 denier, but more than 840 deniers, both adhesive activated and others (PUI I). However, yarn of 840 deniers and below, when imported within permissible tolerance of 2.4% is specifically excluded from the product scope. (b) High tenacity polyester yarns of more than 6000 denier, but less than 7000 denier (PUI II). However, yarn of 7000 deniers, when imported within permissible tolerance of 2.4% is specifically excluded from the product scope. (c) Adhesive activated high tenacity polyester yarns of more than 1000 denier, but less than 1300 denier (PUI III). However, yarn of 1300 deniers, when imported within permissible tolerance of 2.4% is specifically excluded from the product scope from China PR, and consequently through final findings dated 31st March, 2023 vide notification no 7/9/2022, anti-dumping duty was also recommended on PUI imported from China PR.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1. Submissions by other interested parties

23. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the domestic industry and standing:
- The reason for non-participation of SRF must be examined since it is one of the largest producers, had participated in the original investigation and has reported its highest-ever sales volumes in the polyester industrial yarn segments.
 - There is a tendency on the part of the domestic industry to provide information of selective producers having the least improvement in performance and highest level of non-injurious price.
 - The applicant has not disclosed its relationship with Recron Malaysia Sdn. Bhd, a related company in Malaysia.
 - Since Rule 5 is not applicable in case of sunset reviews, support letters of three other companies are inconsequential and have no bearing on the present sunset review.
 - Support letters by the three supporters do not include information as required under Trade Notice 13/2018 or 5/2021. They should be directed to submit their basic economic parameters and the same should be examined in the final finding.
 - Even though the applicant has not claimed it satisfies the requirements of Rule 2(b) or Rule 5(3), it is not clear how the Authority concluded the same.
 - Considering the new entrants in the market post imposition of duty, non- participation of SRF Limited, shut down of one of plants of the applicant and the fact that both SRF and applicant combined had accounted for 90% in the original investigation, the standing of the domestic industry needs to be examined.

D.2. Submissions by Domestic Industry

24. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the domestic industry and standing:

- a. The petition has been filed by Reliance Industries Limited and supported by Wellknown Polyesters Limited, Sanathan Textiles Private Limited and Fairdeal Jumbo Packaging Private Limited.
- b. Although SRF Limited is a producer of the subject goods, it is importing the product under consideration and the product under investigation, and thus, should not be considered as eligible to constitute domestic industry.
- c. RIL accounts for a major proportion of total Indian production, irrespective of whether production of SRF is included or excluded.
- d. The initiation notification clearly states that the Authority satisfied itself that the applicant meets the requirements of standing in terms of Rule 5(3) and constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b).
- e. There is no bar on change in scope of the domestic industry in a sunset review and a producer is not obligated to participate in the sunset review, merely because it participated in the earlier investigation. SRF Limited has engaged in and contributed to the continued dumping in India and circumvention of duty, should not be considered as a part of the eligible Indian production in the present investigation.
- f. As noted by the Appellate Body, it is likely that weaker-performing producers participate in the investigation. However, if such producers constitute major proportion, there is no impropriety as a result.
- g. The applicant was not required to disclose related parties in a third country as the eligibility for constituting domestic industry is determined based on relationship with exporters of dumped articles only.
- h. As per Trade Notice 11/2018, parties which do not file information, as per prescribed formats shall also be allowed to participate in the investigation. The Authority has considered support in multiple investigations, even if the information was not filed as per prescribed formats.
- i. Rule 5, relating to support by a domestic producer, is not applicable to sunset reviews.
- j. Even if support letters are not considered, the applicant satisfied the requirements of Rule 5(3).
- k. In the original investigation, the applicant only had a plant at Hazira, whereas it has set up a higher capacity plant at Patalganga during present injury period. Thus, the total capacity and production of the applicant is significantly higher in present period of investigation than that of the original investigation.

D.3. Examination by the Authority

25. The present application has been filed by Reliance Industries Limited. Apart from the applicant, there are 5 other producers of the subject goods in India. Wellknown Polyesters Limited, Sanathan Textiles Private Limited and Fairdeal Jumbo Packaging Private Limited have supported the application. The applicant has not imported the subject goods and is not related to an importer or exporter thereof.
26. Some of the interested parties have argued that the support letters are inconsequential in a sunset review and do not fulfil the requirements under Trade Notice 13/2018. The Authority notes that the provisions of Rule 5 are not applicable in a sunset review. Nevertheless, as per its consistent practice, while the Authority has considered the other domestic producers as supporting the application, the Authority has determined the scope of the domestic industry, on a standalone basis excluding producers who have merely supported the application.
27. The interested parties have emphasized the non-participation of SRF Limited, particularly in view of its public statements with regard to significant profitability. However, the applicant has claimed that SRF Limited has imported the product under consideration from the subject country and has also engaged in imports of the product subjected to circumvention investigation. The Authority has examined the DGCI&S data in this regard. It is noted that SRF Limited has imported a significant volume of the subject goods from the subject country (** MT during the POI), and has also imported ***MT the product under investigation in the circumvention investigation. Further, SRF Limited has not filed any response to the questionnaire, nor cooperated with the Authority for the present review. In view of the same, the Authority finds that SRF Limited cannot be considered as part of the domestic industry. Nevertheless, the Authority has examined the share of the applicant both including and excluding the production of SRF Ltd. Based on the information available, the Authority

determines that the share of the applicant in total Indian production is *** % including production of SRF and *** % (excluding production of SRF).

28. Some of the interested parties have argued that the applicant has not disclosed the details of a related party in Malaysia. However, the interested party has not shown relevance of such information to the present investigation. It is noted that Malaysia is not a subject country in the present investigation, and its imports do not constitute imports of alleged dumped article. There is no known import of the product from Malaysia during the current injury period. Relationship of applicant to a producer in Malaysia does not impact the eligibility of the applicant as a domestic industry.
29. Some of the other interested parties have claimed that impact of closure of one of the plants of the applicant, increase in number of producers and non-participation of SRF on the share of production of the applicant should be analysed. In this regard, it is noted that whereas there were only 3 producers at the time of original investigations (namely, SRF Limited, RIL and Fairdeal Jumbo Packaging Private Limited) with collective production capacity of about *** MT, there are 6 producers at present (namely, SRF Limited, RIL, Fairdeal Jumbo Packaging Private Limited, Wellknown Polyesters Limited, Sanathan Textiles Private Limited and Ferretero India Private Limited) with collective production capacity of *** MT. The production of the applicant is much higher in the present period of investigation, as compared to the period of investigation of the original investigation. During the period of investigation of the original investigation, the applicant had a lower-capacity plant at Hazira, which was shut down during the present injury period. However, owing to commencement of production at the plant at Patalganga, which was not in production during the period of investigation of the original investigation, the overall production of the applicant has increased.
30. Based on the information on record, the Authority, note that the production by the applicant constitutes a major proportion of Indian production. Accordingly, the Authority concludes that the applicant constitutes domestic industry in terms of Rule 2(b).

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by other interested parties

31. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the confidentiality:
- The applicant has claimed the PCI Wood Mackenzie Redbook Report confidential, without providing details of the author or any additional information required to verify the legitimacy of such a report.
 - The non-confidential version of the petition does not contain justification table as required under Trade Notice No. 1/2013.
 - The non-confidential version of the petition is not a replica of the confidential version, as required under Trade Notice 1/2013.
 - The domestic industry has not disclosed production of other producers, as required under Trade Notice 10/2018, and its own share in total production.
 - Even information such as names of raw materials, which are relevant for understanding production process.
 - The percentage profit/loss, return on capital employed, price underselling/injury margin have been claimed confidential.
 - The domestic industry has not disclosed the name/sources of import data they relied on, and such data may not be reliable
 - The applicant has neither provided the essential costing formats nor have they disclosed the sources of the third-party information relied upon to establish likelihood. The data in the costing formats may be confidential and can be indexed / redacted, however, the costing formats as such including the name of raw material, utilities, etc. must be enclosed in non-confidential disclosures to other interested parties.
 - The sources containing third party information as relied upon by the applicant ought to have been examined by the Authority for the accuracy and adequacy of evidence as stipulated by Rule 5(3)(b) of the AD Rules. This has further been mandated by the rulings of the Hon'ble Supreme Court in T. Takano v. SEBI [(2022) 8 SCC 162] and the Hon'ble CESTAT in All India Laminated Fabrics

Manufactures Association vs Designated Authority & Ors. (Anti-dumping Appeal No. 52173 OF 2021).

- j. The Hon'ble Customs and Excise Appellate Tribunal ("CESTAT") in the case of All India Laminated Fabrics Manufactures Association vs Designated Authority & Ors., vide its decision dated 28.02.2022, has held that such unsubstantiated report must not be relied upon as it violates Rule 7 of the AD Rules, which mandates the Authority to satisfy itself of the accuracy of the information supplied by the parties.
- k. The applicant has neither provided the essential costing formats nor have they disclosed the sources of the third-party information relied upon to establish likelihood. The data in the costing formats such as the name of raw material, utilities, etc. must be enclosed in non-confidential disclosures to other interested parties.

E.2. Submissions by Domestic Industry

32. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the confidentiality:
 - a. As opposed to the contentions of the other interested parties, PCI Redbook has been submitted to the Authority. Since the same is a world-renowned market research agency, it is a credible source of information.
 - b. No prejudice has been caused to the other interested parties due to the confidentiality claimed with regard to PCI Redbook as they were free to obtain it themselves after payment of relevant fees. However, the petitioner is barred from sharing the same as it is third party information and the copyright of such report vests only with the relevant agency.
 - c. Contrary to the claim of the other interested parties, the applicant has provided the justification table as required under Trade Notice 1/2013.
 - d. The information contained in Section VI relates to business proprietary information and cannot be disclosed.
 - e. While the interested parties have claimed that the non-confidential version is not a replica of the confidential version, they have not highlighted the difference.
 - f. Contrary to the contention of other interested parties, the total Indian production has been disclosed. Individual production and share of production of other producers cannot be disclosed as it would lead to disclosure of production of the applicant and various parties.
 - g. As regards the contention that formats should have been provided on redacted basis to allow identification of raw material, it was clarified that the manufacturing process along with names of raw material was provided in the non-confidential version of the application.
 - h. The percentage profit/loss, return on capital employed, price underselling and injury margin are confidential business proprietary information which cannot be disclosed.

E.3. Examination by the Authority

33. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties for inspection as per Rule 6(7) of the Rules.
34. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

"Confidential information: (t) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

35. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties in the form of public file. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of the domestic industry has been made available in the public file. Business sensitive information has been kept confidential as per practice. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.
36. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality. The Authority directed all interested parties to circulate the non-confidential version of evidence submitted by them.
37. The other interested parties have claimed that since PCI Wood Mackenzie Redbook Report has been claimed confidential, it should not be relied upon by the Authority. The Authority notes that the domestic industry has submitted that the report is a third-party information and the applicant is not authorized to disclose the same publicly. Therefore, the Authority considers that confidentiality of such evidence is protected under the rules. It is also noted that the applicant provided all relevant information relied upon by the applicant from this report in the non-confidential version. Therefore, the interested parties have not shown prejudice caused to them by such confidentiality. The Authority notes the claim made by the domestic industry that these interested parties were free to procure the report themselves, directly from PCI, as the report can be procured by any party after necessary payment. It is further noted the applicant has provided adequate non-confidential summary of the report in their application.
38. The interested parties have contended that the domestic industry has not disclosed information pertaining to capacity, production, sales, return on investment, costs and information contained in Section-VI. The domestic industry has provided the indexed numbers pertaining to all injury parameters. The Authority notes that such information is confidential by nature, and has accepted the confidentiality claimed by the domestic industry.
39. Concerning the allegation that import data used by the domestic industry may be unreliable, the Authority notes that the concern of the interested parties is addressed inasmuch as the Authority has relied upon DGCI&S data for the purpose of the present findings.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

F.1. Submissions by other interested parties

40. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties with regard:
 - a. Expiry of duty after 5 years is the general rule under Section 9A(5), and continuation is an exception as per proviso to the aforesaid provision.
 - b. Any further extension of existing duty will be in violation of Article 11.1 of the Anti-Dumping Agreement and Rule 23(1) of Customs Tariff Rules, 1995 as the duty has served its purpose and its existence no longer justified to counteract dumping. There are no special/exceptional circumstances calling for the continuance of the anti-dumping duty.
 - c. The information provided by the applicant is manifestly 'insufficient' to justify the initiation of an investigation under Rule-5(3) of the Rules, and as required by Article 5.3, and in accordance with the findings of the WTO Panel in United States – Softwood Lumber from Canada, Mexico – Steel Pipes and Tubes and Guatemala – Cement II.
 - d. The extension of duties will not serve purpose as majority of imports are cleared under advance license and exported by 'nil' rated exporters in the original investigation.
 - e. In view of the provisions of Rule 23(1) and 23(3), Rule 4(d), Rule 17(1) and Annexure-III of the Anti-Dumping Rules, duty is required to be re-quantified in sunset review, especially if a new producer participates in the investigation. Such producer should not be subject to residual duties.
 - f. OTIZ, with nil dumping margin and nil duty rate in the original anti- investigation, cannot be subjected to the sunset review. There can be no examination of continuation or recurrence of dumping when the Authority has already determined that OTIZ was not dumping at the stage of original investigation or has effectively terminated the investigation, in accordance with Article 5.8 of the WTO AD Agreement

read pari materia to Rule 14(c) of Anti-Dumping Rules and Mexico – Definitive Anti-dumping measure on Beef and Rice.

- g. Since the Authority has prescribed the revised procedure for procuring import data under Trade Notice 1/2022, the applicant must seek DGCI&S import data, and thereafter, provide methodology for segregation of such data. The investigation should not be proceeded with, in the absence of such information.
- h. The PCI Redbook data shows relevant nation-wide macro level data and is not sensitive information. The Supreme Court in T. Takano v. SEBI held that all information relating to the proceedings must be disclosed. The Tribunal in India Laminated Fabrics Manufactures Association vs Designated Authority & Ors. held that unsubstantiated reports cannot be relied upon.
- i. Capacity and production as per PCI Redbook should not be accepted, since such data is not specifically provided for high tenacity polyester yarn and product under consideration, and there is participation by a significant number of producers. Further, the relevant pages of the said report are claimed confidential from other parties. The Authority should consider actual capacity, production to determine excess and idle capacity.
- j. Concerning the PCI Redbook, it was submitted that the Tribunal in India Laminated Fabrics Manufactures Association vs Designated Authority & Ors. held that unsubstantiated reports cannot be relied upon.

F.2. Submissions by the domestic industry

41. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry with regard:

- a. The interested parties have claimed that a proviso is an exception to the rule. Thus, a proviso stating that duty may be extended if there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury implies that duty may expire in 5 months except where the situation mentioned in the proviso exists. Once the exception exists, duty may not expire.
- b. As held by the Courts in various cases, only *prima facie* evidence is required at the stage of initiation.
- c. While the interested parties have contended that the investigation was initiated without sufficient evidence, they have not highlighted which parameter was not duly substantiated. The Authority has initiated the investigation after satisfying the accuracy and adequacy of the evidence provided by the applicant.
- d. In view of the observations of Tribunal and past practice of the Authority, exporters that were given nil rate of duty in the original investigation should be considered within the purview of the present investigation.
- e. The quantum of duty for exporters that were awarded nil duty in original investigation should be determined having regard to present data, and post POI information.
- f. Regarding the claim that duty should be re-quantified especially where a new producer participated, it was emphasized that a new producer should file an application for new shipper review, or general re-quantification can be done in mid-term review. A new producer can only be subjected to residual duty, as was done in the case of TDI and VSF.
- g. The duty should be modified only after considering post POI information and if it is established that the import volumes and import price show undistorted situation.
- h. While the applicant has requested for the DGCI&S data, it has not received it yet, and thus, has not been able to provide import information on that basis.
- i. The exporters should also be asked to provide post POI data, and any exporter not providing the same should be treated as non-cooperative.
- j. Since the domestic industry has requested extension of duty with suitable enhancement, duty should not be reduced. In any case, need for reduction can be examined only once the exporters furnish post POI data.
- k. While the other interested parties have argued that PCI Redbook data should not be accepted since it was not made available to them, PCI has been considered a reputed source in the past. In case the other parties wish to correlate the data, they can procure the report themselves.
- l. In the absence of direct information, the applicant had applied the ratio of capacity of HTPY to the overall capacity to determine production and demand for HTPY. However, even if HTPY capacities with total production and demand is considered, it would still show significant idle capacities.

F.3. Examination by the Authority

42. Insofar as submissions regarding period of duty are concerned, the Authority notes that the purpose of anti-dumping duty is to prevent dumping and consequential injury to the domestic industry, thereby providing a level playing field, and relief to the domestic producers against injurious dumping. The ADD was imposed earlier since the Authority found after an application was filed by the domestic industry that the foreign producers resorted to dumping of the goods in the Indian market and the same had caused injury to domestic industry. The present investigation has been initiated to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury, in the event of expiry of present duty. If the Authority determines that dumping and injury are likely to continue or recur, in the absence of the extant duties, the anti-dumping duties are required to be statutorily extended, notwithstanding the period of imposition of duties.
43. Some of the other interested parties have argued that the information provided by the applicant was not sufficient to justify the initiation. The parties have, however, failed to provide any specific details or evidence as to why the data filed by the applicant was insufficient to justify initiation. Further, the Authority initiated the sunset review in view of the duly substantiated application with evidence of the likelihood of dumping and injury filed in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules. Thus, the Authority finds no merit in such contentions.
44. Some of the other interested parties have stated that duties should be re-quantified for new producers / exporters. The matter has been examined, and it is noted that in the present review, the Authority shall make a determination, in accordance with statutory provisions and past practice.
45. As regards the request for termination of investigation against producers found not to be dumping in the original investigation, the Authority notes that such termination would not be in accordance with the settled jurisprudence and its own practice. During the original investigation, nil duty was levied on the exporter, but the investigation against it was not terminated. The Authority has consistently taken a view that it can conduct sunset reviews against an exporter having zero duties in the original investigation. In the case of *Robin Resources vs. Union of India*, the Hon'ble CESTAT also noted as follows:
- "9. We note that the DA can consider where an exporter was awarded zero duty in the original investigation and has now found to be dumping which is likely the cause injury to DI, then AD duty can be considered for imposition with reference to dumping margin and injury margin established during the review. We note that the DA followed the requirements of Articles 2 and 3 of the ADA and the relevant provisions of AD Rules. We also note that regarding appellants, the DA has examined and reviewed all the aspects of original investigation and in addition examined whether expiry of initial notification is likely to lead a recurrence of dumping/injury to the DI. As already noted, that this is like a fresh investigation insofar as appellant is concerned and we find no legal infirmity in such action by the DA..."*
46. Some of the interested parties have submitted that the applicant must provide DGCIS data and the investigation cannot proceed without it. The Authority notes, that it procured DGCIS data for the purpose of the present sunset review investigation. The information as per the said data was provided in the disclosure statement and all interested parties were given an opportunity to comment on the same. Hence, no prejudice has been caused to the interest of any of the interested parties.
47. Some of the interested parties have claimed that report of market research agency cannot be relied upon. The Authority notes that the interested parties have, however, not established that PCI Wood Mackenzie does not have sufficient reliability and acceptability for the present purposes. PCI and Wood Mackenzie reports have been considered as reliable evidence by the Authority in the past as well, such as in the investigations concerning imports of PTA, PET resin and Fully Drawn Yarn. Accordingly, the Authority does not find any cause for disregarding the information contained in the report. Since this report is a propriety report and has been purchased for a specific purpose, it cannot be shared. However, other interested parties are at liberty to purchase the same report.

Section II**G. NORMAL VALUE, MARKET ECONOMY TREATMENT, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN****G.1. Views of other interested parties**

48. Following submissions have been made by the other interested parties with regard to the normal value, market economy treatment, export price and dumping margin are as follows:

- a. In the original investigation, the Authority had granted market economy status to HCF after detailed examination of the relevant facts. The Authority had also conducted an on-site verification of the producer and exporter on their site in China PR and Korea RP, respectively. All the facts on the basis of which the MET status was granted in the original investigation has remained the same. Therefore, the MET status should be continued in the present sunset review as well.
- b. All the directors and shareholders in HCF are Korean citizens and entities. Therefore, there is no state intervention in their operations.
- c. The negotiations for sales conditions with the Indian customers are done by Hyosung- Korea directly and orders are placed through a transparent SAP system to HCF. For domestic sales, HCF is authorized by Hyosung - Korea to negotiate sales conditions with Chinese customers. Key Raw materials are procured from unrelated companies.
- d. HCF adopts commercial exchange rate as per the rates announced by the State Administration of Foreign Exchange on the first day of each month to transfer foreign currency transactions into reporting currency transactions. There are no restrictions on the use of HCF's export revenue.
- e. The Authority also noted that HCF did not avail itself of any derogation or exemption under the Company Law, Labour Law, Accounting Law, Contract Law, Bankruptcy Law or Property Law of China PR. The major raw material used in manufacture of the PUC is the PET chips. The price at which PET chips are purchased by HCF reflects the international prices. Further, the oiling agents used in manufacture of the PUC are imported by HCF from market economy countries.
- f. The utilities used in the manufacture of the PUC are purchased at negotiated prices and are comparable to international prices.
- g. There is no other government restriction on the operations and activities of HCF.
- h. China PR should not be treated as a non-market economy and normal value should be calculated in accordance with Article 2 since Article 15 of the Accession Protocol has expired on 11th December, 2016. As such, the practice of determining 'surrogate country' for normal value determination should not be used. Refence can be made to the recent Appellate Body report in EC-Fasteners (China). Consideration of China as a non-market economy would entitle China to challenge such determination before the WTO.
- i. India is bound by the principle of "pacta sunt servanda" as a member of WTO and must recognize China's full market economy status from 11th December 2016.
- j. Statement issued by White House and Explanatory Memorandum attached to EU Council decision reveal that US and European Union also shared the understanding that China PR can be treated as a non-market economy only till 11th December 2016.
- k. The Authority has no legal provisions or methodology for considering Chinese producers as operating on non-market economy principles for disregarding their domestic prices and costs. The normal value for Chinese producers be determined on the basis of their domestic prices and cost of the subject goods.
- l. Determination of dumping margin for the exporters from China on the basis of their domestic prices and costs would indicate that there is no likelihood of dumping.
- m. Injury, if any, to the domestic industry is due to inter se competition. Moreover, the domestic industry has admitted the improvement in their performance over the injury investigation period.
- n. The market economy claim of Hyosung must be accepted, as was done post verification in the original investigation.
- o. The Indian Authority should not use surrogate country methodology in calculating normal value for this case, and instead consider domestic prices and costs.

- p. Under para 7 of Annexure I of Rules, normal value can be determined based on price paid or payable, if information for the market economy third country is not available. The domestic industry is under an obligation to inform, without unreasonable delay, the selection of an appropriate market economy country. This is also in line with the decision of Supreme Court in Shenyang Matsushita.
- q. Adjustments to Export price claimed are not substantiated by evidence.
- r. The Authority should verify the responses filed and assess dumping margin and injury margin on the basis of actual data provided.
- s. The Authority must undertake a holistic assessment of the likelihood of dumping & injury by examining the performance of DI for 6 months post POI and not the pre-POI performance. (Para 17.30 of MOP)
- t. Despite shutting down of one of the plants of DI, the sales, profit, return, capital utilization etc. have increased during the POI.
- u. The reason behind increased imports from the subject country is not dumping, but the demand in domestic market following the development of downstream industry.
- v. Domestic Industry is deliberately refraining from providing the post-POI data which is important for establishing the likelihood of injury.
- w. Imports from China PR increased just to fill the demand & supply gap in India.
- x. When the domestic industry has not claimed injury from imports coming from third countries (Taiwan & Vietnam), there cannot be likelihood of dumping & injury from China.

G.2. Views of the domestic industry

49. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to the normal value, export price and dumping margin are as follows:
- a. China can be treated as a non-market economy by virtue of the provisions of Article 15(a)(i) of the Accession Protocol, which have not expired. The Authority has considered China as a non-market economy in all recent cases.
 - b. India has not acted inconsistently with the provisions of “pacta sunt servanda”, as China has not removed distortions and allowed prices to be set by the market.
 - c. USA and European Union have also continued to treat China as a non-market economy. In fact, China approached the WTO Dispute Settlement Body against such treatment, but withdrew its request.
 - d. Except Hyosung, none of the producers have filed the NME Questionnaire.
 - e. Since except one producer, none of the other have shown that market economy conditions prevail in their industry, the Authority is not required to determine the normal value based on domestic prices or costs in China.
 - f. Since no public information is available regarding the prices of the subject goods in third market and PCN-wise price of imports from third countries, the normal value should be determined based on the price payable in India after adjusting a reasonable profit margin.
 - g. The interested parties have failed to explain why the Authority should not consider surrogate country methodology for calculating normal value.
 - h. Contrary to the submissions of the other interested parties, the applicant is not required to inform the selection of the appropriate market economy country. The other parties were also free to suggest the same.
 - i. The constructed normal value should be determined on actual cost of production since it is not appropriate to assume that producers in China are operating their plants at the most optimum cost of production.
 - j. While Hengli has claimed that dumping margin should be based on domestic prices or cost, it has not filed response to the MET questionnaire.
 - k. The adjustments to the export price have been claimed as per the consistent practice of the Authority. Since the producers have participated in the investigation, the export price would, in any case, be determined based on their data.
 - l. The exporters should also be asked to provide post POI data, and any exporter not providing the same should be treated as non-cooperative.

G.3. Examination by the Authority

50. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

- (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
- (ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

51. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a)(ii) have expired on 11th December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15(a)(i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/ exporters from China PR have not submitted information substantiating that they are operating under market economy conditions, the normal value is required to be determined as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules. It is noted that barring one producer from China PR, none of the producers have submitted information substantiating that they are operating under the market economy conditions.
52. The Authority notes that M/s Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd., China PR along with its trader, M/s Hyosung Advanced Materials Corporation, Korea RP have filed market economy treatment (MET) questionnaire in the present investigation.

53. The exporters questionnaire responses and the market economy treatment questionnaire responses of these responding producers and exporters were examined. The position on the market economy claim, arising out of the verifications, is summed up as below.

Market Economy Treatment for Hyosung Chemical Fiber (Jianxing) Co. Ltd. (“HCF”) and Hyosung Advance Materials Corporation, Korea RP (“HAMC”)

54. The Authority has examined the market economy treatment claim made by the Hyosung Chemical Fiber (Jianxing) Co. Ltd., as the company has filed a response to market economy treatment questionnaire. The Authority notes that Hyosung Chemical Fiber (Jianxing) Co. Ltd. has two shareholders namely, Hyosung Advanced Material Corporation (“HAMC”) and Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. (“HSJC”). Both the shareholders are wholly owned subsidiary of the Hyosung Group. Thus, the ultimate holding company of HCF is Hyosung Corporation, Korea RP.
55. The Authority notes that HCF is the producer of the product under consideration in China PR and has exported the product under consideration through its related exporter namely, HAMC, Korea RP. Both the entities have filed Exporters’ Questionnaire Response in the present investigation.
56. In the original investigation, spot verification of the information/data submitted by M/s Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd., China PR (HCF) and its trader, M/s Hyosung Advanced Materials Corporation, Korea RP (Hyosung - Korea) was conducted at the premises of the companies in China PR and Korea RP, respectively, and detailed verification reports were issued to them. In the present review investigation, the Authority has conducted desk verification of the records relating to the market economy claim of M/s Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd., China PR and the trader M/s Hyosung Advanced Materials Corporation, Korea RP (“HAMC”).
57. The Authority verified the records of HCF during the desk verification. It was noted that HCF operates under the control of *** which is wholly owned by *** Even Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd., China PR (“HSJC”) which holds minor shareholding in HCF is ultimately owned by ****. The Board of Directors of HCF comprises entirely of Korean citizens and there are no Chinese (government or otherwise) citizens on the Board of Directors of HCF.
58. The Authority considers that the company was granted market economy treatment in the original investigation. During the present review, the domestic industry has not brought any evidence on record to show any changed circumstances warranting a review of the previous determination, nor there is any other information/evidence on record warranting a review of the previous determination and the present investigation is a sunset review investigation of ADD in force. Therefore, the Authority grants HCF and HAMC market economy treatment in continuation with the original investigation.

Normal Value for M/s Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd., China PR (HCF) and M/s Hyosung Advanced Materials Corporation, Korea RP (HAMC)

59. The producer/ exporter was found to be operating under the market economy conditions as explained above.
60. From the response filed by HCF and HAMC, the Authority notes that HCF and HAMC has exported only one PCN to India during the POI. Accordingly, the Authority has determined the normal value for the same PCN. It was noted that during the POI, HCF has sold [*** MT] of the comparable PCN in the domestic market. All sales in the domestic market were made to non-affiliated parties during the POI. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of the subject goods. It was noted that profitable transactions were less than 80%. Accordingly, only profitable domestic sales have been taken into consideration for computation of normal value.

61. HCF has claimed adjustments on account of inland freight and credit expense from the domestic selling price. The Authority has allowed the adjustments for the same after desk verification. Accordingly, normal value for HCF has been computed and mentioned in the dumping margin table below.

Determination of Normal Value for all other producers from China PR

62. The Authority notes that barring one producer from China PR, none of the producers have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules which reads as under:

“In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

63. The Authority also notes that as per the provisions of para 7 of Annexure I to the Rules, the normal value may also be determined based on price or constructed value in a market economy third country, or price of exports from such country to other countries, including India. However, no information has been provided by the interested parties with regards to selling price or cost of production in a market economy third country. Further, the Authority notes that export price from a market economy third country to any other country, including India cannot be considered in the present investigation due to adoption of PCNs in the present investigation. It is necessary to undertake PCN-wise comparison in the present investigation.
64. The Authority, has therefore, computed the normal value for the subject imports from China PR into India “any other reasonable basis”. The normal value for all other producers from China PR has been determined based on the cost of production in India, duly adjusted and after reasonable additions for the selling, general & administrative expenses, and a reasonable profit margin. The same has been mentioned in the dumping margin table below.

Determination of Export Price

65. The followings producers / exporters have filed exporter questionnaire response:

- i. Huzhou Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.
- ii. Hyosung Advanced Materials Corporation, Korea RP
- iii. Hyosung Chemical Fiber (Jianxing) Co. Ltd.
- iv. Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd
- v. Jiangsu Taiji Industry New Materials Co., Ltd
- vi. Oriental Industries (Suzhou) Ltd.
- vii. Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co., Ltd.
- viii. Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.

Oriental Industries (Suzhou) Ltd.

66. Oriental Industries (Suzhou) Ltd., (hereinafter referred as “OTIZ”) is a producer of the subject goods from China PR. OTIZ has produced and exported the subject goods directly to unrelated customers in India. OTIZ has provided relevant information as prescribed in the exporter questionnaire response.

67. OTIZ has provided PCN wise information relating to exports of the subject goods to India in Appendix 3A of its response. It is noted that OTIZ has exported *** MT of the subject goods to unrelated customers in India. OTIZ has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges, which have been allowed by the Authority after due verification.
68. The Authority has verified the PCN wise information for the exports to India reported in the questionnaire response by OTIZ. The export determined for OTIZ has been in the dumping margin table below.

Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co., Ltd.

69. Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co., Ltd., (hereinafter referred as “Guxiandao”) is a producer of the subject goods from China PR. Guxiandao has produced and exported the subject goods directly to unrelated customers in India. Guxiandao has provided relevant information as prescribed in the exporter questionnaire response.
70. Guxiandao has provided PCN wise information relating to exports of the subject goods to India in Appendix 3A of its response. It is noted that Guxiandao has exported *** MT of the subject goods to unrelated customers in India. Guxiandao has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges, which have been allowed by the Authority.
71. The Authority has verified the PCN wise information for the exports to India reported in the questionnaire response by Guxiandao. The weighted average export price determined for Guxiandao has been mentioned in the dumping margin table below.

M/s Jiangsu Taiji Industry New Material Co., Ltd., (Producer/Exporter) China PR,

72. Jiangsu Taiji Industry New Material Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Taiji") is a producer from China PR.
73. Taiji has provide PCN- wise information relating to exports to India in Appendix 3A of its questionnaire response. During the POI, Taiji has exported *** MT directly to India on FOB basis. Taiji has claimed adjustments on accounts of inland transportation, port and other related expenses, bank charges and credit cost were allowed after desk verification. Accordingly, export price was determined at the stage of disclosure statement. However, post issuance of disclosure statement, the domestic industry alleged that the exporter had only exported High Modulus Low Shrinkage (HMLS) Yarn, which is excluded from scope of product under consideration. The Authority examined the issue and found that Jiangsu Taiji had exported HMLS Yarn. Since such yarn is excluded from scope of product under consideration, no margin has been quantified for the exporter.

M/s Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.(Producer/Exporter)China PR and M/s Huzhou Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.(Exporter/Trader) China PR

74. Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd., China PR (hereinafter referred to as Unifull) is producer of the subject goods in China PR. Over the past three years, the company structure has undergone certain changes. The major change to the company's structure on 28th September 2019 ***.
75. Unifull has provided PCN-wise information relating to exports of the subject goods to India in Appendix 3A of its questionnaire response. During the POI, Unifull, has exported ***MT of the subject goods directly to India on CIF basis. It is further noted that Unifull has also exported ***MT of invoices value ****\$ of the subject goods indirectly to India through a related exporter/trader namely Huzhou Unifull Industrial Fibre Co., Ltd. The producer/exporter has claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation and port related expenses, credit cost and bank charges and credit cost which has been allowed after desk verification. Accordingly, the weighted average export price so determined and has been mentioned in the dumping margin table.

Export price for M/s Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd., China PR (HCF) and M/s Hyosung Advanced Materials Corporation, Korea RP (HAMC)

76. Hyosung Chemical Fiber (Jianxing) Co. Ltd., China PR is a producer of the subject goods from China and has a related trader, namely, Hyosung Advanced Materials Corporation, Korea RP. Hyosung has provided PCN - wise information of the export made to India in its questionnaire response. It is noted from the response filed

by the aforesaid related companies that during the POI, the producer has exported *** MT of the subject goods to India through its related party. The Authority has verified the data through desk verification. The exporter has claimed adjustments, and the same have been allowed after desk verification. Accordingly, the export price so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

Determination of Export Price of M/s Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd.

77. The Authority notes that the M/s Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd. (hereinafter referred to as Hengli) is a producer of the subject goods from China PR and has exported the subject goods to India directly during the POI. Hengli has provided PCN-wise information of the exports to India.
78. During the POI, Hengli has exported to India a total quantity of *** KG of the subject goods to India. Hengli has claimed adjustments on account of inland transportation, port and handling expenses and credit cost, which has been allowed by the Authority after desk verification. Accordingly, the weighted average export price so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

For all other producers/exporters from China PR

79. The export price for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

Dumping Margin

80. The normal value, export price and dumping margin proposed in the present investigation are as follows: -

Sl. No.	Country	Producer Name	CNV/NV US\$ per Kg	NEP US\$ per Kg	Dumping Margin US\$ per Kg	Dumping Margin %	Range
1	China	Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30%
2	China	Oriental Industries (Suzhou) Ltd.	***	***	***	***	10-20%
3	China	Hyosung Chemical Fiber (Jianxing) Co. Ltd.	***	***	***	***	0-10%
4	China	Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd	***	***	***	***	30-40%
5	China	Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.-Total	***	***	***	***	40-50%
6	China	All others	***	***	***	***	40-50%

Section III**H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK AND LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY****H.1. Submissions by the other interested parties**

81. The following submissions have been made by other interested parties regarding injury, causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:

- a. Section 9A (5) and Rule 23, makes it clear that termination of Anti-dumping Duty is the norm, and its continuation is an exception. It is also affirmed by the decisions of the WTO Appellate Body in United States - Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products and US – OCTG Sunset Reviews. In the present case, no such exceptional circumstances exist, and it is only appropriate that the Authority conclude in the present review that sufficient protection has been extended to the domestic industry through anti-dumping measures and no further protection is warranted.
- b. Since the product scope cannot be changed at this stage, the data for product under investigation must be excluded from demand and other injury information.
- c. Claims of the domestic industry in the oral hearing regarding fragility and continuous adverse effect on the performance due to import of circumvented products, are not in line with the claims made in application by the domestic industry.
- d. RIL does not belong to MSME sector. It is a large-scale enterprise and cannot be considered as fragile industry.
- e. Contrary to the claim of the domestic industry, the imports of the product under consideration have increased over the period.
- f. The imports have increased to fill the demand-supply gap, since the capacity and sales of the domestic industry did not increase in line with the increase in demand, which witnessed a growth following the development of the downstream industry. This is also evident from reducing inventories of the domestic industry.
- g. There is no correlation between the imports from China and the performance of the domestic industry since the performance of the domestic industry improved as the volume of imports increased.
- h. The petitioner has exaggerated the increased imports of the subject goods, and deliberately invented injury to the domestic industry. The deterioration of the Indian petitioner's financial situation, if any, is the result of other factors.
- i. The overall performance of the domestic industry in terms of capacity utilization, sales, profit, returns, etc. has significantly improved despite shutdown of one of its plants and positive price undercutting.
- j. The Authority can examine export price and domestic selling price of the applicant before relying on the claim that the applicant was forced to export.
- k. Despite the decline in capacity owing to plant shutdown, the production, and capacity utilization and sales of the petitioner have increased substantially.
- l. Average stock of the petitioner declined over the period, which means the petitioner is able to sell whatever they are producing.
- m. The decline in market share of the domestic industry is on account of plant shutdown, while the increase in share of imports is due to the demand-supply gap. Nevertheless, major market share is still being captured by the domestic producers.
- n. In past cases as well, the Designated Authority has not recommended continuation of duties, where the domestic industry was earning significant profits.
- o. The decline in number of employees and wages can be attributed to the shutdown of a plant of the domestic industry, and productivity has increased.
- p. It must be examined whether the decline in cost is on account of decline in cost of raw materials.
- q. The domestic industry is making this analysis on the basis of weighted average prices with regard to decline in import prices not in accordance with the raw material prices.
- r. The applicant must be required to provide PCN-wise dumping margin, injury margin and price undercutting.

- s. The applicant has failed to arrive at PCN-wise margin and has disregarded the difference in various kinds of products which may have substantial difference in price, while being sold in the market. Such generalization of incomparable goods is counterproductive to the exercise of submission of data and any analysis thereof.
- t. The Authority should examine the post POI performance of the domestic industry in order to ascertain the likelihood of recurrence or continuation of dumping and injury.
- u. There is no notable decline in performance of the domestic industry in terms of volume parameters in the post POI period as compared to the POI.
- v. The basis for submitting post POI data for April-September 2023 is unclear and has no basis in the books of accounts.
- w. There is gap between POI and post POI data which has not been explained. There is no legal basis to consider post POI data with a gap of one financial year from the POI.
- x. The losses incurred in the post POI data is due to increase in cost of sales without corresponding increase in selling price, as the applicant became inefficient.
- y. Despite increase in net sales realization per unit, reduction in depreciation and interest cost, fixed assets and almost no change in capacity utilisation on post POI data, the applicant has shown negative PBIT, PBDIT, and cash profit.
- z. There is no evidence that losses in post POI are caused due to exports from OTIZ or Guxiandao.
- aa. The imports of the subject goods from China PR subject to anti-dumping duties have been miniscule in the injury period. The majority of the subject imports from China PR were cleared under advance license and imported from producers who were awarded “nil” rate of the duty in the original investigation. Further, more than 85% of the imports from China PR in the injury period were not subject to anti-dumping duties and only on 3-11% imports from China PR, anti-dumping duties were paid. If the Authority extends the anti-dumping duty, the imports under advance license will continue and the duty will not serve any purpose.
- bb. The continuation of duty would not provide any tangible benefit to the domestic industry, while adversely impacting the users.
- cc. Imports from China PR are not market capturing as they have been imported under advance license.
- dd. There is no injury and no likelihood of continuation of injury to the domestic industry as its performance has improved over the period.
- ee. The contention of the domestic industry that circumvention of duty shows likelihood of dumping and injury, and that it has not been able to compete at fair prices due to circumvented imports, cannot be accepted, since the circumvention investigation has not yet been concluded.
- ff. There has been significant growth in number of domestic producers over the period, from 3 producers to 6 producers, which shows that there is no likelihood of injury.
- gg. Since the domestic industry has not established price attractiveness of the Indian market, the imposition of measures by European Union and USA and export orientation of producers from China PR, and thus, there is no likelihood of diversion of excess capacity to Indian market.
- hh. The product scope in this review investigation is limited as compared to the investigation in the EU or the USA.
- ii. Since Autoliv has not imported the circumvented product, there can be no likelihood of dumping or injury because of its imports.
- jj. HCF and HAMC have not exported the alleged circumvented products to India, and hence there is no injury caused to the domestic industry. Therefore, this cannot be the possible ground of likelihood of recurrence of dumping and injury to the domestic industry. Further HCF and HAMC have not exported the subject goods to the EU or USA market in the POI or in the injury period. Therefore, the imposition of measures by EU and USA will not force HAMC or HCF Ltd. to divert their volumes to India.
- kk. Hyosung has not increased capacity, but the capacity utilization has increased, and it has no excess capacity available.
- ll. Since there is no likelihood of dumping and/or injury on account of Hengli, the duties are required to be discontinued in the present investigation. Claim of dumping is exaggerated and correct dumping margin, based on domestic prices and cost would indicate no dumping margin and no likelihood of dumping.

- mm. There is no likelihood of injury due to exports by OTIZ and Zhejiang Guxiandao, since it did not undertake capacity expansion, has capacity utilization of 85-95%, it sells majorly in domestic market and third countries and its exports to India have reduced. OTIZ is also exporting to third countries at higher prices than the price to India. Moreover, there is no circumvention by OTIZ.
- nn. The claim regarding the fragile state of the domestic industry due to imports from the subject country is not tenable as throughout the injury period, the imports from the third countries i.e., Taiwan and Vietnam have been significant. The imports from these countries have caused injury to the domestic industry. Further, the import prices of Taiwan and Vietnam are much lower than the average price of China PR.
- oo. Anti-dumping duty cannot be subjectively imposed on China PR as significant imports are coming at lower prices from Vietnam and Taiwan. If such imports are not suppressing or depressing the prices of the domestic industry, then there is no likelihood of such suppression / depression on account of higher priced imports from China, in the event of expiry of duty.
- pp. The price undercutting is higher from Taiwan (21%) and Vietnam (10%) than China (5%). Furthermore, if the cost of sales and selling price of the domestic industry is lower than the prices from China then the cost of production and selling price of the domestic industry would be lower than the prices from Vietnam and Taiwan.
- qq. The applicant has claimed that dumping margin for China PR is positive. However, the dumping margin for Vietnam and Taiwan have also been found to be positive and significant. The dumping margin for Taiwan in the POI is 21%, while that of Vietnam is 10%. Hence, there is no likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury only due to imports from China PR.
- rr. The injury to the domestic industry, if any, is on account of inter-se competition, lower-priced imports from other countries and reduced export performance.
- ss. The applicant has based its arguments on the not yet concluded anti-circumvention investigation. Mere conjecture of such circumvention aims to illegally expand the product scope in the review proceedings and artificially create such “exceptional circumstances” to continue the imposition of the duties in the present review. The same is unfounded in law and such averments ought to be rejected.
- tt. The applicant has compared the increase in cost of the PUC and PUI vis-à-vis the change in cost of raw material. The applicant has taken 2018-19 as the base year and have compared the said data with that of the POI only. It is submitted that an analysis of the data warrants a year-on-year analysis as well, as was held in by the WTO Appellate Body in Argentina – Footwear (WT/DS/121).

H.2. Submissions by the domestic industry

- 82. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury, causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
 - a. The allegation of the other interested parties that the increased imports and injury are exaggerated is contrary to the information on record.
 - b. While the other interested parties have claimed that other factors are impacting the performance of the domestic industry, they have not denied dumping.
 - c. The dumping margin is significant for the exporters subject to nil duties as well as other exporters, which indicates likelihood of continued and aggravated dumping. The dumping margin for the circumvented goods is even higher.
 - d. The fact that the producers from China PR are resorting to circumvention of the extant anti – dumping duties demonstrates that they cannot compete at non -dumped prices.
 - e. Although the volume of imports of the product under consideration decreased after 2016-17, the volume of imports of the product under investigation has increased, leading to an overall increase in imports from China PR.
 - f. As opposed to the contentions of the other interested parties, the increase in imports of the product under consideration is due to increase in imports under advance authorization and from exporters not subject to anti – dumping duties as well as of circumventing goods.
 - g. In a sunset review, significant volume of imports and a positive dumping margin are sufficient to show the need for continuation of duties.

- h. The imports are not necessitated to fulfil the demand-supply gap as the Indian capacity exceeds the demand in the country.
- i. The imports are undercutting the prices of the domestic industry.
- j. The decline in the landed price is far higher than the decline in the cost of raw material. If the decline in raw material cost is excluded, then the decline in landed price would be more significant.
- k. The sales of the domestic industry has not increased in line with the increase in demand.
- l. While the market share of producers from China PR has steeply increased, the market share of the domestic industry has only decreased.
- m. The inventories of the applicant have reduced due to the significant exports undertaken by them and anti – dumping duties in force. The domestic industry was forced to export a significant share of their production, which could have otherwise satisfied additional demand in India.
- n. Even though the profitability of the domestic industry has improved, the situation remains fragile as can be seen from the low cumulative profitability, significant exports by the domestic industry, significant imports from China PR. In case of a sunset review, continued adverse performance should be construed as continued injury.
- o. The decline in selling price of the domestic industry is not attributable to the decline in the raw material cost, as profits have increased even though contribution has reduced. The increase in profits is due to the efforts made by the applicant to reduce their conversion cost.
- p. The domestic industry has been able to earn profits as the duty-added landed price is higher than its selling price.
- q. The performance of the domestic industry has deteriorated in April to September 2022 period and it has suffered financial losses, cash losses and negative return on investment.
- r. If the anti-dumping duty is removed, then the import price would be much lower than the cost of production and selling price of the domestic industry.
- s. Mere improvement in the performance of the domestic industry does not mean that there is no injury.
- t. The only reason behind the domestic industry's profits is because the low volume of imports of the product under consideration and its own competitiveness.
- u. If the domestic industry is forced to compete at the prices without the anti – dumping duty, it is likely to earn significant losses, cash losses and negative return on investment.
- v. In a number of past cases, the Authority has recommended continuation of duty, in view of the fragile nature of the industry.
- w. Contrary to the allegation of the other interested parties, the claims regarding fragility of the domestic industry were made in the application itself.
- x. Since performance may vary year to year due to several other factors, the performance over the entire period, on an overall or cumulative basis, should be analysed.
- y. The applicant has not claimed likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury on account of the decline in number of employees and wages.
- z. The producers from China PR are export oriented. The capacities held by them exceed even the global demand. The capacities are 40 times the demand in India.
- aa. The producers from China PR have significant idle capacities, which is almost 16 times the demand in India.
- bb. The producers in China PR have expanded their capacity, and are still planning further expansions.
- cc. The Indian market comprises 7% of the total exports from China PR and is the third largest export market for the Chinese producers, making it an important market.
- dd. While one of the responding producers have claimed that Indian market is not important for them, publicly available information shows that 87% of its supplies are made to India.
- ee. USA has increased the tariff on imports of the product under consideration from China PR to 25% and EU has imposed duties on the product under consideration.
- ff. The expiry of the anti – dumping duties not only impacts the imports presently subject to duty, but also imports not presently subject to duty. Due to the duties in place, the imports from exempted exporters and under advance authorization were also made at a relatively higher price. However, in the absence of duty, the price of such imports would also be forced to reduce, as the imports presently subject to duty would undercut such imports.

- gg. The expiry of anti – dumping duties would lead to cessation of imports of the circumventing product, and instead imports of the product under consideration itself would increase, since there would be no need for exporters to circumvent the duties.
- hh. Considering the reasonable return considered by the Authority and the re-investment economies of the subject goods, the present return on investment of the domestic industry is too low.
- ii. Contrary to the contentions of the other interested parties, mere increase in the number of domestic producers does not mean there is no likelihood of injury.
- jj. As regards the claim that there is no evidence of likelihood of diversion of goods to Indian market, it was highlighted that the information on record shows importance of India as a market, idle capacities and tariffs and duties by US and EU.
- kk. The total capacity of the Indian industry is much higher than the total Indian demand. If the demand met by imports from third countries and under advance authorisation is further removed, it would be seen that there is no reason for dumped imports in the country.
- ll. As observed by the Appellate Body in US-OCTG, there is no requirement to establish a causal link between the likely dumping and the likely injury in a sunset review investigation.
- mm. The injury to the domestic industry is not on account of other factors.
- nn. Imports from Taiwan are higher priced than the imports from the subject country and imports from Vietnam have commenced recently and are low in volume. Such imports have not lead to decline in performance of the domestic industry, and the present case is that of inadequate growth despite anti-dumping duty in place and not of material injury. In any case, dumping from a new source is not a reason for withdrawal of anti-dumping duty on the original source.
- oo. The circumvention investigation has been initiated after *prima facie* satisfaction, and the information on record shows circumvention. Even if circumvented product is causing injury to the domestic industry, it does not mean that the present anti-dumping duty should cease. The law requires the subject imports to be “a” cause of injury, and not “the” only cause.
- pp. Contrary to the submissions of Autoliv, merely because it has not engaged in circumvention, it cannot be said that there is no likelihood of dumping or injury because of its imports.
- qq. Contrary to the submissions by the other interested parties, likelihood analysis is country wide and not company specific.
- rr. Contrary to the submissions of the other interested parties, the applicant has provided PCN-wise information in the petition as well as post POI data. However, if other parties have not provided such information, they should be treated as non-cooperative.

H.3. Examination by the Authority

- 83. The Authority has taken note of the submissions and evidence presented by all interested parties with respect to injury to the domestic industry. The injury analysis by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
- 84. Rule 11 of the Rules read with its Annexure-II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles.”
- 85. The Rules requires that in case the performance of the domestic industry shows that it has not suffered continued injury during the current injury period, the Authority should examine and determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the domestic industry.
- 86. The Authority has first examined the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country. It has been examined as to whether there is an increase in imports, or volume continues to be significant, in absolute terms or in relation to production or consumption in India. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is

otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure-II of the Rules. The Authority has taken note of various submissions of the domestic industry and the other interested parties and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the parties.

87. With regards the claims that the performance of other domestic producers in the country have improved while that of the domestic industry has declined, the Authority notes that as per Rule 11(2) of the Rules, the Authority is required to “determine the injury to domestic industry, threat of injury to the domestic industry, material retardation to establishment of the domestic industry”. Therefore, the evaluation of injury is required to be restricted to the defined domestic industry.
88. Several other interested parties have contended that the imports of circumventing product should not be included in the injury assessment. The Authority has conducted the injury examination hereinbelow both including and excluding the imports of circumventing product.
89. The other interested parties have claimed that since majority imports have been made under advance authorization, and by exporters that are exempt from the application of anti-dumping duties, the continuation of duty would not serve any purpose. In response, the domestic industry has claimed that the prices of presently duty-paid import act as benchmark for prices of other imports, and in the absence of duty, the prices of such imports would be lower, which would create a strain on the prices of other imports as well. The Authority further notes that whereas the current volume of imports has remained limited only to duty free category, cessation of duty would lead to a situation where the consumers would be able to source the subject goods from China PR after payment of basic customs duty and no anti-dumping duty. Thus, the landed price of imports shall reduce by the amount of anti-dumping duty, in the event of cessation of duty.

1. Assessment of demand / apparent consumption

90. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product under consideration in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and the imports from all sources. For assessment of demand, the volume of circumvented product from China PR has also been considered as per the Final Findings issued in the anti-circumvention investigations. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22 (Dumped Imports)
Sales of applicant	MT	***	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	99	115	119	119
Sales of other producers	MT	***	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	121	110	146	146
Subject imports	MT	4,048	8,503	11,495	11,659	11,659
Circumvented Imports	MT	218	1,599	3,222	6,768	6,768
Other imports	MT	4,354	2,969	4,331	4,815	4,815
Demand Including Circumvented products	MT	30,778	37,234	44,074	52,226	52,226
Demand Excluding Circumvented products	MT	30,560	35,635	40,851	45,458	45,458

91. It is seen that the demand for the subject goods has increased significantly over the period. However, the increase in the subject imports is much higher. While the demand has increased by 70%, imports have increased by 181%.

92. The Authority notes that the installed capacities in India during the POI were *** MT as against above established demand of 52,226 MT. Thus, there is no demand-supply gap in the country.

2. Volume effect of the dumped imports

93. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the volume of dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. The import volumes of the subject goods from the subject country and share of the dumped imports during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22 (Dumped Imports)
Subject imports PUC	MT	4,048	8,503	11,495	11,659	11,659
Circumvented Imports PUI	MT	218	1,599	3,222	6,768	6,768
Other imports	MT	4,354	2,969	4,331	4,815	4,815
Total imports	MT	8,620	13,070	19,049	23,242	23,242
Subject imports (PUC) in relation to						
Indian production	%	9%	23%	33%	26%	26%
Indian consumption	%	13%	23%	26%	22%	22%
Total imports	%	47%	65%	60%	50%	50%
Subject imports (PUI) in relation to						
Indian production	%	1%	4%	9%	15%	15%
Indian consumption	%	1%	4%	7%	13%	13%
Total imports	%	3%	12%	17%	29%	29%

94. The applicant and other interested parties have emphasized that a significant portion of the imports of product under consideration are exempt from the extant anti-dumping duties, either on account of being made under advance authorization, or imports from exporters not subject to the existing anti – dumping duties. The Authority has examined the same, and breakup of imports of product under consideration is as below.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Imports under AA	MT	3,136	6,519	10,044	8,784
Imports from exempt exporters	MT	717	1,722	1,030	2,097
Other imports	MT	196	262	421	778
Total	MT	4,048	8,503	11,495	11,659

95. It is seen that:

- The volume of imports of PUC has increased significantly over the period.
- The volume of circumventing product has also increased significantly during the same period.
- While imports of the product under consideration have also increased, a significant share of such imports has been made under advance authorization or has come from exporters who have been exempted from the scope of anti – dumping duties.
- The duty paid imports account for only 7% of the imports of the product under consideration and 4% of the total subject imports into India. By contrast, the imports of alleged circumventing product account for 37% of the total subject imports into India.
- Thus, as a result of imposition of duty, the duty-paid imports have reduced, and instead, the duties were alleged circumvented through increase in imports of circumventing product.
- The imports have increased significantly in relation to production and consumption over the period.
- The share of the subject imports in total imports has also increased significantly.

96. Some parties have contended that the imports have increased on account of the demand-supply gap. However, the information provided by the domestic industry shows that the capacity of the domestic producers as a whole (*** MT) is higher than the demand in the country. Further, the imports from other sources have also lost market share, as their volume has remained relatively constant, despite an increase in demand.

3. Price effect of the dumped imports

97. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed price of imports from the subject country with the net sales realization of the domestic industry for the subject goods.

a. Price undercutting

98. To determine price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product and average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level. In order to ensure a fair comparison, the Authority has calculated the PCN-wise price undercutting.

Particulars	Unit	PUC	PUI	Total
Price undercutting	₹/MT	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***
Price undercutting	Range	0-10	5-15	0-10

99. It is seen that price undercutting is positive for the subject country in the period of investigation, for both product under consideration and alleged circumventing product.

b. Price suppression / depression

100. In order to determine whether the subject imports have depressed the prices of the domestic industry to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the information given by the domestic industry for the changes in the costs and prices over the injury period has been compared with the landed value to see the desired effect. The domestic industry has, however, contended that the decline in cost of sales is attributable to its own efficiencies. Accordingly, the Authority has also compared the trend of selling price with the trend of raw material cost over the period.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	89	73	87
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	80	75	92
Landed price	₹/MT	1,28,290	1,05,527	86,975	1,17,532
Indexed	Trend	100	82	68	92
Landed price (with ADD)	₹/MT	1,65,269	1,42,460	1,26,674	1,56,707
Indexed	Trend	100	116	130	105

101. It is seen that both cost of sales and selling price have declined over the period, but the decline in cost of sales is higher.

4. Economic parameters of the domestic industry

102. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on the domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on capital employed or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed hereinbelow.

a. **Production, capacity, capacity utilization and sales volume**

103. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization over the injury period was as below:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Capacity	MT	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	100	79	79
Production – PUC	MT	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	78	83	93
Production – Plant	MT	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	83	81	94
Capacity utilization	%	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	83	103	120
Domestic sales	MT	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	99	115	119
Export sales	MT	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	71	67	69

104. The Authority notes that:

- The capacity of the domestic industry has reduced over the period, as it closed one of its plant, located at Hazira.
- The production and sales of the domestic industry first declined due to stoppage of one plant, but increased thereafter. Resultantly, capacity utilization has increased.
- The export sales of the domestic industry have reduced. However, the domestic industry has still exported 35% of their total volume. The domestic industry contended it has been forced to export only because of absence of demand for its product in the domestic market due to imports and circumvention of anti-dumping duty.

b. **Market share**

105. Market share of the dumped imports and domestic industry have been examined as below:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Sales of applicant	MT	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	82	80	70
Sales of other producers	MT	***	***	***	***

Indexed	Trend	100	100	77	86
Subject imports	%	14%	27%	33%	35%
-PUC (dumped)	%	13%	23%	26%	22%
-PUI	%	1%	4%	7%	13%
Other imports	%	14%	8%	10%	9%
Demand	%	100%	100%	100%	100%

106. It is seen that the market share of the subject imports has increased over the injury period. Further, the market share of the domestic industry has declined, along with a decline in the market share of the Indian industry as a whole. The market share of other imports has also declined during this period.

c. Inventories

107. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Opening stock	MT	***	***	***	***
Closing stock	MT	***	***	***	***
Average inventory	MT	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	104	45	23

108. It is seen that the inventories of the domestic industry have reduced over the period.

d. Profits, cash profits and return on capital employed

109. Profits, return on capital employed and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	89	73	87
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	80	75	92
Profit / (loss)	₹/MT	***	(***)	***	***
Indexed	Trend	100	(1,131)	410	718
Profit / (loss)	₹ lakhs	***	(***)	***	***
Indexed	Trend	100	(1,119)	472	853
Cash profits	₹ lakhs	***	(***)	***	***
Indexed	Trend	100	(63)	140	182
Return on capital employed	%	***	(***)	***	***
Indexed	Trend	100	(260)	356	351

110. The domestic industry had low level of profits in 2018-19. The profits of the domestic industry declined into losses in 2019-20, but have thereafter improved.

111. The cash profits of the domestic industry and return on capital employed have followed the same trend as that of profits. These parameters improved post 2019-20.

e. Employment, wages and productivity

112. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Number of employees	Nos.	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	91	73	65
Salary and wages	₹ lakhs	***	***	***	***

Indexed	Trend	100	95	92	87
Productivity per day	MT/day	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	78	83	93
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	85	112	144

113. It is seen that the number of employees and wages paid have declined over the injury period with the decline in the capacity. However, the productivity of the domestic industry declined till 2019-20 and has increased significantly thereafter.

f. Growth

114. The Authority has found growth of the domestic industry in respect of volume and price parameters, as given below:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Capacity	%	-	-	-21	-
Production	%	-	-22	6	13
Domestic sales	%	-	-1	16	3
Profit/(loss) per unit	%	-	-1,231	136	75
Cash profits	%	-	-164	290	26
Return on capital employed	%	-	-360	237	-1

115. The domestic industry had negative growth in 2019-20, and positive growth thereafter.

g. Ability to raise capital investment

116. The profitability parameters of the domestic industry have improved over the period. However, the domestic industry has highlighted that the profitability is not sufficient to encourage further investment in the product. The domestic industry has submitted that the current profits cannot justify any brown field fresh investment, leave aside any greenfield investment.

Particulars	Unit	2021-22
Investment required	₹/MT	***
Profit before interest earned by the domestic industry	₹/MT	***
Return on investment considering current profits	%	5.5%

h. Factors affecting prices

117. The domestic industry has highlighted that presently, the duty paid price of imports is above its own selling price. However, in the absence of duty, the imports of product under consideration shall undercut the prices of the domestic industry. Thus, in such a situation, the imports are likely to affect the prices of the domestic industry.

i. Margin of dumping

118. It is seen that there is continued dumping of the subject goods in India, despite the anti-dumping duties in force. Further, the dumping margin are significant.

I. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

119. The Rules do not mandate analysis of causal link or non-attribution analysis in a sunset review. However, as per the practice followed, the Authority has, inter alia, examined any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other

factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than the dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry:

a. Volume and prices of imports from third countries

120. It is noted that other than the subject imports, there are significant imports from Taiwan and Vietnam. The other interested parties have argued that the injury to the domestic industry is on account of such imports and not the subject imports. The applicant has contended that the import price from Taiwan is higher, while imports from Vietnam commenced recently and these exports are by an exporter affiliated to one of the Chinese producers.

b. Contraction in demand

121. The Authority notes that the demand for the subject goods increased consistently through the injury period.

c. Pattern of consumption

122. It is noted that there is no change in the pattern consumption of the subject goods.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices

123. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed likelihood of injury to the domestic industry. Some of the interested parties have contended that the injury to the domestic industry is on account of inter-se competition.

e. Developments in technology

124. It is noted that the technology for producing the subject goods has not undergone any change.

f. Productivity

125. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has increased over the injury period.

g. Export performance of the domestic industry

126. The Authority notes that the injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market.

h. Performance of other products

127. The Authority has only considered data relating to the performance of the subject goods.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

128. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

129. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

Sl. No.	Country	Producer Name	NI P US \$ per Kg	Landed Value US\$ per Kg	Injury Margin US\$ per Kg	Injury Margin %	Range
1	China	Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co., Ltd.	***	***	***	***	10-20%
2	China	Oriental Industries (Suzhou) Ltd.	***	***	***	***	0-10%
3	China	Hyosung Chemical Fiber (Jianxing) Co. Ltd.	***	***	***	***	(10-20)%
4	China	Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd	***	***	***	***	10-20%
5	China	Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.- Total	***	***	***	***	0-10%
6	China	All Others	***	***	***	***	20-30%

K. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

130. The Authority observes that this is a sunset review investigation and the focus of this investigation is to examine the likely scenario of continued dumping and consequent injury if the anti-dumping duties is to be allowed to expire even if there is no current injury. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. In this regard, the WTO Panel in EC – Footwear observed that –

“In original anti-dumping investigations, investigating authorities must determine whether the domestic industry of a Member is materially injured by dumped imports. At this stage, the focus is on the existence of “material injury” at the time of the determination. That determination is made under Article 3, based on information concerning the necessary and relevant factors for some previous period. In contrast, in an expiry review, an anti-dumping measure has been in place for some time, and investigating authorities must, based on a fresh analysis, determine whether the expiry of that measure would be likely to lead to continuation or recurrence of injury”.

131. Thus, in a sunset review investigation, the Authority is required to analyze whether revocation of a measure is likely to result in continuation or recurrence of injury to the domestic industry, contrary to the determination of injury in an original investigation. A similar view was taken by the Hon’ble CESTAT in the decision of P.T. Asahimas Chemicals vs. Designated Authority, Ministry of Finance [2015 (328) E.L.T. 417 (Tri. - Del.)], wherein it was held –

“10. With respect to the injury determination, if the anti-dumping duty had the desired effect, the condition of the domestic industry would be expected to have improved during the period the anti-dumping duty was in effect. Therefore, the assessment whether injury will continue, or recur, would entail a counter-factual analysis of future events, based on projected levels of dumped imports, prices, and impact on domestic producers. Thus the D.A. has to address the question as whether the domestic industry is likely to be materially injured again, if duties are lifted.

11. In the light the aforesaid legal position, we are of the view that the question to be addressed is not whether there is current dumping, but whether revocation of duty would result in recurrence of dumping and injury.”

132. Therefore, in case of a sunset review investigation, the Authority is required to analyze whether there exist likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of existing measures.
133. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event of cessation of the duty. The

Authority has considered various information, as made available by the domestic industry, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury.

134. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Para (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia for factors which are required to be taken into consideration, viz.:

- i. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
- ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
- iii. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
- iv. Inventories of the article being investigated.

135. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The examination of the parameters of likelihood is as follows.

a. Continued dumping despite existing anti-dumping duty

136. The Authority notes that there is continued and significant dumping of the subject goods from the subject country in spite of the duties in force. Continued dumping during the existence of duties indicates likelihood of continuation of dumping in the event of cessation of anti-dumping duty.

b. Circumvention of the duties in force

137. The final findings dated 31st March 2023 in the anti-circumvention investigation show that the duties were being circumvented through alteration of name, description or composition of the product. Further, the circumvented product was found to be dumped, in relation to the normal value previously established. The Authority notes that the circumvention of duties in force shows likelihood of increased dumping and volume of imports in the event of expiry of duty, and consequent adverse impact on the domestic industry.

c. Increase in imports despite anti-dumping duty

138. The applicant has submitted that the increase in volume of imports shows likelihood of further increase. The Authority has considered the volume of imports pre and post imposition of duty. The trends reveal as below.

Year		PUC subject to duty	Circumventing product (PUI)
2013-14	Injury period of original investigation	5,903	-
2014-15		7,087	-
2015-16		9,092	-
2016-17		13,412	-
2018-19	Present injury period	4,048	218
2019-20		8,503	1,599
2020-21		11,495	3,222
2021-22		11,659	6,768

139. It is seen that the imports declined in 2018-19 after imposition of duty. However, the imports have increased again thereafter, and are now higher than that during the period of investigation of the original investigation. The increase in imports has been found despite no demand-supply gap in the Country.

d. Third country dumping and third country injurious imports

140. The Authority has examined the information with regard to exports to third countries, as provided by the exporter. The same shows that 85-95% of the exports to third countries are at dumped prices, with an average dumping margin of 30-40%. Further, 80-90% of the exports are at injurious prices, with the average price being 10-20% lower than non-injurious price.

Particulars	Unit	As per responses
Total exports to third country	MT	***
Dumped exports to third country	MT	***
Share of dumped exports in total	%	85-95%
Indian Demand	MT	***
Dumped exports in relation to Indian demand	%	250-300%
Dumping margin	%	25-35%
Exports at injurious price	MT	***
Share of injurious exports in total	%	80-90%
Injurious volume in relation to Indian demand	%	250-300%
Injury margin	%	15-25%

Source- Responses filed by participating producers

141. The Authority further notes that the volume of dumped and injurious imports is significant in relation to Indian demand.

e. Significant exportable capacities held by producers in the subject country

142. The domestic industry has provided a market research report titled PCI Wood Mackenzie Redbook which contains information regarding the capacity, production and demand in the subject country. The report contains information with regard to production and demand for industrial yarn as a whole. The applicant had calculated capacity for HTPY as a % industrial yarn capacity, and applied the same to the total production and demand to calculate the production and demand for HTPY. However, the same has been disputed by the other interested parties, without providing any other counter evidence. Notwithstanding claim by the other interested parties without counter evidence, the Authority has considered the production and demand for HTPY as claimed by the applicant, as well as total demand and production, in order to determine the exportable capacities and idle capacities.

Particulars	As claimed by applicant ('000 MT)	Considering total production and demand ('000 MT)
Capacity	2,299	2,299
Demand in China PR	857	1,269
Capacity meant for exports (exportable capacity)	1,442	1,030
Production	1,169	1,730
Idle capacities	857	569
Demand in India	52.23	52.23
Exportable capacity in relation to Indian demand	2761%	1972%
Idle capacity in relation to Indian demand	1641%	1089%

Source – PCI Wood Mackenzie report

143. The Authority notes that the producers in the subject country hold significant production capacities, in excess of domestic demand, which are likely to be utilized for exports to India in the absence of duties.
144. The other interested parties have also emphasized that the exportable and idle capacities should be determined based on response filed by the responding producers. While the Authority notes that likelihood examination is country-specific, it is noted that responses filed by participating producers show a significant excess capacity.

Particulars	As per responses filed ('000 MT) – for POI
Capacity	***
Domestic sales	***
Capacity meant for exports	***
Production	***
Idle capacities	***
Demand in India	***
Exportable capacity in relation to Indian demand	1550-1650%
Idle capacity in relation to Indian demand	200-225%

Source- Responses filed by participating producers

145. It is thus seen that even if the data as per responses of participating producers is considered, the excess capacity in China PR is much more than the Indian demand.

f. Capacity addition by Chinese producers

146. The information provided by the domestic industry shows that the producers from China PR (namely Zhejiang Sanwei and Zhejiang Shuangfeng) have expanded capacity by about 230,000 MT, and are further planning capacity addition to the tune of 250,000 MT (namely Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd. and Zhejiang Kingsway). Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd. has also revealed expansion plans of 1,400,000 MT of industrial yarns.

g. Inventories of the product under consideration

147. The Authority has also examined trends of inventories of product under consideration held by exporters. Since two of the exporters, Oriental Industries and Zhejiang Guxiandao had not provided inventory information, the same was constructed on the basis of production less sales. Further, since Jiangsu Hengli did not submit information with regard to period of investigation, the information for 2021 was considered instead. The Authority notes as following in this regard.

	2019	2020	POI
Total inventory held by exporters	100	102	172
Inventory as number of days of production	100	96	137
Inventory as % of Indian demand*	100-150%	100-150%	100-150%

*Demand taken for 2019-20, 2020-21 and period of investigation

Source- Responses filed by participating producers

148. The Authority notes that the exporters are holding significant inventories, the volume of inventories have increased over the period, with increase in inventory holding period. Further, inventories with producers from China PR constitutes a very significant share when compared to the Indian demand.

h. Measures imposed by other countries

149. The applicant has also emphasized that the exporters are facing duties not only in India, but also in European Union. European Union imposed anti-dumping duties in June 2022, in the range of 5.1% to 5.3%. Further, USA has imposed additional tariffs on the export of the subject goods. It has been contended by the interested parties that the product scope considered by European Union and USA is broader than that during the present investigation. However, the Authority notes that the fact that the Chinese producers are facing these measures on larger basket of product indicates the loss of market not only for the product under consideration but also other products sharing the same production facilities.

i. Price attractiveness of Indian market

150. The Authority has also examined the price attractiveness of the Indian market as per responses filed by the exporters. The same has been examined by comparing the price of exports to third countries, based on responses of cooperative producers, with the price of imports into the country. Further, the comparison has been made on PCN-wise basis, where the information was provided by the exporters in such manner. Where the exporter has not provided PCN-wise information, the Authority has compared with average price.

Particulars	Unit	As per responses
Total exports to third country	MT	***
Exports priced below the price in India	MT	***
Share of such exports in total	%	75-85

Source- Responses filed by participating producers

151. The Authority notes that India is a price attractive market for the exporters, with 80% of the exports being made at a lower price than the price to the Indian market.

j. Post POI performance of the domestic industry

152. Pursuant to submissions by various parties in this regard, the domestic industry submitted its performance for the period April to September 2022 with its written submissions. Since the information was filed with the written submissions, a copy of the same was made available to other interested parties and some of the interested parties have offered comments on the same, the Authority has examined this information as well. The information shows as follows.

Particulars	Unit	POI	Post POI	Change
Import volume	MT	20,945	14,348	-31%
Landed price	₹/MT	1,11,255	1,37,907	24%
Price undercutting	%	5-15%	0-10%	-91%
Market share of imports	%	25%	16%	-36%
Production	MT	***	***	-1%
Domestic sales	MT	***	***	-12%
Capacity utilization	%	***	***	-1%
Selling price	₹/MT	***	***	14%
Cost of sales	₹/MT	***	***	29%
Profit / (loss)	₹/MT	***	(***)	-223%
Profit / (loss)	₹ lakhs	***	(***)	-209%
Cash profits	₹ lakhs	***	(***)	-137%
Return on capital employed	%	***	(***)	-162%

153. Some of the interested parties have contended that such post POI information should not be relied upon, and that the losses are due to increase in cost of sales, on account of own inefficiency of the domestic industry. However, these interested parties have provided no evidence to support such claim of inefficiency.

Overall conclusions on injury and likelihood of dumping and injury

154. Based on the above analysis, the Authority concludes that the performance of the domestic industry has improved both in volume and price parameters, as a result of the anti-dumping duty in force, and efforts made by the domestic industry to reduce its conversion costs. The domestic industry has not suffered material injury during the present injury period. However, the circumvention of duties has undermined the remedial effect of duty as evident from the positive price undercutting, and decline in market share of the domestic industry.
155. The Authority concludes that there is evidence of likelihood of continuation of dumping and recurrence of injury to the domestic industry. Even during the present period of investigation, the dumping of the subject goods has continued. The present circumvention of duty, coupled with positive price undercutting in case of

cessation of duty, the excess capacity, inventories in the subject country, trade remedy measures imposed by third countries, export orientation of the Chinese producers, dumping margin and injury margin in third countries exports, price attractiveness of Indian market, clearly establish a likelihood of increase in imports, and consequent injury to the domestic industry in the event of expiry of duty. The information submitted by the responding producers show that exports to third countries have also been made at dumped and injurious prices, and India is a price attractive market for the producers in the subject country. It is also noted that the domestic industry has already suffered financial losses in post POI. The price undercutting in the event of cessation of anti-dumping duty is quite significant. The volume of imports found in anti-circumvention investigation is quite significant. There is no demand-supply gap in the Country now, and the cumulative capacities of the domestic producers already exceed present demand in the Country. Any imports at dumped prices undercutting the domestic prices are therefore likely to cause adverse price effect on the industry. From the foregoing, the Authority concludes that there is a likelihood of dumping and consequent injury, in the event of expiry of duty.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

L.1. Submissions by the other interested parties

156. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the Indian industry's interest:
- a. No measures should be imposed on grounds of public interest.
 - b. Imposition of anti-dumping measures will both damage legitimate interest of exporters and be not conducive to the remedy and protection of the domestic industry.
 - c. The purpose of any anti-dumping measure is not to facilitate the domestic industry to earn reasonable or sufficient return on investment.

L.2. Submissions by the domestic industry

157. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the Indian industry's interest:
- a. In a sunset review, historic information for the period during which duty existed should form basis of examination of public interest.
 - b. None of the users or importers have filed response to the Economic Interest Questionnaire.
 - c. Despite the fact that there are over 30 users, only 3 participated in the investigation, which shows low level of interest by users.
 - d. No submissions have been made by the users to any government body concerning how the duties have adversely affected them over the years.
 - e. The overall impact of the duties imposed on the user industry is negligible, at only 1.5%.
 - f. The revenue and profitability of the user industry has improved over 2017-18 to 2020-21.
 - g. The downstream industry has also expanded capacity over this period.
 - h. One of the biggest users i.e., the automobile industry is expected to grow over 9% between 2022-27, which would encourage growth of domestic producers.
 - i. Since the duties were imposed, the Indian industry has grown from 3 to 6 producers and has even expanded their capacities, which helped India reduce dependence on imports and move towards Atmanirbhar Bharat.
 - j. The present return on investment is not enough to encourage future investments. If the duties are not continued, then fresh investment would become difficult, increasing dependence on imports.
 - k. Unfair pricing behaviour such as circumvention that distorts the conditions of competition is a mala fide practice must be discouraged. Rs 1,691 Lacs would have been payable as duties to the government if the goods were not circumvented.
 - l. There is sufficient supply and a healthy competition in the Indian market.
 - m. The subject goods can also be imported from third countries such as South Korea, Taiwan, Japan and Indonesia.
 - n. If the duties are not extended and the applicant continues to earn significant losses, they would either look for an alternate market or look to utilise its production capacities for other use.
 - o. The unnecessary dependence on imports has created a strain on foreign exchange reserves.

- p. The aim of the exporters is only profit maximisation whereas the applicant has long term interest in the country, including the interest of the users.
- q. The production technology used by RIL is comparable to that used by foreign producers.
- r. Procuring from the domestic industry would ensure fair prices, uninterrupted supply, growth of the downstream industry and allow users to reduce inventory holdings.
- s. The support from Chinese government allows the exporters to export at uncompetitive prices.
- t. Contrary to claims of the interested parties, continuation of duty cannot adversely impact users that are importing under advance authorization.
- u. Contrary to the claim of the interested parties, dumping is an unfair trade practice and not a “legitimate right” of the exporter. The duty only addresses any unfair trade practice resorted to by the foreign producer.
- v. While on one hand the interested parties have claimed that continuation of duty would impact their “legitimate right”, on the other hand their responses contain claims that they will not be impacted by the continuation of duties.

L.3. Examination by the Authority

158. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Continuation of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject country in any way. The Authority recognizes that the continuation of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the continuation of anti-dumping measures. On the contrary, continuation of antidumping measures would ensure that no unfair advantages are gained by dumping practice, prevent decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
159. Post initiation of investigation, the Authority issued an Economic Interest Questionnaire to all interested parties. However, a response to the questionnaire was filed only by the domestic industry, and 2 exporters. None of the importers or users of the subject goods, including those participating in the present investigation, filed a response to the Economic Interest Questionnaire. Further, the administrative ministry for the subject goods and the downstream product have also not objected or made any statement regarding the continuation or expiry of duty. The Authority also notes that while the administrative ministry for the subject goods is Ministry of Textiles, the product is not actually used in textile applications.
160. Further, the Authority notes that while certain interested parties have raised arguments that no measures should be imposed on grounds of public interest, no evidence has been provided to show that the duties in force have resulted in a deterioration in the performance of the users, or may lead to such deterioration. As noted above, despite the Authority providing an opportunity to provide structured and substantiated information, in the response to Economic Interest Questionnaire, the users have abstained from doing so. In view of the same, the Authority notes that it cannot be concluded that the continuation of measures would result in an adverse impact on the domestic industry.
161. The Authority also notes that the level of participation by the users and importers is extremely low. The Authority notes that there are significant imports by SRF Limited, Meher Fashions Private Limited, Fenner Conveyor Belting Private Limited, International Conveyors Limited, Shakti Cords Private Limited, Tufropes Private Limited, Maccaferri Environmental Solutions Private Limited, Strata Geosystems (India) Private Limited, Garware Technical Fibres Limited, Arvind Limited, International Conveyors Limited, Indica Conveyors Limited, PNP Polytex Private Limited, Todi Mills, Filatech Enterprise Private Limited, even though such parties account for more than 40% of the total imports into India over the injury period. The importers / users participating in the present investigation account for only 11% of the subject imports during the period of investigation, as per their own response. Further, as per DGCI&S data where importer has been identified by the Authority for the injury period, such importers / users account for only 3% of the total imports. Thus, the Authority notes that the opposition to continuation of duty by users is extremely low.

162. The domestic industry has provided financial statements of the major users as part of its own response. As per the same, it is noted that the profitability of some users such as Fenner Conveyor Belting Private Limited and Green Field has declined. However, the profitability of some users such as SRF Limited, International Conveyors Limited, Madura Coats Private Limited, Madura Industrial Textiles Limited has increased significantly. Other users such as Vardhman Yarns and Threads Limited, Lift and Lash Limited and Multitech Products Private Limited have been able to maintain their profitability.
163. The Authority notes that the products produced using / incorporating the subject goods account for a very small share of the total revenue of the participating users, barring for Techfab (India) Industries Limited. On an overall basis, such products account for only 8% of the revenue.
164. In this regard, the Authority also notes that the domestic industry had furnished quantified impact of anti-dumping duty on the users. As per the information shared by the domestic industry, the impact on users was in the range of 0.01% to 1.2%. The claim of the domestic industry has not been disputed by the other parties. Therefore, it is concluded that the users have not been adversely impacted by the anti-dumping duty in force.
165. With regard to availability of the subject goods in the country, the Authority notes that the anti-dumping duty does not restrict imports from the subject country, but only provides a level playing field. Such level playing field has allowed certain producers to enter the market. For instance, Reliance Industries Limited has expanded capacity, while Wellknown Polyesters Limited, Sanathan Textiles Private Limited and Ferretero India Private Limited have also started producing the subject goods. This shows that the duties have reduced the user's dependency on the imports and allowed the Indian industry to grow and flourish.
166. In fact, as per information provided by the domestic industry, which has not been controverted by any other party; while there was a demand-supply gap in the country earlier, there is no such demand-supply gap now.

Producer	Capacity (MT)
Reliance Industries Limited	***
Wellknown Polyesters Limited	***
SRF Limited	***
Fairdeal Multifilament Private Limited	***
Ferretero India Private Limited	***
Sanathan Textiles Private Limited	***
Total Indian Capacity	***
Indian demand (2021-22)	52,226
Excess capacity in India	***

167. The higher number of producers, coupled with excess capacity would also ensure inter-se competition between the domestic producers. As a result, the users would be assured competitive prices in the domestic market, and easily availability of the subject goods.
168. Moreover, the subject goods can continue to be imported from other countries as well. As per the PCI Wood Mackenzie report on record before the Authority, there is a total global capacity of 4,623 KT for industrial yarn, and of 3,340 KT of high tenacity yarn. As against this, the global demand for whole of industrial yarn is only 2,649 KT. Thus, there is a global surplus for the subject goods. Other than China, there are significant capacities in European Union, Vietnam, Taiwan, South Korea, Japan, Mexico, and Indonesia. Therefore, the product under consideration can also be imported from these countries. Accordingly, the Authority concludes that the users would continue to have multiple sources available.

M. POST DISCLOSURE COMMENTS

M.1. Submissions by the interested parties

169. The interested parties have reiterated their submissions with regard to scope of product under consideration, constitution of domestic industry, confidentiality, injury to the domestic industry, likelihood of dumping and injury. In particular, the interested parties have submitted as under as comments to the disclosure statement.
- a. The scope of the PUC cannot be enlarged in a sunset review investigation by including circumvented product. This would be like a back door entry.

- b. The Authority cannot extend duties in a sunset review to the product under investigation in the anti-circumvention investigation, since the present review was initiated under Section 9A(5) read with Rule 23(1B). Since no deliberate link was created between the anti-circumvention investigation and the sunset review at the stage of initiation, the same cannot be done at the present stage.
- c. In a situation whereby the Ministry of Finance does not impose anti-circumvention duties, the question of automatically extending the duties under a pending review to the PUI would be rendered moot.
- d. If Rule 5 is not applicable, it is not clear how SRF Limited can be excluded from the examination.
- e. The volume of imports by SRF Limited in relation to their production, and the share of applicant in total Indian production has not been disclosed.
- f. The application format asks for information with regard to imports from all sources by the domestic industry. Therefore, determination of standing of RIL with reference to limited information is not appropriate.
- g. The non-confidential version of the application cannot be accepted on account of not providing replica of the confidential version, declaration of imports and relationship to importers / exporters for injury period as a whole, production of other producers, total production, PCN-wise details, etc.
- h. In accordance with the decision of the Tribunal in All India Laminated Fabrics Manufacturers Association vs Designated Authority, no reliance can be placed on unsubstantiated report under Rule 8 of the AD Rules, unless the veracity of the same has been proven and the report or a summary of the same is shared with the other interested parties.
- i. If the Authority decides to continue the existing anti-dumping duty pursuant to the sunset review investigation, the same rate of anti-dumping duty rate should be continued without any modification, in accordance with the past practice of the Authority.
- j. The observations with regard to Market Economy Treatment of Hyosung may kindly be confirmed in the final findings. Further, in view of the negative injury margin, the nil duties may kindly be continued.
- k. Normal value for all producers should be determined considering the data provided by each producer, as the present approach would imply that there was no purpose of Article 15(a)(ii).
- l. It should be clarified whether the normal value and export price for Jiangsu Hengli have been determined and compared on PCN-wise basis.
- m. Nil rate of anti-dumping duty cannot be granted to the new producer/exporter that participate for the first time in the sunset review investigation as per the consistent practice of the Authority.
- n. It appears that new producer/exporter has exported only small quantity to India during the POI of sunset review investigation. Thus, in accordance with consistent practice, the actual export price of such insignificant volume should not be considered as reliable and individual rate of anti-dumping duty is not granted to such producer/exporter.
- o. Jiangsu Taiji should be allowed an individual duty based on the dumping margin and injury margin determined the present review, and the existing duties should not be continued. The negative margins as per disclosure statement clearly show that there is no likelihood of dumping and injury as a result of its exports.
- p. Under the Anti-Dumping Rules, the Authority is duty-bound to recommend duty based on the present margins. In past cases as well, the Authority has been modifying the duties in the sunset review, based on the margins determined during the review.
- q. Zhejiang Unifull and Huzhou Unifull are related producers. During the period of investigation, only the goods produced by Zhejiang Unifull were exported. However, it is requested that the name of Huzhou Unifull may also be noted in the duty table, so that the parties may not be subjected to any undue hardship in case of future exports.
- r. Since there is no likelihood of dumping and injury on account of exports by Hengli, the duties for it are required to be discontinued.
- s. Majority (more than 75%) of imports entering into India are under advance license and continuation of anti-dumping duty will not impact these imports. Regular imports entering into India are insignificant. It cannot be considered that imports under advance authorization have increased, only because they are exempt from anti-dumping duty, since they such imports are permitted when obligation is undertaken to use imported input in exported product.

- t. Performance of the domestic industry has improved in terms of its volume and profitability parameters. This is reflective of absence of likelihood of injury because majority of imports into India during injury investigation period were not subject to anti-dumping duty.
- u. Post POI data shows that import volume and market share of imports have declined. Landed price of imports have increased and price undercutting is insignificant.
- v. Steep decline in profits in the post POI period cannot be due to imports because imports have reduced and landed value has increased.
- w. There is no information with regard to SRF Limited, which is one of the largest producers.
- x. The significant growth in the number of producers shows that there is no need for continuation of duty.
- y. The excess capacities or export orientation of Chinese producers and tariff increases by other jurisdictions cannot be construed as showing likelihood in the absence of any information regarding attractiveness of the Indian market.
- z. If country wide analysis of likelihood of injury is conducted to recommend continuation of anti-dumping duty on imports from China, then the Authority cannot rely on individual dumping margin and/or injury margin for the producers/exporters in the sunset review. The producer/exporter having higher idle capacity, capacity expansion plans and higher incidence of third country dumping and consequently responsible for determination of country wide likelihood of dumping and injury, may benefit from lower anti-dumping duty if the individual dumping margin or injury margin determined for such producer/exporter during the sunset review investigation is lower.
- aa. The injury, if any, to the domestic industry is on account of inter se competition in the domestic market, imports from Taiwan and Vietnam, decline in exports and imports under advance authorization.
- bb. A rate of 22% should not be considered for the determination of non-injurious price, as it allows undue protection to the domestic industry. This is evident from the decision of the Tribunal in the case of Bridge Stone Tyre Manufacturing & others vs. Designated Authority and the decision of the European Courts in the case of European Fertilizer Manufacturer's Association (EFMA) v Council.

M.2. Submissions by Domestic Industry

170. The domestic industry has largely reiterated their submissions made during the course of investigation with regard to injury and likelihood of continuation of dumping and injury, causal link and Indian industry's interest. The following submissions have been made by the domestic industry post issuance of the disclosure statement:
- a. Modification of duty should not be allowed in a sunset review and any new producer should be asked to file an application for new shipper review, in accordance with past practice.
 - b. Jiangsu Taiji Industry New Materials Co., Ltd has exported High Modulus Low Shrinkage (HMLS) Yarn, which does not fall within product scope. Thus, no duty can be allowed to the exporter.
 - c. There is no requirement to establish causal link between likely dumping and likely injury.
 - d. The imports from other countries have not caused injury to the domestic industry during the present period of investigation.
 - e. The likelihood of dumping and injury is also evident from the fragile situation of the domestic industry, impact of imports under advance authorization and from exempt producers, importance of India as a market, likely price suppression or depression in the event of expiry of duty, etc.
 - f. The continuation of duty would be in public interest.

M.3. Examination by the Authority

171. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties and notes that most of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are however examined below.

172. Some of the interested parties have reiterated their claim that the scope of the present review cannot be enlarged to include the product under investigation. The interested parties rely on the fact that the initiation notification does not link the anti-circumvention investigation to the present review, and the Ministry of Finance may not notify the recommendations of the anti-circumvention investigation. The Authority notes that the contentions of the interested parties are contrary to the past practice. The Authority is not expanding the scope of the product under consideration pursuant to the present sunset review. Once the Authority has found it appropriate to recommend extension of anti-dumping duty to a circumventing product, pursuant to anti-circumvention investigation, any subsequent sunset review finding should also extend anti-dumping duty on such circumventing product. Further, once the Authority has found that the duty has been circumvented, the finding should hold the grounds till such time the Authority conducts a review under the provisions of circumvention law. Further, once the Authority has already conducted anti circumvention investigation and held that circumvention of duty is happening, the Authority is not required to again investigate whether circumvention of duty is occurring in a sunset review.
173. Some interested parties have claimed that since Rule 5 is not applicable in sunset review, SRF Limited cannot be excluded from examination. The Authority notes that the Authority may exclude any producer that is importing the product under consideration under the provisions of Rule 2(b), which are applicable to a sunset review.
174. Regarding the contention that imports by SRF Limited (*** MT) in relation to their product, share of applicant, production of other producers, PCN-wise details of the domestic industry, etc. should have been disclosed, the Authority notes that such information would result in disclosure of business proprietary information of individual producers. Thus, such information has been treated as confidential in accordance with Rule 7 of the AD Rules.
175. The application proforma requires the applicant to disclose information with regard to relationship with “exporter or importer of the alleged dumped article”. In view of the same, the Authority does not find any merit in the contention that the applicant failed to provide relevant information as it did not disclose the relationship to producer / exporter in non-subject countries.
176. With regard to the claims that the non-confidential version of the application was not appropriate, the Authority has examined the confidentiality claimed and found it appropriate to accept the claims. While the interested parties have claimed that the non-confidential version is not a replica of the confidential version, no difference between the two have been alleged. Insofar as individual production of domestic producers and PCN-wise details of the domestic industry is concerned, the Authority finds that such information is business proprietary information of individual companies, and thus, has found it appropriate to accept the confidentiality claimed.
177. The interested parties have reiterated their contention that the PCI Wood Mackenzie report cannot be relied upon in view of the decision of the Tribunal in the case of All India Laminated Fabrics Manufactures Association vs Designated Authority. The Authority notes that the facts of the two case cannot be compared, inasmuch as the applicant had disclosed in the application itself that it has relied upon the PCI Wood Mackenzie report. No evidence or information was provided by the other interested parties subsequently to suggest that the information provided by the applicant was not reliable. Further, contrary to the contention of the interested parties, adequate summary of the information relied upon in the report was provided to the other interested parties. None of the interested parties has provided any evidence to suggest that the figures of capacity, production and demand as per the PCI Wood Mackenzie report is not reliable.
178. A number of interested parties have contended that the same rate of duty should be continued, while others have claimed that the duty should be re-quantified. The Authority notes that the present case is not that of continued injury to the domestic industry, though the circumvention of duty undermined the remedial effects of the duty in force. Therefore, since the Authority has concluded likelihood of continuation of dumping, and recurrence of injury to the domestic industry, it is appropriate to recommend extension of the same duty.

179. Some interested parties have contended that the normal value should have been determined based on the costs and prices of China PR. The Authority notes that it has considered China PR to be a non-market economy in all recent investigations, relying on provisions of Article 15(a)(i) of the Accession Protocol, read with Article 2.2.1.1 of the WTO AD Agreement. The Authority had notified the claim of the applicant that China PR be considered as a non-market economy at the stage of initiation itself, allowing all parties a chance to rebut the claim. However, barring Hyosung, none of the producers have opted to claim Market Economy Treatment by providing the relevant information.
180. It is clarified that the dumping margin and injury margin for Jiangsu Hengli, as also for all other producers, have been determined on PCN-wise basis.
181. With regard to dumping margin for Jiangsu Taiji, the matter has been examined. The Authority notes that the producer has exported only High Modulus Low Shrinkage (HMLS) Yarn during the period of investigation. The producer had treated such product as product under consideration, relying on the PCN methodology adopted. However, the Authority had notified the PCN methodology, as was adopted in the original investigation. The Authority notes that, in the original investigation, HMLS Yarn was included in the product scope at the stage of initiation. However, after conducting detailed investigation, the Authority excluded such yarn from the scope of the product under consideration as under.

“19. Regarding the claim for the exclusion of yarns having HMLS properties, it is noted that HMLS yarn is a yarn having dimensional stability without elongation or stretching under pressure and without shrinking despite heat application. We note that the testing criterion for HMLS yarn, in terms of the PCN classification issued, was determined to be its “dimensional stability index” below 10. The Dimensional Stability Index is measured as the sum of elongation at 4Cn/dtex (tested as per ASTM D885) and hot air shrinkage at 177°C for 2 minutes at 0.05Cn/dtex end load (tested as per ASTM D4974). HMLS yarn is used in products such as tire cords (as reinforcement inside tyres used in passenger cars and light commercial vehicles.), conveyors and v-belts for the mechanical rubber goods industry.

20. Upon receipt of PCN wise information from the exporters and the domestic industry, it was observed that RIL has not produced the HMLS yarn during the POI. Even though SRF has produced HMLS yarn during the POI, it has only commercially sold less than 2% of its HMLS yarn production. Thus, inclusion of HMLS yarn within the scope of PUC and the current investigation would not be appropriate. Accordingly, the Authority has excluded yarns having HMLS properties from the scope of PUC for the present investigation.”

Thus, it is evident that HMLS Yarn does not form part of the product scope. In view of the same, no individual dumping margin/injury margin and duty can be conferred to Jiangsu Taiji on the basis of exports of such HMLS yarn.

182. The Authority has found it appropriate to accept the request of Unifull to include both Zhejiang Unifull and Huzhou Unifull as producers in the duty table below.
183. Jiangsu Hengli has reiterated its claim that there is no likelihood of dumping and injury as a result of its exports, and thus, the duty applicable to it should be discontinued. The Authority notes that the dumping margin and injury margin for the exporter are not only positive but also significant. In view of the same, it cannot be concluded that there is no likelihood of dumping and injury on account of its exports.
184. Regarding the contention that significant volume of imports has been made under advance authorization, the Authority has consistently held that duty free imports act as a benchmark for the duty paid imports, the only difference between the two being amount of customs duty. Further, the Authority has determined price undercutting after adding notional customs duty even on duty free imports. It is seen that in the absence of ADD, the price of such dutiable imports would be lower than the selling price of the domestic industry, causing price undercutting to the domestic industry in the event of cessation of ADD.

185. Regarding the claim that excess capacities or export orientation of Chinese producers and tariff increases by other jurisdictions are not determinative, in the absence of information concerning price attractiveness; the Authority notes that the responses filed by the producers reveal that India is a price attractive market. The same has already been examined in the relevant portion of the present findings.
186. Certain interested parties have expressed concern that individual margins in the review should not be relied upon, since the Authority has conducted a country-wide analysis of likelihood. Since the Authority has found it appropriate to recommend the continuation of existing anti-dumping duty, the concern of the interested parties is already addressed.
187. As regards the claim that the Authority should not consider a return of 22%, the Authority notes that no evidence has provided by the interested party to demonstrate that the return considered allows inordinately high protection, or that a different return is justified. The Authority has considered the return of 22% in accordance with its consistent practice.

N. CONCLUSIONS

188. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes as follows:
- a) The product under consideration is “High Tenacity Polyester Yarn” also known as Polyester Industrial Yarn (PIY) or Industrial Yarn (IDY) in the market parlance. The product scope excludes yams having denier below 1000, denier above 6000, twisted yarns, colored yarns, adhesive activated yarns with denier higher than 1000 and yarns with HMLS properties.
 - b) The volume of imports made without payment of anti-dumping duty and by altering product description is quite significant and clearly establishes the likely behavior of the Chinese producers in the event of cessation of anti-dumping duty.
 - c) The product produced by the domestic industry is like article to the product imported from China.
 - d) The applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b). Further, the request for extension of anti-dumping duty was supported by Wellknown Polyesters Limited, Sanathan Textiles Private Limited and Fairdeal Jumbo Packaging Private Limited. SRF Ltd. has imported significant volumes of the product under consideration as well as the circumventing product.
 - e) The application contained all the information relevant for the purpose of initiation of the sunset review and the application contained sufficient evidence to justify initiation of the present sunset review. Further, the applicant provided all information considered relevant and necessary by the Authority for the purpose of the present investigation.
 - f) Based on the information on record, the normal value, export price and the dumping margin for the subject goods have been determined. The dumping margin determined for substantial volume of exports from the subject country remains above *de-minimis*.
 - g) The volume of dumped imports has increased. Further, imports of the circumventing products have also increased significantly. Gross volume of dumped imports of the product including circumventing products has shown significant increase. This is despite significant increase in capacities in India. The current combined capacities for the product in the country exceed the current demand for the product in the country.
 - h) The imports are undercutting the prices of the domestic industry. The extent of price undercutting is quite significant.
 - i) The performance of the domestic industry has improved in terms of various economic parameters. However, the market share of the domestic industry has declined. Further, in the period of investigation, the profitability of the domestic industry improved because of reduction in conversion costs also.
 - j) The domestic industry has not suffered material injury during the present period of investigation in as much as it has not suffered deterioration in its performance. However, the circumvention of duty has undermined the remedial effects of the duty.

- k) There is a likelihood of recurrence of injury in the event of cessation of anti-dumping duty, as established by the following factors.
- i. The dumping of the subject goods has continued despite the anti-dumping duties being in force.
 - ii. The volume of imports has also remained significant and in fact increased, in absolute and relative terms.
 - iii. The market share of the subject imports has increased significantly and that of the domestic industry declined.
 - iv. The imports of the circumventing product have increased over the period. After conducting elaborate investigations, the Authority has recommended extension of the duties to the imports of the circumventing product.
 - v. There exist significant surplus capacities for the product in China, and the surplus unutilized capacities are far in excess of the Indian domestic demand.
 - vi. The producers in the subject country are holding significant inventories, higher than the demand in India.
 - vii. The producers in the subject country are not only dumping in India, but are also exporting the subject goods to third countries at prices that are dumped and injurious, compared to the normal value and non-injurious price.
 - viii. India is a price attractive lucrative market for the Chinese producers.
 - ix. The post POI information shows that the performance of the domestic industry has declined and it has suffered financial losses.
- l) In view of the foregoing, in the event of expiry of the existing anti-dumping duty, there is every likelihood that the imports of the subject goods from China would increase at dumped and injurious prices.
- m) The investigation had not brought to light any considerations demonstrating that such continuation of anti-dumping duty would not be in the public interest.

189. In view of the above the Authority concludes that there is a clear likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of the existing anti-dumping duties, and therefore, recommends continuation of anti-dumping measures for a further period of five years.

O. RECOMMENDATIONS

190. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, the exporters, the importers, the users and the other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link and also on likelihood of dumping and injury to the domestic industry.
191. Having concluded that there is positive evidence of likelihood of dumping and injury if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that the anti-dumping duty in force on the imports of the product under consideration from the subject country is required to be continued further. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, the Designated Authority considers it appropriate to recommend continuation of the existing anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject country. Accordingly, the anti-dumping duty for producers from China PR are recommended as per duty table below.
192. Thus, in terms of provision contained in Rule 4(d) and Rule 17(l) (b) of the AD Rules, the Authority recommends the continued imposition of the existing anti-dumping duties, so as to remove the likelihood of dumping and injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in column 8 of the duty table below is recommended for the imposition for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Duty Table

Sl. No.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount of duty	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	5402.20 90	High tenacity polyester yarns*	China PR	China PR	Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	Nil	MT	USD
2	-do-	-do-	China PR	China PR	Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co., Ltd.	174	MT	USD
3	-do-	-do-	China PR	China PR	Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd.	234	MT	USD
4	-do-	-do-	China PR	China PR	Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.	316	MT	USD
5	-do-	-do-	China PR	China PR	Huzhou Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.	316	MT	USD
6	-do-	-do-	China PR	China PR	Oriental Industries (Suzhou) Ltd.	Nil	MT	USD
7	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any combination other than S. No. 1 to 6	528	MT	USD
8	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	528	MT	USD

* High Tenacity Polyester Yarn also known as Polyester Industrial Yarn (PIY) or Industrial Yarn (IDY) in the market parlance, excluding

a. yarns having denier below 1000,

b. yarns having denier above 6000,

c. twisted yarns,

d. colored yarns,

e. adhesive activated yarns with denier higher than 1000 and

f. yarns with HMLS properties

193. Further having regard to the Final findings notified by the Authority vide Notification No. 7/9/2022-DGTR, dated 31st March 2023 recommending extension of existing antidumping duty on imports of the following product under investigation originating in or exported from China PR, the Authority considers that the anti-dumping duty is required to be extended to imports of the following product under investigation:

- i. High tenacity polyester yarns of less than 1000 denier, but more than 840 deniers, both adhesive activated and others (PUI I). However, yarn of 840 deniers and below, when imported within permissible tolerance of 2.4% is specifically excluded from the product scope.
- ii. High tenacity polyester yarns of more than 6000 denier, but less than 7000 denier (PUI II). However, yarn of 7000 deniers, when imported within permissible tolerance of 2.4%, is specifically excluded from the product scope.
- iii. Adhesive activated high tenacity polyester yarns of more than 1 000 denier, but less than 1300 denier (PUI III). However, yarn of 1300 deniers, when imported within permissible tolerance of 2.4%, is specifically excluded from the product scope.

P. FURTHER PROCEDURE

194. An appeal against the determination/review of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority